(बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ)

बिहार सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021

बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021

सं०:–6 / अग्नि०से०–01–11 / 2017(खण्ड–III) गृ०आ०.....पटना, दिनांक मार्च, 2021
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

अध्याय–I–प्रारंभिक

01. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः–

(i) यह नियमावली "बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021"कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

02. परिभाषाएँः– इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014);
(ख) "प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गृह विभाग ;
(ग) "महानिदेशक"से अभिप्रेत है बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त महानिदेशक, अग्निशमन सेवा ;
(घ) "निदेशक" से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा–8 की उप–धारा–(1) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा;
(ङ.) "जिला दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) की धारा 20 की उप धारा–1 के अधीन जिला दंडाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ;
(च) "पुलिस अधीक्षक" से अभिप्रेत है राजस्व अथवा पुलिस जिला के पुलिस अधीक्षक ;
(छ) "राज्य अग्निशमन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ग्रुप–'क' का पदाधिकारी ;
(ज) "अपर निदेशक" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी ;
(झ) "उप निदेशक" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी ;
(ञ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 एवं 38 (1) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के स्तर के अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के प्राचार्य ;
(ट) "सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी;
(ठ) "जिला अग्निशमन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त जिला अग्निशमन पदाधिकारी ;
(ड) "सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–6 (3) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी ;
(ढ़) "अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–6 (3) के अधीन अनुमंडल स्तर के दमकल केन्द्र (फायर स्टेशन) का प्रभारी पदाधिकारी ;
(ण) "अग्निशामालय पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–6 (3) के अधीन नियुक्त दमकल केन्द्र (फायर स्टेशन) का प्रभारी पदाधिकारी ;
(त) "उपाधिकारी(सब–ऑफिसर)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–6 (3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा का अग्निशामालय पदाधिकारी से ठीक एक स्तर न्यून स्तर का पदाधिकारी ;
(थ) "नामित पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट कार्य हेतु अग्निशमन सेवा के प्राधिकृत पदाधिकारी / कर्मी ;
(द) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा के निदेशक ;

(ध) "अधीनस्थ कार्यचालन कर्मचारी" से अभिप्रेत है अग्निक/अग्निक चालक/प्रधान अग्निक/प्रधान अग्निक चालक और समतुल्य पंक्ति का अग्निशमन सेवा का कोई सदस्य ;

(न) "स्थाई आदेश एवं प्रशासनिक अनुदेश" से अभिप्रेत है सरकार/महानिदेशक द्वारा अथवा उनके पूर्वानुमति से निदेशक द्वारा निर्गत स्थाई आदेश एवं प्रशासनिक अनुदेश ;

(प) "संवर्ग" से अभिप्रेत है पदों का समूह ;

(फ) "पुलिस हस्तक" से अभिप्रेत है बिहार आरक्षी हस्तक, 1978 तथा इसमें बिहार पुलिस अधिनियम– 2007 (बिहार अधिनियम–1, 2007) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पुलिस हस्तक एवं नियम सम्मिलित होगा।

(ब) "भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता" (National Building Code of India) से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** का भाग–4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" (Fire and life safety) ;

(भ) "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है किसी भवन या परिसर का अग्नि निवारण एवं सुरक्षा के मानक स्तर के अनुपालन हेतु इस नियमावली के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के विहित प्राधिकार द्वारा निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र ;

(म) "आयोग" से अभिप्रेत है राजपत्रित पदों के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग तथा अराजपत्रित पदों के संदर्भ में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ;

(य) "स्थानीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम, 2006, बिहार राज्य पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य सम्बंधित अधिनियमों के अधीन घोषित प्राधिकार ;

(र) इस नियमावली में अप्रयुक्त/प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं पदों के अर्थ वही होंगे जो बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 में उनके लिए निर्धारित किये गए हैं ;

(ल) "अनापत्ति प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है विहित प्राधिकार द्वारा निर्गत अग्नि सुरक्षा एवं निवारण अनापत्ति प्रमाण पत्र ;

(व) "अग्नि अंकेक्षण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा– 33 के अन्तर्गत किसी भी भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के हेतु नामित प्राधिकारी के द्वारा किया गया निरीक्षण ;

(श) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021;

अध्याय–II

स्थापना एवं प्रशासन

03. **संगठनः**–अधिनियम की धारा–5 एवं 9 के अन्तर्गत बिहार अग्निशमन सेवा कार्य की सुचारूता, व्यवसायिक दक्षता, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से बिहार अग्निशमन सेवा का विस्तार क्षेत्र, मुख्यालय, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, थाना स्तर पर निम्न प्रकार होगाः–

(क) राज्य मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक के नियंत्राधीन निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा का कार्यालय होगा जिसमें यथा आवश्यक अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी होंगे, जो अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन, लेखा एवं प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अभियान, सामग्री एवं उपकरण (प्रोविजन), तथा कल्याण का कार्य करेंगे। राज्य सरकार, इनके सहायतार्थ, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(ख) अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से बिहार राज्य के सभी राजस्व "प्रमंडल" बिहार अग्निशमन सेवा का"अग्नि क्षेत्र"कहा जाएगा। प्रत्येक अग्नि क्षेत्र का प्रभारी उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी होगा, जिनके यथानिर्दिष्ट नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में प्रमंडल स्थित सभी अग्निशमन कार्यालय एवं अग्निशामालय होगा। इनके सहायतार्थ, राज्य सरकार, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(ग) बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी (Bihar Fire Training Academy) में उप निदेशक स्तर के प्राचार्य होंगे, जो संस्थान के नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य करेंगे। राज्य सरकार, इनके सहायतार्थ, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(घ) बिहार राज्य का प्रत्येक राजस्व जिला बिहार अग्शिमन सेवा का अग्नि प्रमंडल कहा जाएगा। प्रत्येक अग्नि प्रमंडल का प्रभारी जिला अग्निशमन पदाधिकारी होगा, जो यथाविहित विधि से जिला के सभी अग्निशामालयों (दमकल केन्द्रों) के नियंत्रण के साथ–साथ निर्धारित दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार, इनके सहायतार्थ, उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(ड.) प्रत्येक अग्नि प्रमंडल का राजस्व अनुमंडल "अग्नि अनुमंडल"कहा जाएगा, जो अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के प्रभार में रहेगा। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अग्निशामालय स्तर का पदाधिकारी होगा,जो अपने अग्निशामालय के दायित्वों के अतिरिक्त अग्नि अनुमंडल स्थित सभी अग्निशामालयों (दमकल केन्द्र) एवं थाना स्तर के दमकल केन्द्र का पर्यवेक्षीय पदाधिकारी होगा।

(च) सभी अग्निशामालयों तथा अग्नि अनुमंडल, अग्नि प्रमंडल, अग्नि क्षेत्र के कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थान एवं निदेशक के कार्यालय में अग्निशामालय पदाधिकारी, उपाधिकारी (Sub-Officer), प्रधान अग्निक, प्रधान अग्निक चालक, अग्निक, अग्निक चालक आदि की संख्या एवं पदस्थापन का निर्धारण स्थाई अग्निशमन सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (Standing Fire Advisory Council) के द्वारा निधारित मानकों को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकता के आकलन के अनुरूप सरकार के अनुमोदन से निदेशक करेंगे।

04. अधिनियम की धारा–3,4,5(क) एवं 6 के अन्तर्गत महानिदेशक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का एकल बल (बन्द संवर्ग) होगा जो निरूपित किये जा रहे निम्न संवर्गों एवं पदों में विभाजित होगाः–

वरीय सेवा के पद/संवर्ग

(क)वरीय सेवा संवर्ग (राजपत्रित)–

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति का पद	पदीय समकक्षता
01	निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति का पद	पुलिस उप–महानिरीक्षक के समकक्ष
02	अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष

03	उप–निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष
04	सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष
05	जिला अग्निशमन पदाधिकारी	50% सीधी नियुक्ति / 50% प्रोन्नति का पद	पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष
(ख) कनीय सेवा संवर्ग(अराजपत्रित)			
(i) अग्निशामालय पदाधिकारी संवर्ग			
01	सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी	प्रोन्नति का पद	पुलिस निरीक्षक के समकक्ष
02	अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी	50%सीधी नियुक्ति / 50% प्रोन्नत पद	पुलिस अवर निरीक्षक के समकक्ष।
03	अग्निशामालयउपाधिकारी (सब–औफिसर)	प्रोन्नति का पद	सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के समकक्ष।
(ii) अग्निक संवर्ग			
01	प्रधान अग्निक	प्रोन्नति का पद	पुलिस हवलदार की कोटि के समकक्ष ।
02	प्रधान अग्निक चालक	प्रोन्नति का पद	पुलिस हवलदार चालक की कोटि के समकक्ष ।
03	अग्निक	सीधी नियुक्ति	पुलिस सिपाही की कोटि के समकक्ष ।
04	अग्निक चालक	सीधी नियुक्ति	पुलिस सिपाही चालक की कोटि के समकक्ष ।
(ग)समूह "ग" गैर वर्दीधारी पद			
1. आशुलिपिक संवर्ग–			
01.	प्रधान आशुलिपिक	प्रोन्नति का पद	
02.	आशुलिपिक– ग्रेड–I	प्रोन्नति का पद	
03.	आशुलिपिक– ग्रेड–II	प्रोन्नति का पद	
04.	आशुलिपिक–ग्रेड–III	सीधी नियुक्ति	
2. अनुसचिवीय संवर्ग–			
01.	कार्यालय पर्यवेक्षक	प्रोन्नति का पद	
02.	प्रधान लिपिक	प्रोन्नति का पद	
03.	उच्च वर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का पद	
04.	निम्न वर्गीय लिपिक	सीधी नियुक्ति	
(घ)परिचारी (विशेष) संवर्ग–			

गैर संवर्गीय पद

क्र०सं०	पदनाम	कार्य
01	राज्य अग्नि परामर्शी एवं सलाहकार	ये सीधे महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को परामर्श देंगे।

(ङ.) अधिनियम की धारा– 5 (ख) के अन्तर्गत नियम–4 में अंकित राज्य पुलिस बल के समकक्ष अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पद की समकक्षता के अनुरूप राज्य पुलिस बल के समान सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ता अनुमान्य होगा ।

(च) अग्निशामालय पदाधिकारी की पंक्ति से नीचे के अग्निशमन सेवा के सभी सदस्य, चौबीस घंटे अग्निशामालय में रहेगा। प्रत्येक छः कार्य दिवस के बाद वे सामान्यतया एक दिन विश्राम के लिए अधिकृत होंगे, परन्तु लोक सेवा के हित में अग्निशामालय पदाधिकारी को उनके विवेक से इसे रोकने अथवा इसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा। विश्राम की अवधि परिस्थिति विशेष को छोड़ कर सामान्यतया छः बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी।

नियुक्ति एवं प्रोन्नति

05. अधिनियम की धारा–4,5(ख),7,8,10 के अधीन नियुक्ति/प्रोन्नति निम्नवत् होगी तथा उपाधिकारी एवं उससे नीचे की पंक्ति के प्रत्येक **अग्निशमन** पदाधिकारी को उनके सेवा के सदस्य के रूप में नामांकित होने पर प्रपत्र–'क' में नियुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा :–

(क) वरीय सेवा संवर्ग (राजपत्रित)

01. निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारीः–

(क) यह अग्निशमन सेवा संवर्ग का शीर्ष पद होगा, जो सामान्यतः प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी कोटि से प्रोन्नति, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी। इस पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे।

(ख) अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी से निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।

(ग) परन्तु, निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में इस पद पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रशासी विभाग के द्वारा निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारी को इस पद पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

(घ) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँः–

(i) **उम्रः**– विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 50 वर्ष– अधिकतम 55 वर्ष

(ii) **शैक्षणिक योग्यताः**– मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।

(iii) **कार्यानुभवः**– कम से कम 20 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी अथवा वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

(ड.) चयन प्रक्रियाः–

(i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

(ii) निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।

(iii) चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगाः–

(क) शैक्षणिक अहर्ता – अधिकतम 50 अंक
(ख) कार्यानुभव – अधिकतम 20 अंक
(ग) साक्षात्कार – अधिकतम 30 अंक

(iv) शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगाः–

क्रमांक	योग्यता	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

(v) 20 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाऐंगे।

02. अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	(क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर प्रोन्नति उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी की कोटि से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी। (ख) प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। (ग) उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी से अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे। **(घ)** सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँः– (i) **उम्रः**– विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 45 वर्ष– अधिकतम 55 वर्ष (ii) **शैक्षणिक योग्यताः**– मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों। (iii) **कार्यानुभवः**– कम से कम 15 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी अथवा वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव। **(ड.)** चयन प्रक्रियाः– **(i)** बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित

	कर सकेगा। **(ii)** अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा। **(iii)** चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगाः– (क) शैक्षणिक अहर्ता – अधिकतम 50 अंक (ख) कार्यानुभव – अधिकतम 20 अंक (ग) साक्षात्कार – अधिकतम 30 अंक **(iv)** शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगाः–

क्रमांक	योग्यता	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

	(v) 15 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाऐंगे।
03. उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	(क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर प्रोन्नति सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी की कोटि से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी। (ख) प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी प्रशासी विभाग को प्राप्त होगा। (ग) सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी से उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्तनियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे। **(घ)** सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँः– (i) **उम्रः**– विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 40 वर्ष– अधिकतम 55 वर्ष (ii) **शैक्षणिक योग्यताः**– मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों। (iii) **कार्यानुभवः**– कम से कम 12 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव। (ङ.) चयन प्रक्रियाः–

	(i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा। **(ii)** अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा। **(iii)** चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगाः– (क) शैक्षणिक अहर्ता – अधिकतम 50 अंक (ख) कार्यानुभव – अधिकतम 20 अंक (ग) साक्षात्कार – अधिकतम 30 अंक **(iv)** शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगाः–

क्रमांक	योग्यता	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

	(v) 12 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाएँगे।
04. सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	(क) यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद पर प्रोन्नति जिला अग्निशमन पदाधिकारी की कोटि से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी। (ख) प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी प्रशासी विभाग को प्राप्त होगा। (ग) जिला अग्निशमन पदाधिकारी से सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे। **(घ)** सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँः– (i) **उम्रः**– विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के 1ली अगस्त को न्यूनतम 40 वर्ष– अधिकतम 55 वर्ष (ii) **शैक्षणिक योग्यताः**– मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional Officer Course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।

(iii) **कार्यानुभवः**– कम से कम 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

(ड.) चयन प्रक्रियाः–

(i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

(ii) सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।

(iii) चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगाः–

(क) शैक्षणिक अहर्ता – अधिकतम 50 अंक
(ख) कार्यानुभव – अधिकतम 20 अंक
(ग) साक्षात्कार – अधिकतम 30 अंक

(iv) शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगाः–

क्रमांक	योग्यता	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

(v) 10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जाऐंगे।

05. जिला अग्निशमन पदाधिकारी

(1) इस संवर्ग में 50%सीधी भर्त्ती से एवं 50% प्रोन्नति से नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) (क) इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अधियाचना प्रशासी विभाग को प्रेषित की जाएगी। विभाग द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रशासी विभाग के द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।प्रोन्नति हेतु योग्य विभागीय पदाधिकारी निकट भविष्य में उपलब्ध न होने की संभावना की स्थिति में महानिदेशक द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। सीधी नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम एवं अन्य योग्यताओं का निर्धारण प्रशासी विभाग अपने स्तर से निर्धारित करने हेतु सक्षम होगा।

विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से या अन्य निकायों से समकक्ष अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प भी प्रशासी विभाग को प्राप्त होगा।

(ख) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्ताएँः–

(i) उम्रः– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु समग–समय पर निर्धारित उम्र।

(ii) शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री।

	(iii) सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता वही होंगे जो तत्समय पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित हो । (ग) सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाः– (i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करेगा । (घ) जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की परिवीक्षा अवधि 2 वर्षों की होगी । नव नियुक्त जिला अग्निशमन पदाधिकारी को 1 वर्ष का निर्धारित संस्थागत तथा 1 वर्ष का कार्य स्थल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा । (ङ.) प्रशिक्षण–सीधी नियुक्ति के द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उतीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना में प्रशिक्षण देने की स्थिति में उपरोक्त पदों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में एक वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। (3)सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी से जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। (4) विभागीय परीक्षा–जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को राजस्व पर्षद द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु निर्धारित हिन्दी एवं लेखा पत्र के अतिरिक्त अग्नि अभियांत्रिकी (Fire Engineering) एवं भवन उपविधि (Building Byelaws) में वर्णित अग्नि निवारण एवं सुरक्षा के प्रावधान के विषय सम्मिलित होंगे। (5) सम्पुष्टिः– (क) जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की सेवा सम्पुष्टि परिवीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उतीर्ण न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि उतनी अवधि का जितना महानिदेशक उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी। (ख) प्रोन्नति द्वारा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी की सेवा सम्पुष्टि विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात् की जा सकेगी।

(ख) कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित)– अग्निशामालय पदाधिकारी संवर्ग

पद	प्रक्रिया एवं प्रावधान
01. सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी	(क)यह प्रोन्नति का पद होगा। इस पद हेतु योग्य अग्निशामालय पदाधिकारियों को पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी में प्रोन्नति दी जा सकेगी। (ख) सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पदोंपर प्रोन्नति हेतु तत्समय निर्धारित हो। (ग) अग्निशामालय पदाधिकारी की कोटि से प्रोन्नत सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी एक वर्ष तक परिवीक्षा में रहेंगे । (घ) अग्निशामालय पदाधिकारी की कोटि से सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में पुलिस अ०नि० से पुलिस निरीक्षक की कोटि में

	प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। (ड़) अग्निशामालय पदाधिकारी से सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
02.अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी	(1) इस संवर्ग में 50% सीधी भर्त्ती से एवं 50% प्रोन्नति से नियुक्ति की जा सकेगी। (क) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारीके पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अधियाचना प्रशासी विभाग के माध्यम से पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। (ख) सीधी नियुक्ति हेतु अर्हताएँः– (i) उम्रः– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु समय–समय पर निर्धारित उम्र। (ii) शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नांतक। (iii)शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता– सीधी नियुक्ति हेतु शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता वही होंगे जो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु तत्समय निर्धारित हो। (ग) सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाः– (i) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम पुलिस अवर निरीक्षक हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के समान होगा। (घ)प्रशिक्षण–सीधी नियुक्ति के द्वारा अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से छः माह की अवधि का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उतीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना में प्रशिक्षण देने की स्थिति में उपरोक्त पदों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में छः माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। (2)(क) अग्निशामालय उपाधिकारी (सब–ऑफिसर) से अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति अग्निशामालय उपाधिकारी (सब–ऑफिसर) की वरीयता एवं योग्यता के आधार पर यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर महानिदेशक द्वारा की जा सकेगी । (ख) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर्मियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में आयोजित स्टेशन ऑफिसर कोर्स अथवा एन०एफ०एस०सी०, नागपुर से स्टेशन ऑफिसर कोर्स अथवा उक्त कॉलेज से फायर इंजिनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में स्टेशन ऑफिसर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे। (ग) अग्निशामालय उपाधिकारी (सब–ऑफिसर) की कोटि से प्रोन्नत अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। (घ) अग्निशामालय उपाधिकारी से अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में पुलिस स०अ०नि० से पुलिस अ०नि० की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। (ड.) अग्निशामालय उपाधिकारी से अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। (च) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी की पदस्थापना अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालयों में

	अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर अथवा अन्य दमकल केन्द्रों में की जा सकेगी, किन्तु निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी आवश्यकतानुसार इनका पदस्थापन किसी भी स्थान पर कर सकेंगे । (3) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा, यदि वे पूर्व में इस परीक्षा को उतीर्ण नहीं किये हों, उत्तीर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व पर्षद द्वारा अराजपत्रित कर्मियों के लिए आयोजित लेखा विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा। (4) (क) अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की सेवा परिवीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सम्पुष्टि की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधिउतनी अवधि तक, जितना महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी। (ख) प्रोन्नति द्वारा अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी की सेवा सम्पुष्टि विभागीय परीक्षा, यदि वे इस पद पर प्रोन्नति से पूर्व उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न किए हों, उत्तीर्ण करने के पश्चात् की जा सकेगी।
03.अग्निशामालय उपाधिकारी (सब–ऑफिसर)	(क) यह पद प्रधान अग्निक एवं प्रधान अग्निक चालक का प्रोन्नति का पद होगा। (ख) अग्निशामालय उपाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर्मियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में (नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सम्बद्ध होने पर) अथवा एन०एफ०एस०सी०, नागपुर से सीधे या उनकी मान्यता प्राप्त संस्थान से सब–ऑफिसर कोर्स का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में सब–ऑफिसर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा, जिसका अनुमोदन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन समिति द्वारा करा लिया जाएगा जो इस निमित्त प्राधिकृत है। इसके अतिरिक्त इस पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद हेतु तत्समय यथानिर्धारित नियम लागू होंगे। (ग) प्रधान अग्निक एवं प्रधान अग्निक चालक से अग्निशामालय उपाधिकारी(सब–ऑफिसर)के पद पर प्रोन्नति उक्त प्रशिक्षण में उत्तीर्णता एवं प्रधान अग्निक एवं प्रधान अग्निक चालक की संयुक्त वरीयता सूची–सह–योग्यता के आधार पर यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी। (घ) प्रधान अग्निक/प्रधान चालक की कोटि से प्रोन्नत अग्निशामालय उपाधिकारी(सब–ऑफिसर)की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। (ड.) प्रधान अग्निक/प्रधान अग्निक चालक से अग्निशामालय उपाधिकारी(सब–ऑफिसर)के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष कोटि के पद के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
(ग) <u>अग्निक संवर्ग</u>–	
01. प्रधान अग्निक	(क)यह प्रोन्नति का पद है। (ख) प्रधान अग्निक के पद पर प्रोन्नति हेतु संबंधित कर्मियों की मूल पद पर नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक होगा। (ग) इस पद हेतु योग्य अग्निकों को यथा विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रधान अग्निक में प्रोन्नति दी जा सकेगी । (घ) प्रधान अग्निक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिए वरीयता क्रम में अग्निक को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार तत्समय निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अवधि का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा अथवा तत्समय महानिदेशक के अन्य निदेश के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्ति के बाद योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । संबंधित परीक्षा के प्रारूप का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य

	के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (ड.)अग्निक की कोटि से प्रोन्नत प्रधान अग्निक की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी । (च) अग्निक से प्रधान अग्निक के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में सिपाही से हवलदार की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। (छ) अग्निक से प्रधान अग्निक के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
02. प्रधान अग्निक चालक	(क) यह प्रोन्नति का पद है। (ख) प्रधान अग्निक चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु संबंधित कर्मियों की मूल पद पर नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक होगा। (ग) इस पद हेतु योग्य अग्निक चालकों को यथा विहत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रधान अग्निक चालक में प्रोन्नति दी जा सकेगी । (घ) प्रधान अग्निक चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिए वरीयता क्रम में अग्निक चालक को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार तत्समय निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं अवधि का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा अथवा तत्समय महानिदेशक के अन्य निदेश के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्ति के बाद योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। संबंधित परीक्षा के प्रारूप का निर्धारण निदेशक के परामर्श से प्राचार्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (ड.) अग्निक चालक की कोटि से प्रोन्नत प्रधान अग्निक चालक की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी। (च) अग्निक चालक से प्रधान अग्निक चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु अन्य नियम पुलिस विभाग में सिपाही चालक से हवलदार चालक की कोटि में प्रोन्नति संबंधी तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे। (छ) अग्निक चालक से प्रधान अग्निक चालक के पद पर प्रोन्नति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम लागू होंगे।
03. अग्निक	(1) यह सीधी नियुक्ति का पद है। (2) इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अधियाचना प्रशासी विभाग को प्रेषित की जा सकेगी। विभाग द्वारा सहमति प्रदान करने के उपरांत इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) पटना या सरकार द्वारा आदेशित अन्य चयन प्राधिकार को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्राधिकार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में महानिदेशक के आदेश से निदेशक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। (3) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्त्ताएँ:– सीधी नियुक्ति हेतु अहर्त्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया पुलिस (सिपाही) हेतु निर्धारित अहर्त्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के समान होगी। (4) सीधी नियुक्ति के द्वारा अग्निक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से छः माह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में छः माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। (5) अग्निक की कोटि में परिवीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष होगी । (6) अग्निक के पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा उतीर्ण करना होगा। (7)अग्निक के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त कर्मी की सेवा सम्पुष्टि परिवीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात की

	जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि उतनी अवधि का जितना महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी। (8)अग्निकों की आवश्यकता **पूरा करने हेतु तत्काल अस्थायी व्यवस्था के तहत गृहरक्षकों को अग्निशमन का प्रशिक्षण देकर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, परन्तु इस प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थायी नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।**
04. अग्निक चालक	(1) यह सीधी नियुक्ति का पद है। (2) इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु महानिदेशक द्वारा अधियाचना प्रशासी विभाग को प्रेषित की जा सकेगी। विभाग द्वारा इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), पटना या सरकार द्वारा आदेशित अन्य चयन प्राधिकार को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्राधिकार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में महानिदेशक के आदेश से निदेशक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। (3) सीधी नियुक्ति हेतु अहर्त्ताएँः– सीधी नियुक्ति हेतु अहर्त्ताएँएवं चयन प्रक्रिया पुलिस चालक (सिपाही चालक) हेतु निर्धारित अहर्त्ताएँ, पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया के समान होगी। (4) सीधी नियुक्ति के द्वारा अग्निक चालक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना से छः माह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण प्राचार्य, अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा, पटना के परामर्श से महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिहार अग्निशमन सेवा की विभिन्न ईकाइयों में छः माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा। (5) अग्निक चालक की कोटि में परिवीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष होगी । (6) अग्निक चालक के पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। (7) अग्निक चालक के पद पर सीधी नियुक्ति के द्वारा नियुक्त कर्मी की सेवा सम्पुष्टि परिवीक्षा अवधि, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि उतनी अवधि का जितना महानिदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा उचित समझें, बढ़ाई जा सकेगी।

(ग) गैर वर्दीधारी पद

समूह– "ग"

1. आशुलिपिक संवर्ग–	
01. प्रधान आशुलिपिक	यह प्रोन्नति का पद होगा। आशुलिपिक–ग्रेड–I का पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुलिपिक–ग्रेड–I से प्रधान आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
02. आशुलिपिक–ग्रेड–I	यह प्रोन्नति का पद होगा। आशुलिपिक–ग्रेड–II का पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुलिपिक–ग्रेड–II से आशुलिपिक–ग्रेड–I के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
03. आशुलिपिक–ग्रेड–II	यह प्रोन्नति का पद होगा। आशुलिपिक–ग्रेड–III का पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर आशुलिपिक–ग्रेड–III से आशुलिपिक–ग्रेड–II के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
04. आशुलिपिक–ग्रेड–III	यह सीधी नियुक्ति का पद होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य मापदंड लागू होगा। इन पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी । आशुलिपिक संवर्ग के मूल पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा, यदि वे पूर्व में इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किये हों, उत्तीर्ण करना

	होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व पर्षद द्वारा अराजपत्रित कर्मियों के लिए आयोजित लेखा विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा।
2. अनुसचिवीय संवर्ग–	
01. कार्यालय पर्यवेक्षक	यह प्रोन्नति का पद होगा। प्रधान लिपिक का पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रधान लिपिक से कार्यालय पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।
02. प्रधान लिपिक	यह प्रोन्नति का पद होगा। उच्च वर्गीय लिपिक का पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उच्च वर्गीय लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।
03. उच्च वर्गीय लिपिक	यह प्रोन्नति का पद होगा। निम्न वर्गीय लिपिक का पारस्परिक वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।
04. निम्न वर्गीय लिपिक	यह सीधी नियुक्ति का पद होगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य मापदंड लागू होगा। इस पद पर नियुक्ति कर्मचारी चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। इस पद के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पद पर बिहार अग्निशमन सेवा के चतुर्थ वर्गीय संवर्ग (समूह–'घ') के कार्यरत कर्मी, जो इस पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते है, के संयुक्त वरीयता क्रम से महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। अनुसचिवीय संवर्ग के मूल पद पर नियुक्त कर्मियों को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा, यदि वे पूर्व में इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किये हों, उत्तीर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व पर्षद द्वारा अराजपत्रित कर्मियों के लिए आयोजित लेखा विषय की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगा।
परिचारी (विशेष)संवर्गः–	
इन पदों के विरूद्ध राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की जा सकेगी तथा आवश्कतानुसार इन पदों पर सरकार के प्रावधानों के आलोक में आउटसोर्सिंग (Outsourcing) से भी सेवा प्राप्त की जा सकेगी।	

गैर संवर्गीय पदः–

01. राज्य अग्निशमन परामर्शी एवं सलाहकार	(क) अधिनियम की धारा–2 (क एवं च) एवं धारा–32 के अन्तर्गत इस पद पर सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक को यदि ऐसा विश्वास हो कि सीधी नियुक्ति कालसाध्य होगा अथवा अन्यथा कारणों से भी, तो उक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रशासी विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। महानिदेशक से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप विभाग द्वारा एतद् संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा । संविदा पर चयन प्रथमतः 3 वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिये होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 67 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार, उनके कार्यों के समीक्षा के उपरान्त, किया जा सकेगा। संविदा पर चयन की प्रक्रिया एवं अन्य नियम वही होंगे, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित है एवं अपेक्षित अर्हताएँ वहीं होगी, जो नियमावली में इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

(ख) अहर्ताएं:–

(i) उम्र (सीधी नियुक्ति हेतु):–**न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा नहीं होगी।**

उम्र (संविदा पर चयन हेतु):–**न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा नहीं होगी।**

(ii) आर्हता:–**न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ तकनीकी योग्यता अग्निशमन अभियंत्रिकी में स्नातक अथवा एम0आई0 अग्निशमन अभियंत्रिकी या समकक्ष।**

(iii)अन्य योग्यता– अग्निशमन उपकरणों एवं साधित्रों का विशिष्टियाँ निर्धारण का ज्ञान एवं तत्संबंधी संचालन गतिविधियों का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव।

(ग) सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:–

(i) बिहार लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

(ii) अग्निशमन परामर्शी एवं सलाहकार पद पर नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जाएगा।

(iii) चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत् होगा:–

(क) शैक्षणिक अहर्ता – अधिकतम 50 अंक

(ख) कार्यानुभव – अधिकतम 20 अंक

(ग) साक्षात्कार – अधिकतम 30 अंक

(iv) शैक्षणिक अहर्ता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:–

क्रमांक	योग्यता	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2	इन्टरमीडिएट (2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
4	कुल	50 अंक	38 अंक	26 अंक

(v) 10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए दो अंक अधिकतम 10 अंक प्रदान किये जायेंगे।

अध्याय–III

अनुशासन, कर्तव्य एवं दायित्व
अधिनियम की धारा–4,5(क) एवं 12

6. **महानिदेशक** के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारी एवं कर्मी विनिर्दिष्ट कर्तव्य एवं उतरदायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(क) महानिदेशक के दिशा–निर्देश में थाना स्तर तक समुचित अग्निशमन यंत्रों एवं अग्निकों हेतु उपयुक्त सुरक्षा किटों का क्रय, परियोजना एवं अनुरक्षण।

7. **निदेशक:**–महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्याधीन रहते हुए अग्निशमन सेवा के कार्य चालन, अनुशासन एवं प्रशासन संबंधी सम्पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा, जिसके अन्तर्गत इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा–

(क) अग्नि सुरक्षा से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जान–माल एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु करना ।

(ख) अग्निशमन के समस्त उपकरणों, मशीनरी और साधित्रों का प्रबंधन ।

(ग) अग्नि प्रशिक्षण अकादमी का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण।

(घ) व्यक्तियों एवं घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का संप्रेक्षण ।

(ड.) पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बीच कार्यों का बँटवारा ।

(च) विधियों, आदेशों तथा कार्यवाहियों की प्रक्रियाओं का यथाविहित निस्तारण ।

(छ) कार्यपालिका विवरण के सभी विषयों या उसके अधीन अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों के कर्तव्य निष्पादन एवं अनुशासन बनाए रखना तथा उन विषयों को विनियमित करना।

(ज) अग्नि निवारण के प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराना ।

8. **अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी:–**

(क) इनके द्वारा राज्य अग्निशनम सेवा के मुख्यालय स्तर पर निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग किया जाएगा।

(ख) इनका दायित्व अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन विंग प्रभारी, लेखा एवं प्रशासन विंग प्रभारी, तथा प्रशिक्षण एवं अभियान प्रभारी के रूप में होगा।

(ग) अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण एवं क्रय संबंधित प्रक्रिया में निदेशक का सहयोग करना ।

(घ) निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के अवकाश में या अन्य कर्त्तव्य पर रहने पर ये उनके प्रभार में रह कर निर्धारित कर्त्तव्य निर्वहन कर सकेंगे ।

9. बिहार अग्निशमन सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारियों एवं कर्मियों,नियम 6, 7 एवं 8 में वर्णित पदाधिकारियों को छोड़ कर,का कर्तव्य एवं जबावदेही अनुसूची–'क' के अनुसार होगी, जिसमें परिवर्तन का अधिकार निदेशक के परामर्श से महानिदेशक को होगा ।

10. **मानक संचालन प्रक्रिया:**–अग्निशामालय पदाधिकारी एवं कार्य संचालन सदस्य अनुसूची–'ख' के अनुसार अग्निशमन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर कर्त्तव्य निर्वहन करेंगे।

11. अधिनियम (बिहार अधिनियम 6,2014) की धारा 14,15,16,एवं धारा 61 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्य भारतीय दंड सहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा–21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे एवं उन्हें पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक की शक्तियाँ एवं संरक्षण प्राप्त होंगे। साथ ही, बिहार राज्य के सभी सर्वमान्य नियम बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्यों पर लागू होंगे। मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली में सरकार दवारा समय–समय पर किये गए संशोधित उपबंध एवं यथाविहित परिवर्तन बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्यों तक विस्तारित होंगे ;

12. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा राज्य के आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई होगी, जिसका विस्तारण बाध्यकारी रूप से राज्य के सभी अग्नि आपदाओं के राहत एवं बचाव के अलावे आपदा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों तक होगा।

13. अधिनियम (बिहार अधिनियम 6,2014) की धारा 17 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा समुदाय की अनिवार्य एवं विशेष सेवा होगी। अग्निशमन सेवा के सभी कर्मी हमेशा कर्तव्य पर माने जायेंगे।

अध्याय–IV

अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय

(अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–छ के अधीन)

14. अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध (विंग):–निदेशालय स्तर पर निदेशक के नियंत्रणाधीन एक अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (विंग) कार्यरत होगा, जिसमें एक (01) अपर निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01) उप निदेशक–सह–प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01)सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01) जिला अग्निशमन पदाधिकारी, एक (01) सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सदस्य होंगे। इसके अलावे, अग्निशमन परामर्शी एवं अग्निशमन सलाहकार इस स्कंध के सदस्य होंगे। महानिदेशक उपलब्धता के आधार पर वास्तुविद परामर्शी एवं सलाहकार तथा विधिक परामर्शी एवं सलाहकार को इस स्कंध के सदस्य के रूप मनोनीत कर सकेंगे। विंग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य निष्पादन बैठक में कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। भविष्य में आवश्यकता होने पर ऐसे विंगों का विस्तारण अग्नि क्षेत्र (राजस्व प्रमंडल) एवं अग्नि प्रमंडल (राजस्व एवं पुलिस जिला) स्तर पर किये जाने का निर्णय महानिदेशक द्वारा लिया जा सकेगा। इस स्कंध का निम्न दायित्व होगा:–

(क) भवन निर्माण की अग्नि निवारण एवं सुरक्षा योजना का निरीक्षण एवं तत्संबंधी प्रमाणपत्रों का निर्गमन की अनुशंसा।

(ख) राष्ट्रीय भवन संहिता, बिहार भवन उपविधि एवं अन्य विहित विधि के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा एवं निवारण नियमों का अनुपालन, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक विहित कार्रवाई एवं दंडों के अधिरोपण की अनुशंसा ।

(ग) अग्नि निवारण एवं सुरक्षा के नवीन नियमों एवं वैज्ञानिक विधियों का अन्वेषण एवं अनुसंधान संबंधी नीति निर्माण की अनुशंसा।

(घ) अग्नि निवारण एवं सुरक्षा सम्बन्धी सभी न्यायालय संबंधी कार्य।

(ड.) अग्नि निवारण एवं सुरक्षा संबंधी आपदा न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का निरूपण एवं संपादन।

(च) स्थानीय प्राधिकार या अन्य सांविधिक प्राधिकार के अनुरोध पर अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध अधिभोक्ताओं को सुरक्षा के लिए भवन/परिसर में अंतर्विष्ट किये जाने वाले अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपाय किये जाने का परामर्श दे सकेगा।

(छ) अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध किसी विनिर्दिष्ट तिथि को भवन मालिक या अधिभोगी को स्वयं या उनके द्वारा नियोजित वास्तुविद से अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपाय की प्रस्तुतीकरण किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ज) अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध भवन मालिक या अधिभोगी को स्वयं या उनके द्वारा नियोजित वास्तुविद को प्राप्त भवन योजनाओं में उपांतरण करने का निदेश देगा एवं 30 दिनों के अंतर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में उक्त भवन योजना नामंजूर की जा सकेगी।

(झ) **सभी व्यावसायिक एवं सार्वजनिक भवनों विशेषकर नाजुक संस्थानों यथा, अस्पतालों के लिये अग्नि सुरक्षा एवं निकास योजना (Fire Safety and evacuation plan) विकसित करना।**

15. **अग्नि निवारण एवं सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र:–**

(क)अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता:– राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग–IV के निमित्त निम्न प्रकार के भवन हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी–

(i) सभी श्रेणी के बहुमंजिले भवन (15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले) अथवा भूतल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर (किसी भी तल)

(ii) विशिष्ट भवन, जैसे– होटल, शैक्षिक, सांस्थिक, वाणिज्यिक, मर्केन्टाईल, औद्योगिक, भंडारण, जोखिम वाला भवन तथा मिश्रित अधिभोग वाले भवन जहाँ इस प्रकार के भवनों में से किसी भी भवन के किसी एक या अधिक फर्शों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो ।

(iii) शैक्षिक, सांस्थिक भवन जिसकी उँचाई 09 मीटर या उससे अधिक हो।

(iv) सभी सभा भवन

(v) भवन जिसके किसी तल पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र सभा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या चिन्हित हो ।

(vi) दो या दो से अधिक तहखाना (बेसमेंट) वाले भवन अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक तहखाना वाला भवन ।

(vii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भवन के स्वामी के द्वारा भी राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग–IV के प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त उप नियम– "क" से संबंधित सभी भवनों में राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि, नियम, आदेश में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु भवनों/परिसरों के स्वामी को उक्त भवन/परिसर हेतु निदेशक या प्राधिकृत विंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन निर्माण की तीन स्थिति में दिया जाएगा, यथा–

(i) भवन निर्माण के पूर्व औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो अग्नि आपदा से भवन को सुरक्षित बनाने हेतु सलाह माना जाएगा ।

(ii) भवन निर्माण के बाद औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिए गए सलाह के अनुपालन का जाँचोपरान्त अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(iii) अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के बाद विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए प्रमाण पत्र की विहित वैधानिक अवधि के समाप्ति बाद निर्धारित समय के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना होगा ।

(iv) निर्माण के दौरान भी निरीक्षण किया जा सकेगा जिससे कि अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन से पूर्व अग्निशाम सेवा सुनिश्चित कर पाये कि प्रावधानित अग्नि सुरक्षा के प्रबंध जिसके आधार पर निर्माण के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, के अनुरूप ही कार्य हो रहा है।

(घ) अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शुल्कः– औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र/अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्रका नवीनीकरण हेतु भवन की श्रेणी एवं सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) का कुल फर्श क्षेत्र के आधार पर चार श्रेणी में शुल्क देय होगा (अनुसूची–'ग')।

(ङ.) अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन (अनुसूची–'घ')यथा प्रावधानित एकल खिड़की क्लियरेन्स के माध्यम से अथवा तत्समय महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा ।

(च) औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

(i) भवन के स्वामी को भवन निर्माण विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार में सूचीबद्ध वास्तुविद्/अभियंता के माध्यम से भवन निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र (प्रपत्र–'ख') भवन योजना से संबंधित नक्शा, विहित चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग'), राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने, अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उपकरण में व्यय का गारंटी आदि संबंधी अन्डरटेकिंग्स (प्रपत्र–'घ') एवं निर्धारित शुल्क सहित निदेशक अथवा तत्समय प्राधिकृत पदाधिकारी के पदनाम से तत्समय प्रक्रियानुसार समर्पित करना होगा ।

(ii) भवन में आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रणाली के प्रावधान से संबंधित प्राक्कलन समर्पित करना होगा । उक्त प्राक्कलन का पाँच वर्षों के लिए 15% बैंक गारंटी इस आशय के अन्डरटेकिंग्स के साथ देना होगा कि आवश्यक

अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर स्थिति में रखा जाएगा अन्यथा उक्त बैंक गारंटी के विरूद्ध उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर रखने में अग्निशमन विभाग द्वारा व्यय किया जा सकेगा ।

(iii) संबंधित भवन योजना के नियमानुकूल पाये जाने पर आवेदक को तत्समय निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।(प्रपत्र–'ड़')

(iv) संबंधित भवन योजना में त्रुटि पाये जाने पर भवन योजना को अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं अस्वीकृति का कारण दर्शाते हुए आवेदक को पुनः विधिवत त्रुटि का निराकरण कर आवश्यक अभिलेख के साथ आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु निदेश दिया जा सकेगा।(प्रपत्र–'च') इस हेतु शुल्क पुनः देय नहीं होगा।

(v) आवेदक की जबावदेही होगी कि वे भवन निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना कार्य प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व एवं कार्य प्रगति अन्तर्गत भवन अर्धनिर्माण की स्थिति में सूचना निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रत्येक छः माह पर देंगे । (प्रपत्र–'छ')

(vi) निर्माणाधीन भवन में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गए सलाह के अनुपालन की स्थिति की जाँच निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा । जाँच में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तो के अनुपालन में कमी अथवा शर्तों से भिन्नता पाये जाने की स्थिति में भवन निर्माता को संबंधित त्रुटि सुधार हेतु लिखित निदेश दिया जाएगा।(प्रपत्र–'ज')

(छ) अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

(i) भवन निर्माण कार्य के सभी प्रकार से पूर्ण हो जाने के बाद भवन स्वामी/संबंधित पैनेलित वास्तुविद्/अभियंता द्वारा भवन निर्माण पूर्णता की सूचना बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** की उपविधि–15(2) के अन्तर्गत प्राधिकार को देने के साथ–साथ औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी दिया जाएगा।(प्रपत्र–'झ')

(ii) निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के माध्यम से औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तत्समय अन्य अग्नि सुरक्षा उपायों के आलोक में उक्त भवन में संस्थित अग्नि सुरक्षा उपायों एवं उपकरणों की जाँच की जाएगी। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषप्रद होने की स्थिति में अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा (प्रपत्र–'ञ'), अन्यथा अग्नि सुरक्षा उपायों, जिसमें उपकरणों का अधिष्ठापन भी सम्मिलित है, में आवश्यक सुधार का निदेश दिया जा सकेगा जिसका अनुपालन अनिवार्य होगा।(प्रपत्र–'ट')

(iii) भवन निर्माण पूर्णता की सूचना प्राप्ति पश्चात् भवन स्वामी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु प्राधिकार द्वारा जाँच के लिए गठित समिति में निदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी होंगे जो अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक पैसिव एवं एक्टिव अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित लिखित मंतव्य देंगे ।

(ज) औपबंधिक अथवा अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित भवन श्रेणी (Occupancy Class), ऑकुपेन्ट लोड एवं आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित विवरणी की सीमा तक के लिए ही वैध होगा। भवन श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

(झ) किसी भी प्रकार का निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, परन्तु उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो, तो महानिदेशक अथवा अग्निशमन सेवा का कोई भी प्राधिकृत सदस्य इसका संज्ञान लेगाएवं विधिवत अग्नि अंकेक्षण कर संबंधित भवन निर्माता को प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु निदेश देगा । साथ ही संबंधित निकाय/प्राधिकार को सूचित करेगा। (प्रपत्र–'ठ')

(ञ) अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरणः–

(i) निदेशक या अन्य प्राधिकृत विंग द्वारा निर्गत अग्निनिवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, उक्त प्रमाण पत्र रद्द किये जाने की दशा को छोड़कर, आवासीय भवनों (होटल आदि से भिन्न) के लिए पाँच वर्ष एवं होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान एवं अन्य सभी गैर आवासीय भवनों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जोखिम श्रेणी के भवनों के लिए तत्संबंधी वैधता दो वर्षों की होगी। अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आवासीय भवनों (होटल आदि से भिन्न) के लिए पाँच वर्ष तथा अन्य मामलों(जोखिम श्रेणी के भवन को छोड़कर) में तीन वर्ष के लिए तथा जोखिम श्रेणी के भवनों के लिए यह अवधि दो वर्षों के लिए

किया जा सकेगा, किन्तु अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि नवीनीकरण की दशा में, महानिदेशक के द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा । सिनेमा हॉल के अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii)निदेशक या अन्य प्राधिकृत विंग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के 45 दिन के पूर्व विहित प्रपत्र (प्रपत्र–'ड') में भवन मालिक या अधिभोगी आवेदित करेगा एवं निदेशक या अन्य प्राधिकृत स्कंध आवश्यक जाँच एवं निरीक्षण के पश्चात निर्धारित अग्नि निवारण एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन से संतुष्ट होकर अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीकृत करेगा।(प्रपत्र–'ढ़')

(ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र का रद्दीकरणः–

(i)भवन स्वामी/अधिभोगियों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुसार अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाये रखने में चूक होने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत प्राधिकार द्वारा लिखित आदेश से रद्द किया जा सकेगा (प्रपत्र –'ण')। आदेश की एक प्रति भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी, यथास्थिति, को निःशुल्क दी जाएगी।

(ii) अनापत्ति प्रमाण पत्र के रद्द होने की दशा में भवन का सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।

(iii) अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किये जाने की दशा में भवन मालिक अथवा अधिभोगियों द्वारा आदेश की प्रति सहित सक्षम अपीलीय प्राधिकार से 90 दिनों के भीतर अपील किया जा सकेगा, जो सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्गत आदेश की पुष्टि, उपक्रमित एवं उपांतरित कर सकेगा।(प्रपत्र–'त')

16.अग्नि निवारण और स्वयं विनियमन के लिए सामान्य उपाय :–

(क) अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** एवं बिहार भवन उप विधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अन्तर्गत अधिभोग के विभिन्न वर्गों के भवनों एवं परिसरों के लिए अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रावधानित बनावट के अनुसार निर्माण एवं उपयोग नहीं होने, अधिभोग में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील, विस्फोटक, जहरीला, उत्तेजक(Irritant), संक्षारक(Corrosive), विषैला (Toxic) सामग्रियों का निर्माण, संसाधन (Processing) भंडारण करने, पंडाल के निर्माण में IS8758:1993 का पालन नहीं होने को तथा तत्समय निर्धारित अन्य मानक का अनुपालन नहीं होने को अग्नि के खतरे का कारक माना जाएगा।

(ख) महानिदेशक द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं तत्कालिक आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित कारको को चिन्हित किया जा सकेगा।

(ग) महानिदेशक के परामर्श से सरकार द्वारा आग के खतरों के चिन्हित अन्य संबंधित कारकों को राजपत्र में घोषित किया जा सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा आग के खतरे का तात्कालिक संबंधित कारकों को दूर करने हेतु उपायों का अनुपालन करने के लिए भवनों अथवा परिसरों के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों को अथवा पंडाल निर्माता को निर्देश दिया जा सकेगा।

(ड.) अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत महानिदेशक के परामर्श से सरकार, भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों अथवा पंडाल के निर्माणकर्ता द्वारा भवन अथवा परिसर अथवा पंडाल, यथास्थिति, के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देश अधिसूचना द्वारा जारी कर सकेगी ।

17. भवनों एवं परिसरों के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु मानक :–

(क) अधिनियम की धारा 25(2), 27, 32, 34 एवं 35 के प्रयोजनार्थ भवन एवं परिसर के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** एवं अन्यविधि के अन्तर्गत निर्धारित मानक लागू होंगे ।

(ख) भवन एवं परिसर के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु न्यूनतम मानक का अनुपालन संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों के द्वारा स्वयं किया जाएगा। अनुपालन की स्थिति से संबंधित जानकारी स्वमूल्यांकन प्रपत्र–'थ' में निर्धारित अन्तराल पर संबंधित अग्निशामालय पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। स्वमूल्यांकन प्रपत्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन निदेशक द्वारा किया जा सकेगा ।

18.पंडाल के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु मानकः–

(क) अधिनियम की धारा– 25,26 एवं 27 के प्रयोजनार्थ पंडाल के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित IS 8758:1993 एवं अन्य विहित विधि के अन्तर्गत निर्धारित मानक लागू होंगे जिसका अनुपालन संबंधित पंडाल का निर्माण कर्ता स्वयं करेगा।(अनुसूची–'ड़')

(ख) अधिनियम की धारा– 26 (2) के प्रयोजनार्थ पंडाल सुरक्षा संबंधी घोषणा पत्र,पंडाल निर्माता संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी को समर्पित करने के साथ–साथ पंडाल के द्वार एवं अन्य दृश्यमान मुख्य स्थल पर प्रदर्शित करेगा।(प्रपत्र–'द')

(ग) **(i) 1000 वर्ग फीट तक के पंडाल से संबंधित पंडाल निर्माता के घोषणा पत्र की सत्यापन निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य नहीं होगा।**

(ii) 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक के पंडाल से संबंधित पंडाल निर्माता के घोषणा पत्र की सत्यापन निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(iii) 5001 वर्ग फीट से उपर के पंडाल से संबंधित पंडाल निर्माता के घोषणा पत्र की सत्यापन निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा करवाना अनिवार्य होगा।

(iv) अग्नि सुरक्षा उपाय में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर पाई गई कमियों को दूर करने अन्यथा निर्धारित अवधि के बाद पंडाल को सील कर देने संबंधी नोटिस दिया जाएगा।(प्रपत्र–'ध')

पंडाल निर्माता के द्वारा उक्त घोषणा पत्र बिहार अग्निशमन सेवा के वेवसाईट पर भी अपलोड किया जा सकता है।

(घ)बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें हजारों व्यक्तियों के रहने एवं खाने, टेन्ट सिटी एवं लंगर का प्रबंध होता है, के तैयारी के समय ही अग्नि सुरक्षा प्रबंध यथा–टेन्ट में प्रयोग होने वाला कपड़ा आदि का फायर retardant सोलुशन के माध्यम से सुरक्षित करना, ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की सुरक्षित अधिष्ठापन से संबंधित कार्य भी निविदा का ही भाग होगा। ऐसे आयोजन में अग्निशाम सेवा एवं ऊर्जा विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

19. अग्निशमन की किसी बाधा अथवा आग के जोखिम के संभावित कारक के रूप में अतिक्रमण अथवा वस्तु अथवा माल को हटाया जानाः–

(क) अधिनियम की धारा– 27 के अन्तर्गत निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी को प्रतीत होता हो कि किसी भवन अथवा परिसर अथवा पंडाल अथवा आस–पास आग की जोखिम के संभावित कारक के रूप में किसी वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण से अग्निकाण्ड होने अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है,तो उक्त भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता अथवा उक्त वस्तु एवं माल के स्वामी को उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर हटाने का निर्देश देगा।(प्रपत्र–'न')

(ख) भवन अथवा परिसर के स्वामी, अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता के द्वारा निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुमडल दण्डाधिकारी से विधिक कार्रवाई करने हेतु सूचना दी जाएगी।(प्रपत्र–'प')

(ग)अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा उक्त भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल के निर्माता को युक्तियुक्त आदेश देते हुए कारण पृच्छा की जा सकेगी।(प्रपत्र–'फ')

(घ) संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता का कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित अतिक्रमण अथवा माल अथवा वस्तु अथवा पंडाल को सूचीबद्ध करते हुए अधिग्रहण, निरूद्ध अथवा हटाने का आदेश किसी लोक सेवक अथवा कर्मी को दे सकेगा।(प्रपत्र–'ब')

(ड.) उक्त आदेश के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा अधिग्रहण हेतु उन वस्तुओं को और माल की सूची के अनुसार जप्ती सूची बनवाया जाएगा एवं उस स्थान, जहाँ वह उचित समझे, जप्त माल एवं वस्तुओं को रख सकेगा।(प्रपत्र–'भ')

(च) तत्पश्चात जब्त किए गए सामानों को उस स्थान से जहाँ उन्हें जप्ती के पश्चात रखा गया है, से हटाने संबंधी आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं करने पर नीलामी कर देने का नोटिस दिया जाएगा । नोटिस का जवाब नहीं मिलने अथवा असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उक्त वस्तु/माल को नीलाम करते हुए राशि का विधिवत निपटारा किया जाएगा।(प्रपत्र–'म')

(छ) अनुमंडल दण्डाधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।(प्रपत्र–'य') अपील हेतु शुल्क का दर अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा ।

20.<u>अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रशिक्षणः–</u>

(क) अधिनियम की धारा–29 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रावधानित भवनों अथवा परिसरों को संबंधित निकाय/प्राधिकार के साथ–साथ अग्निशमन विभाग के द्वारा भी चिन्हित जाएगा एवं अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक अथवा उपेक्षा की जाँच की जाएगी।

(ख) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निदेशक या नामित प्राधिकार चिन्हित भवन या परिसर के मालिक अथवा अधिभोगी अथवा मालिक एवं अधिभोगी के संघ को नोटिस कर नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की अपेक्षा कर सकेगा (प्रपत्र–'र')।

(ग) अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत जिस भवन/परिसर के अधिभोगी अथवा उनके संघ के द्वारा नियुक्त किये गए अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी जो राष्ट्रीय अग्नि सेवां महाविद्यालय, नागपुर अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था से पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हों, वे अगर अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते हैं, तो संबंधित भवन/परिसर के अधिभोगी अथवा उनके संघ को संबंधित प्रशिक्षण हेतु, निदेशक अथवा नामित प्राधिकार द्वारा नोटिस दिया जायेगा (प्रपत्र–'र')।

(घ) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नोटिस के बाद भी अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक करने की दशा में निदेशक या महानिदेशक द्वारा नामित प्राधिकार संबंधितों से अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (2) के आलोक में दण्ड अधिरोपित करने हेतु नोटिस देगा (प्रपत्र–'ल')।

(ङ) अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक अथवा उपेक्षा करने वाले भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ से अधिनियम की धारा–31 की उप धारा–2 के अधीन निर्धारित दर पर अधिनियम की धारा–31 की उपधारा–3 के आलोक में अधिरोपित दण्ड की वसूली संबंधित क्षेत्र के निकाय अथवा प्राधिकार द्वारा भू–राजस्व बकाया के रूप मे किया जाएगा।

(च) अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध नहीं कराने अथवा अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में प्रशिक्षण हेतु नामांकन नहीं कराने की स्थिति में प्रति माह 5,000 हजार रूपये दण्डशुल्क वसूलनीय होगी। उक्त शुल्क की वसूली संबंधित क्षेत्र के नगर निकाय/प्राधिकार के द्वारा की जाएगी।

(छ) अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्राचार्य के परामर्श से महानिदेशक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अनुसूची में निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के आधार पर होगा। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रायोजक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जायेगा।

21.<u>अग्निशमन परामर्शीः–</u>

(क) अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति को भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा परामर्श हेतु अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण किया जा सकेगा। निदेशक द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। (अनुसूची–'छ')

(ख) विभिन्न श्रेणी के भवन अथवा परिसर के सभी मंजिलों के कुल फर्श क्षेत्र एवं भवन की श्रेणी के आधार पर परामर्श शुल्क का निर्धारण निदेशक के परामर्श से महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) अग्निशमन परामर्शी के द्वारा भवन योजना में अग्नि सुरक्षा प्रावधान, भवन निर्माण/भवन निर्माण पूर्णता के क्रम में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन में वांछित प्रावधान करने, भवनों का अग्नि ऑडिट प्रतिवेदन आदि

पर परामर्श दिया जा सकेगा। उनके प्रमाण पत्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

22.अग्नि अंकेक्षणः–

(क)अधिनियम की धारा–33 एवं 43 (1) के अन्तर्गत भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता, अपर्याप्ता अथवा उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी को भवन अथवा परिसर का निरीक्षण हेतु अग्निशामालय पदाधिकारी एवं उनसे वरीय पदाधिकारी के द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा।

(प्रपत्र–'व') नोटिस का तामिला व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मन तामिला के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा ।

(ख) अधिनियम की धारा–33 एवं 43(2)(3) के अंतर्गत भवनों का अग्नि अंकेक्षण राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित**, बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों के आलोक में किया जा सकेगा। विभिन्न श्रेणी के **भवनों में सर्वप्रथम अस्पतालों तथा उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों का प्राथमिकता के आधार पर अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट) कराया जाए।** उक्त श्रेणी के भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के आलोक में किया जा सकेगा। साथ ही निदेशक की सहमति से संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी को अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता का जवाबदेही लेने तथा उसे दूर करने हेतु सलाह (विहित प्रपत्र–'श' में) दिया जा सकेगा। तत्संबंधी प्रपत्र में निदेशक द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(ग) पुराने विद्यमान भवन–अधिनियम की धारा 33,34,35 एवं 43 (1)(2)(3) के अधीन पुराने भवन, जिसमें अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो, उसमें न्यूनतम अग्नि सुरक्षा उपाय करने हेतु निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिये गये परामर्श का अनुपालन करना संबंधित भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ के लिए अनिवार्य होगा (अनुसूची–ज) ।

(घ)अधिनियम की धारा–34, 35 एवं 43 (2) के अन्तर्गत निदेशक द्वारा भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण के बाद अथवा अग्निशामालय पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में अपर्याप्तता के संबंध में अपनी राय अभिलिखित करते हुए भवन अथवा परिसर के स्वामी को संबंधित जिम्मेवारी लेते हुए न्यायसंगत समयावधि के अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करने संबंधी नोटिस देगा।(प्रपत्र–'ष')

(ङ)अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत उपरोक्त उप नियम–''ख'' के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा।(प्रपत्र–'स')

(च)अधिनियम की धारा–36 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्रति अपील 1000 रूपये अपील शुल्क के रूप में देय होगा, जो बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चलान के माध्यम से निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पदनाम से भुगतेय होगा।

(छ) भवन निर्माण के बाद भवन स्वामी अथवा अधिभोगियों को भवन/परिसर हस्तगत कराने के वक्त संबंधित भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जबावदेही भवन निर्माता की होगी। इस संबंध में त्रुटि पाए जाने पर भवन निर्माता के विरूद्ध तत्समय प्रवृत्त विधि एवं नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

(ज)भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को बनाए रखे जाने की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार एपार्टमेन्ट ऑनरशिप एक्ट, 2006 के अन्तर्गत भवन स्वामी/अधिभोगियों/अधिभोगियों के संघ (Association) की होगी ।

(झ) उपरोक्त उपनियम–''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा–37 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई, अधिनियम की धारा–44 के अन्तर्गत भवन अथवा परिसर को खाली करने, सील करने का नोटिस (प्रपत्र–'ह'), भवन अथवा परिसर को सील करने की कार्रवाई (प्रपत्र–क्ष')तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** की उपविधि–16 (7) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत

संबंधित भवन अथवा परिसर को असुरक्षित घोषित किए जाने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई हेतु संबंधित निकाय अथवा प्राधिकार को लिखित रूप से प्रतिवेदन समर्पित किया जा सकेगा (प्रपत्र–'त्र')। साथ ही तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियम/नियममें निर्दिष्ट प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत अथवा प्रशासनिक आदेश के आलोक में विधि के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी ।

(ञ)बहुमंजिली भवनों के स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा वांछित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं करने पर भवन स्वामी/अधिभोगियों अथवा दोनों के विरूद्ध सामुहिक जुर्माना किया जाएगा जो भवन की अग्नि संवेदनशीलता श्रेणी के आधार पर औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क का दोगुना होगा ।

(ट) भवन/परिसर के स्वामी द्वारा भवनों का अग्नि अंकेक्षण अग्निशमन सेवा द्वारा पंजीकृत अग्निशमन परामर्शी से अथवा अग्निशमन सेवा के प्राधिकृत पदाधिकारी से पूर्व निर्धारित दर पर करवाया जा सकेगा ।

23. <u>अग्नि पर काबू पाने के लिए जल की पर्याप्त एवं अबाध आपूर्ति</u>:–

(क)जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन के साथ–साथ पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखना होगा, इस हेतु पहले सतही जल श्रोत (Surface Water Source) यथा– नदी, तालाब एवं कुआँ आदि के जल का ही प्रयोग किया जाएगा । उक्त जल श्रोतों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में ही भुमिगत जल श्रोत (Ground Water Source) का उपयोग किया जाएगा।

(ख) तत्समय प्रवृत किसी अधिनियम अथवा नियमावली के प्रतिकूल होते हुए भी निदेशक कम से कम 100मिमि व्यास के हाईड्रेन्ट को सार्वजनिक या निजी जलश्रोत के सामरिक अवस्थनों (Strategic Location) पर वहाँ के क्षेत्राधिकार वाले ऐसे प्राधिकार से इसकी अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) हाईड्रेन्ट पर जल का दबाब 3.5 बार से कम नहीं होगा।

(घ) प्रत्येक हाईड्रेन्ट एवं जलश्रोतों के आकार को उपदर्शित किये जाने वाला पहचान प्लेट संबंधित भवन, परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा लगाया जायेगा एवं ऐसे सभी हाईड्रेन्ट एवं जलश्रोतों का अनुरक्षण सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा की जाएगी।

(ङ) ग्राम/पंचायत स्तर पर जल स्त्रोतों (सार्वजनिक एवं निजी जल स्त्रोतों सहित) की पहचान तथा समुचित स्थलों पर मोटर पम्पों के माध्यम से, आग लगने पर, जल की व्यवस्था करने हेतु पंचायतों के साथ समन्वय।

(च) सभी सरकारी एवं सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन हेतु अबाध जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

24. अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन :–भवन निर्माण कार्य में संलग्न विभागों/इकाईयों जैसे–भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम इत्यादि में अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जा सकेगा। सभी विभागों के लिए एक ही संवर्ग होगा, जिसका गठन एवं नियंत्रण अग्निशमन सेवा के द्वारा किया जा सकेगा। अग्निशमन सेवा के सदस्य संबंधित विभाग/इकाई में प्रतिनियुक्त किये जा सकेंगे। इस कोषांग द्वारा नागरिकों एवं निर्माणकर्त्ताओं को भवन निर्माण के समय अग्नि सुरक्षा पर तकनीकी परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन एवं कार्य के संबंध में महानिदेशक द्वारा यथाआवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा ।

25. अग्निशमन प्रतिवेदन:–

(क) प्रत्येक अग्निकाण्ड संबंधी अग्निशमन प्रतिवेदन अग्निशमन के पश्चात् **न्यूनतम 5 कार्य दिवस और अधिकतम 10 कार्य दिवसों में** बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने वेवसाईट पर प्रकाशित किया जा सकेगा।

(ख) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अग्निशमन निदेशालय से अथवा महानिदेशक के द्वारा तत्समय निदेशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय से कार्यावधि के अंदर यह प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेगा। (प्रपत्र–ज्ञ)

(ग) निर्गत अग्निशमन प्रतिवेदन में यदि भवन मालिक अथवा अधिभोगी किसी संशोधन की इच्छा रखता है, तो कारण सहित सक्षम प्राधिकार को घटना के 15 दिनों के अन्दर आवेदन दे सकेगा (प्रपत्र–क–1)। सक्षम प्राधिकार, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर, लिखित कारण सहित आवेदन को स्वीकार कर अग्निशमन प्रतिवेदन में सुधार कर सकेगा अथवा आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा।

अध्याय–V

अग्निशमन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

26. अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों सहित सभी भवनों से प्राधिकार द्वारा प्रभारित सम्पत्ति कर का ढ़ाई प्रतिशत की दर से अथवा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से अधिभार, अग्निशमन कर के रूप में, कर वसूली से सम्बंधित निकाय/प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

27.(क) अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1), धारा 33,34,35 एवं 43(2)(3)तथा नियमावली का नियम 15(घ) एवं 22(ट) के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी सरकारी, अर्धसरकारी एवं अन्य उपक्रमों के भवनों तथा गैरसरकारी भवनों का औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र,अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण, वार्षिक अग्नि अंकेक्षण एवं अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उद्ग्रहण अनुसूची 'ग' में निर्धारित शुल्क के दर पर करेगा ।

(ख) निर्धारित शुल्क दर में परिवर्तन सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा । शुल्क वसूली सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा सकेगा ।

(ग) शुल्क की अदायगी निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चालान के माध्यम से की जा सकेगी ।

28.(क) अधिनियम की धारा 22 के उपधारा–01 के अंतर्गत राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों को आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किये जाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा (**अनुसूची–झ**) । तैनाती शुल्क के भुगतान के संबंध में संबंधित प्राधिकार को **प्रपत्र–ख–1** में मांग पत्र दिया जा सकेगा।

(ख) निर्धारित शुल्क दर में सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(ग) शुल्क की अदायगी निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चालान के माध्यम से की जा सकेगी।

(घ) शुल्क की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।

29. अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत जहाँ बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों अथवा उपकरणों एवं साधित्रों अथवा दोनों का आनुपातिक आधार पर प्रतिनियुक्ति हेतु वैध समझौता लागू हो, वहाँ कोई प्रभार संभारित नहीं होगा।

30. अधिनियम की धारा 29 एवं 31 के अधीन अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने की चूक अथवा उपेक्षा की दशा में निर्धारित दर एवं विहित प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क एवं शास्ति का भुगतान स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले विहित प्राधिकार को किया जायेगा।

31. अधिनियम की धारा 30 के अधीन अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी विहित प्रावधान के अनुपालन में चूक अथवा उपेक्षा की दशा में निर्धारित दर एवं विहित प्रक्रिया के अंतर्गत शुल्क की वसूली की जा सकेगी ।

32. **व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर अविलंब प्रभार**:–किसी व्यक्ति या संस्था के अनुरोध पर किसी जन समारोह के दौरान बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों को उपकरणों एवं सधित्रों के साथ किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ अधिनियम प्रवृत्त हो, निश्चित अवधि के लिए अवलंब (Standby duty) में प्रतिनियुक्त किये जाने की दशा में प्रभार देय होगा (**अनुसूची–ञ**) ।

33. **अपराधों का शमन**:—अधिनियम की धारा 54 में उल्लेखित धाराओं तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई उपविधियों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का शमन अग्निशाम सेवा के पदाधिकारियों द्वारा निम्नवत किया जा सकेगा:—

(क) (i)जिला अग्निशमन पदाधिकारी 5000/—रू0 (पाँच हजार) सहित और तक के जुर्माना से दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा।

(ii) प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी 10000/—रू0 (दस हजार) सहित और तक के जुर्माना से दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा।

(iii) महानिदेशक एवं निदेशक द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराधों का शमन किया जा सकेगा।

(ख) (i) निर्धारित दण्ड शुल्क के सम्बन्ध में नोटिस का तामिला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सम्मन के तामिला हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुरूप की जा सकेगी ।

(ii) निर्धारित दण्ड शुल्क, निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा के पदनाम से पटना में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट, अथवा कोषागार चालान के माध्यम से जमा कराया जायेगा।

अध्याय–VI
प्रकीर्ण

34. **अपील**:– इस नियमावली के अधीन किसी पदाधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार संबंधी विशेष उपबंध नहीं होने की दशा में सूची के स्तम्भ 2 में अंकित पदाधिकारियों के आदेश के विरूद्ध अपील स्तम्भ 3 में अंकित पदाधिकारियों द्वारा सुना जा सकेगा:–

क्र0	पदाधिकारी जिनके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है।	अपीलीय प्राधिकार
1	2	3
1.	जिला अग्निशमन पदाधिकारी	उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी
2.	उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा
3.	निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा	महानिदेशक, अग्निशमन सेवा
4.	महानिदेशक, अग्निशमन सेवा	राज्य सरकार

35. **बिहार अग्निशमन सेवा कल्याण कोष**:–बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कल्याणार्थ बिहार अग्निशमन सेवा हितकारी कोष का गठन किया जायेगा, जिसका संचालन महानिदेशक द्वारा तत्संबंधी बनाये गए उपविधियों (By-laws) के अनुसार किया जाएगा।

36. **प्रशासनिक अनुदेश**:–महानिदेशक, सरकार की पूर्वानुमति के उपरांत सेवा से संबंधित सभी विषयों के सम्बन्ध में विहित रूप से प्रशासनिक अनुदेश समय–समय पर आवश्यकतानुसार निर्गत कर सकेंगे।

37. **निरसन एवं व्यावृत्तियाँ**:–राज्य सरकार के सभी नियम/परिपत्र एवं आदेश इस सेवा के सदस्यों के ऐसे सभी मामलों में जो इस नियम के अन्तर्गत आच्छादित न हो, हू–ब–हू लागू होंगे। अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हो, के सम्बन्ध में बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के प्रावधान लागू होंगे। इससे पूर्व के सभी नियम/आदेश/अनुदेश निरसित समझे जाऐंगे, किन्तु पूर्व में प्रवृत्त ऐसे सभी नियम/आदेश/अनुदेश के अधीन लंबित कार्रवाई जारी रहेगी, मानों यह निरसन हुआ ही नहीं हो।

ज्ञाप सं0:–6/अग्नि0से0–01–11/2017(खण्ड–III)गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2021

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6/अग्नि0से0–01–11/2017(खण्ड–III)गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2021

प्रतिलिपि :– उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6/अग्नि0से0–01–11/2017(खण्ड–III)गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2021

प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/श्री उदयकांत मिश्रा, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना/श्री पी0 एन0 राय, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6/अग्नि0से0–01–11/2017(खण्ड–III)गृ0आ0 2706 पटना, दिनांक 20 मार्च, 2021

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.03.21

सरकार के अवर सचिव

अध्याय–VII
प्रपत्र एवं अनुसूचियाँ

38. <u>प्रपत्रों का सूची</u>:–

(i) अधिनियम की धारा–10 की उपधारा–(1) के अधीन नियमावली के नियम 06 के अन्तर्गत प्रपत्र–**क** में" नियुक्ति प्रमाण पत्र" दिया जाएगा।

(ii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ख**(अनुलग्नक सहित) में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र दिया जाएगा।

(iii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ग** में भवन योजना से संबंधित नक्शा एवं विहित चेक लिस्ट आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा।

(iv) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र–**घ** में अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन करने, अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उपकरण में व्यय का गारंटी आदि संबंधी अन्डरटेकिंग्स आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा।

(v) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ङ** में औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(vi) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(iv) के अन्तर्गत प्रपत्र–**च** में भवन निर्माण योजना में त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि के निराकरण हेतु दिए जाने वाले निर्देश दिया जाएगा।

(vii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(v) के अन्तर्गत प्रपत्र–**छ** में भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य प्रगति की सूचना दिया जाएगा।

(viii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (च)(vi) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ज** में भवन निर्माणकर्ता द्वारा औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुपालन में कमी अथवा शर्तों से भिन्नता पाये जाने की स्थिति में भवन निर्माता को त्रुटि सुधार हेतु निर्देश दिया जाएगा।

(ix) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (छ)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र–**झ** में भवन निर्माण पूर्णता की सूचना अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भवन निर्माणकर्ता द्वारा दिया जाएगा।

(x) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ञ** में भवन निर्माण पूर्णता की सूचना के बाद भवन का जाँचोपरान्त औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र का शर्तों के अनुरूप निर्माण होने की स्थिति में अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन निर्माणकर्ता को दिया जाएगा।

(xi) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ट** में भवन निर्माण पूर्णता की सूचना के बाद भवन के जाँचोपरान्त औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र का शर्तों के अनुरूप निर्माण नहीं होने की स्थिति में सुधार हेतु नोटिस भवन निर्माणकर्ता को दिया जाएगा।

(xii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (झ) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ठ** में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन के स्वामी को अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु नोटिस दिया जाएगा।

(xiii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ञ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ड** में अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा।

(xiv) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ञ)(ii) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ढ** में अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाएगा।

(xv) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ण** में अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने संबंधी नोटिस दिया जाएगा।

(xvi) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत प्रपत्र–**त** में अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्दीकृत के बाद भवन मालिक अथवा अधिभोगियों द्वारा अपील किया जाएगा।

(xvii) अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–(छ) के अधीन नियमावली के नियम 17 (ख) के अन्तर्गत प्रपत्र–**थ** में भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों के द्वारा अग्निशामालय पदाधिकारी को समर्पित किए जाने वाले स्वमूल्यांकन प्रपत्र में प्रतिवेदन दिया जाएगा।

(xviii) अधिनियम की धारा–26 की उपधारा–(2) के अधीन नियमावली के नियम 18 (ख) के अन्तर्गत प्रपत्र–**द** में पंडाल निर्माता द्वारा पंडाल के द्वार तथा दृश्यमान मुख्य स्थल पर पंडाल सुरक्षा संबंधी घोषणा पत्र प्रदर्शित किया जाएगा।

(xix) अधिनियम की धारा–26 की उपधारा–(2) के अधीन नियमावली के नियम 18 (ग) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ध** में पंडाल के अग्नि सुरक्षा उपाय में कमी पाए जाने पर पंडाल निर्माता को कमियों को दूर करने अथवा पंडाल को सील कर देने संबंधी नोटिस दिया जाएगा ।

(xx) अधिनियम की धारा–27(1) के अधीन नियमावली के नियम 19 (क) के अन्तर्गत प्रपत्र–**न** में आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस दिया जाएगा ।

(xxi) अधिनियम की धारा–27(1) के अधीन नियमावली के नियम 19 (ख) के अन्तर्गत प्रपत्र–**प** में आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को विधिक कार्रवाई हेतु सूचना दिया जाएगा ।

(xxii) अधिनियम की धारा–27(2) के अधीन नियमावली के नियम 19 (ग) के अन्तर्गत प्रपत्र–**फ** में आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं किए जाने संबंधी सूचना प्राप्ति के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता से कारण पृच्छा नोटिस जारी किया जाएगा ।

(xxiii) अधिनियम की धारा–27(2) के अधीन नियमावली के नियम 19 (घ) के अन्तर्गत प्रपत्र–**ब** में आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने मे चूक होने के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा पूछे गए कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने अथवा कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाए जाने पर अधिग्रहण, निरूद्ध अथवा हटाने संबंधी अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा।

(xxiv) अधिनियम की धारा–27(4) के अधीन नियमावली के नियम 19 (ङ) के अन्तर्गत प्रपत्र–**भ** में आग की जोखिम के संभावित कारक का जप्ती संबंधी पंचनामा तैयार किया जाएगा।

(xxv) अधिनियम की धारा–27(4/5) के अधीन नियमावली के नियम 19 (च) के अन्तर्गत प्रपत्र–**म** में आग की जोखिम के संभावित कारक का जप्ती के बाद उसे रखे गए स्थान से हटाने तथा उक्त वस्तु अथवा माल को नहीं हटाने अथवा दावा नहीं करने की दशा में उक्त वस्तु अथवा माल को नीलाम कर देने का नोटिस दिया जाएगा ।

(xxvi) अधिनियम की धारा–27(6/7) के अधीन नियमावली के नियम 19 (छ) के अन्तर्गत प्रपत्र–**य** में आग की जोखिम के संभावित कारक वस्तुओं का नीलामी के विरूद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपील किया जाएगा ।

(xxvii) अधिनियम की धारा–29 के अधीन नियमावली के नियम 20 (ख) एवं अधिनियम की धारा–30 के अधीन नियम 20 (ग) के अन्तर्गत प्रपत्र–**र** में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति करने अथवा उसके प्रशिक्षण हेतु नोटिस दिया जाएगा ।

(xxviii) अधिनियम की धारा–29 एवं 31 के अधीन नियमावली के नियम 20 (घ) के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु दिए गए नोटिस के बावजूद अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक किए जाने की स्थिति में अधिरोपित दण्ड के संबंध में प्रपत्र–**ल** में नोटिस दिया जाएगा ।

(xxix) अधिनियम की धारा–33 एवं 43 (1) के अधीन नियमावली के नियम 22(क) के अन्तर्गत प्रपत्र–'**व**' में भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस दिया जाएगा ।

(xxx) अधिनियम की धारा–33 एवं 43(2)(3) के अधीन नियमावली के नियम 22(ख) के अन्तर्गत अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस। विभिन्न श्रेणी के भवनों का अग्नि अंकेक्षण **प्रपत्र–'श'** में चेक विन्दु (यथा आवश्यक परिवर्तनीय) के आधार परकिया जा सकेगा तथा उस प्रपत्र के अंत में अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता का जवाबदेही लेने एवं उसे दूर करने हेतु नोटिस दिया जा सकेगा।

(xxxi) अधिनियम की धारा–34, 35 एवं 43 (2) के अधीन नियमावली के नियम 22(घ) के अन्तर्गत स्वयं अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा किए गए अग्नि अंकेक्षण बाद भवन अथवा परिसर के स्वामी को संबंधित जिम्मेवारी लेते हुए निर्धारित अवधि के अंतर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को दूर करने हेतु निदेशक के द्वारा प्रपत्र–'ष' में नोटिस दिया जा सकेगा ।

(xxxii) अधिनियम की धारा–36 के अधीन नियमावली के नियम 22(घ) के अन्तर्गत प्रपत्र–'**स**' में अधिनियम की धारा–34 एवं 35 के अधीन भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को अग्नि सुरक्षा उपायों संबंधी दिए गए नोटिस से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा ।

(xxxiii) अधिनियम की धारा–34, 35, 37 एवं 44 एवं नियमावली के नियम 22(झ) के अन्तर्गत प्रपत्र–'**ह**' में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन स्वामी/अधिभोगी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई तथा भवन अथवा परिसर को खाली करने/सील किए जाने सबंधी भवन स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस दिया जाएगा ।

(xxxiv) अधिनियम की धारा–34, 35 एवं 44 के अधीन नियमावली के नियम 22(झ) के अन्तर्गत प्रपत्र–'क्ष' में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को खाली करने सबंधी नोटिस के बाद भवन को सील किए जाने संबंधी कार्रवाई ।

(xxxv) अधिनियम की धारा–44 के अधीन नियमावली के नियम 22(झ) के अन्तर्गत प्रपत्र–'**त्र**' में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** की उपविधि–16(7) के अन्तर्गत भवन को असुरक्षित घोषित किए जाने सबंधी भवन स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस/संबंधित निकाय अथवा प्राधिकार को विधिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन दिया जाएगा ।

(xxxvi) अधिनियम की धारा–02 (छ) के अधीन नियमावली के नियम 25(ख) के अन्तर्गत प्रपत्र–'**ज्ञ**' में भवन अथवा परिसर में अग्निकाण्ड के संबंध में अग्नि प्रतिवेदन दिया जाएगा ।

(xxxvii) अधिनियम की धारा–02 (छ) के अधीन नियमावली के नियम 25(ग) के अन्तर्गत प्रपत्र–'**क**'–**1** में भवन अथवा परिसर में अग्निकाण्ड के संबंध में दिये गये अग्नि प्रतिवेदन में संशोधन हेतु भवन मालिक अथवा अधिभोगी के द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा ।

(xxxviii) अधिनियम की धारा–22 की उपधारा–01 अधीन नियमावली के नियम 28(क) के अन्तर्गत **प्रपत्र**–'ख'–**1** में राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा की सदस्यों की आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किये जाने पर निर्धारित तैनाती शुल्क के भुगतान हेतु संबंधित प्राधिकार को मांग पत्र दिया जाएगा।

39. <u>अनुसूचियों की सूचीः–</u>

अनुसूची–**क**– अधिनियम की धारा–04, 5(क) एवं 12 के अधीन नियमावली के नियम 09 के अन्तर्गत अग्निशमन सेवा के विभिन्न संवर्गो का कर्तव्य एवं जवाबदेही ।

अनुसूची–**ख**– अधिनियम की धारा–04, 5(क) एवं 12 के अधीन नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत अग्निशामालय पदाधिकारी एवं कार्य संचालन सदस्य हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया ।

अनुसूची–**ग**– अधिनियमकी धारा–2 (छ), 20 (1),33/34/35/43(2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम 15(घ),22(ट) तथा 27(क) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण, वार्षिक अग्नि अंकेक्षण एवं अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उद्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क ।

अनुसूची–**घ**– अधिनियम की धारा–2 (छ) के अधीन नियमावली के नियम 16 (ड़) के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑन–लाईन प्रक्रिया ।

अनुसूची–**ड़**– अधिनियम की धारा–25,26 एवं 27 के अधीन नियमावली के नियम 18(क) के अन्तर्गत पंडाल एवं अस्थाई ढांचा बनाते समय अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय (भारतीय मानक ब्यूरो, आई. एस. 8758–1993) एवं अग्नि निरोधक (Fire retardant) पंडाल बनाने की प्रक्रिया/सामग्री उपलब्धता।

अनुसूची–**च**– अधिनियम की धारा–30 के अधीन नियमावली के नियम 20(छ) के अन्तर्गत अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क।

अनुसूची–**छ**– अधिनियम की धारा–32 के अधीन नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत अग्निशमन परामर्शी के पंजीकरण हेतु नियम/आवेदन/शुल्क आदि ।

अनुसूची–**ज**– अधिनियम की धारा–33,34,35 एवं 43(1)(2)(3) के अधीन नियमावली के नियम 22 (ग) के अन्तर्गत पुराने भवनों में न्यूनतम अग्नि सुरक्षा उपाय संबंधी परामर्श।

अनुसूची–**झ**– अधिनियम की धारा–22(01) के अधीन नियमावली के नियम 28 (क) के अन्तर्गत राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों के आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किए जाने पर निर्धारित देय शुल्क ।

अनुसूची–**ञ**– नियमावली का नियम 32 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या संस्था के अनुरोध पर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों के आवश्यक उपकरणों एवं साधित्रों के साथ प्रतिनियुक्ति पर अबिलम्ब (Standby duty) प्रभार।

अनुसूची–**ट**– अधिनियम की धारा–3,4,5(क), 6 एवं 9 के अधीन नियमावली के नियम4 के अन्तर्गत बिहार अग्निशमन सेवा का संगठनात्मक संरचना ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग, बिहार

प्रपत्र–क

नियुक्ति प्रमाण पत्र

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–10 की उपधारा–(1) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 06 के अन्तर्गत) ।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पत्रांक..... दिनांक.....

सदस्य का पासपोर्ट साईज फोटो सहायक निदेशक, अग्निशमन सेवा द्वारा अनुप्रमाणित

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....

पिता का नाम श्री.....

आवास.....

जिनका फोटो प्रमाण–पत्र के दाहिने भाग में ऊपर लगा हुआ है, को बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014) के अधीन, ... पद पर नियुक्त किया गया है और दिनांक ..... के प्रभाव से बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ निहित की गई हैं। श्री ..... की वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तारीख .... है।

सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

जिनके द्वारा अनुप्रमाणन किया गया।

स्थान : पटना

निदेशक,
बिहार अग्निशमन सेवा

प्रपत्र–ख

औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र(अनुलग्नक सहित)

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत)

संदर्भ संख्या–
प्रेषक,

.....
.....

सेवा में,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

विषयः– **भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु।**

महाशय,

मैं/हमलोग भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव समर्पित कर रहा हूँ/कर रहे हैं, जो संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी के बाद हीं शुरू किया जाएगा। बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021, बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अन्तर्गत मुझे/हमें अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। संबंधित सभी अधिनियम एवं नियमावली तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन करने हेतु शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

निम्नलिखित विवरणी के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

(1) प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए चिन्हित प्लॉट का विवरणीः–

(क) क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)– (ख) मौजा/वार्ड का नाम–

(ग) एम०एस०/सी०एस०/प्लॉट नंबर– (घ) खाता संख्या/शीट संख्या–

(ड.) तौजी संख्या/चक्र संख्या– (च) थाना संख्या/मोहल्ला–

(2) संबंधित पुलिस स्टेशन का नाम/जिला–

(3) संबंधित अग्निशामालय का नाम–

(4) प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुँचने के लिए मार्ग विवरणी–

(5) दूरी के साथ जल का सबसे निकटतम श्रोत(नदी/झील/तालाब/कुआँ/नगरपालिका जल स्रोत/सार्वजनिक–निजी जल हाईड्रेन्टस)–

(6) लाईसेंसिंग प्राधिकरण का पदनाम और पता जिसके लिए एन०ओ०सी० को भेजा जाना है–

(7) भूमि के मालिक का नाम व पता (सम्पत्ति–खुद का/किराए पर/पट्टे पर)–

(8) सम्पर्क नंबर/फैक्स/ई–मेल आई०डी० आदि के साथ वास्तुविद् का नाम और पता–

(9) सम्पर्क नंबर/फैक्स/ई–मेल आई०डी० आदि के साथ भवन निर्माता का नाम और पता–

.....
हस्ताक्षर

आवेदन के साथ अनुलग्नक

(क) भवन योजना :–

(1)एक योग्य सिविल या संरचनात्मक अभियंता, एक वास्तुविद्और मालिक/भवन निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित भवन योजनाओं के दो सेट (1:200 पैमाना से कम नहीं), जिसमें पहुँच पथ, मृत अंत, भवन के सभी अधिभोग/फर्श, एयर कंडीशनिंग और डंपर्स, सीढ़ियों, कोरिडोर्स, लिफ्ट, रैंप दिखाया गया हो ।

(2) स्थल योजनों के 2 सेट, जिसमें सभी तरफ खुले स्थानों को चिन्हित किया गया हो।

(3) अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को चिन्हित करते हुए बेसमेंट/स्टिल्ट सहित फर्शवार योजनाओं के 2 सेट।

(4) छत योजनाओं के 2 सेट।

(5) दो तरफ के अनुभाग (सेक्सन) योजनाओं के 2 सेट।

(6) दो तरफ की उँचाई की योजनाओं के 2 सेट।

(7) सीढ़ियों के माध्यम से दो खंड ड्रॉविग्स (सेक्सन ड्रॉविग्स)(NBC-p-2&12-2-5-1-b/c)।

(8) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

(ख) चेकलिस्ट–

(9) किसी भी सुधार और अंतरप्रविष्टि के बिना स्वच्छ रूप से टंकित चेक लिस्ट ।

(ग) अन्डरटेकिंग्स–

(10) निम्नलिखित के बारे में शपथ पत्र/वादा–

(क) अंतिम एन०ओ०सी० के अनुसार निर्देशों का अनुपालन।

(ख) कार्य के प्रारंभ होने के बारे में जानकारी।

(ग) आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(घ) सभी मामलों में निर्माण पूरा होने का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

(ड.) अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए अंतिम एन०ओ०सी० प्राप्त करना ।

(च) अग्निरोधक उपकरणों का रख–रखाव।

(छ) नियमित नकली ड्रील करने के लिए कर्मचारियों और अधिवासियों को प्रशिक्षण।

(ज) आवधिक अग्नि अंकेक्षण के लिए बुलाना।

(झ) अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान हेतु प्राक्कलन और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के प्राक्कलन का 15% बैंक गारंटी के रूप में जमा करने के लिए ।

(ञ) स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014,बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 और सभी लागू भवन कानून/नियम/विनियम/दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने संबंधी ।

प्रपत्र–'ग'

भवन निर्माण से संबंधित जाँच सूची

(औपबंधिक एन०ओ०सी० / अंतिम एन०ओ०सी०)

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02(छ) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली,2021 के नियम–15 (च)(झ) के तहत)

संक्षिप्त– भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग–4 (NBC-p-4) / भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** भाग–4 (NBC-P-4)/बिहार भवन उपविधि, 2014 समय–समय पर यथा संशोधित(BL)। भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के प्रावधान भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 पर प्रभावी होंगे, जिनका संदर्भ मात्र दिशा निर्देश हेतु दिया गया है।

1	प्रस्तावित भवन **अधिभोग** का प्रकार				प्रस्तावित /पूर्ण/ लागू नहीं			
2	**उप.कब्जे** के प्रकार							
3	प्रस्तावित भवन का **नाम**–							
4	जमीन के स्तर से प्रस्तावित भवन की **ऊँचाई**– संदर्भ-(NBC-P-4-3-4-4)/Table-7				.....(मीटर में)			
5	प्रस्तावित निर्माण स्थल के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई (दो भवनों के बीच न्यूनतम दूरी ऊँचे भवन की ऊँचाई के 1/3 से कम नहीं होगी या 18 मीटर, जो कम हो (BL-7)				दिशा	मीटर		
					उत्तर			
					दक्षिण			
					पूरब			
					पश्चिम			
6	**बिजली लाईन्स** से भवन की दूरी (BL-31)				खड़ा	मीटर		
					क्षैतिज	मीटर		
7	प्रस्तावित भवन का **आच्छादित क्षेत्र**- वर्ग मीटर में							
	तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का कुल निर्मित क्षेत्र-वर्ग मीटर में							
8	क	**मंजिलों** की संख्या-						
	ख	**तलघर** की संख्या-						
	ग	**स्टिल्ट/भूतल** की संख्या-						
	घ	**ब्लॉक** की संख्या-						
	ड.	प्रति मंजिल औसत **प्रवासी भार**						
	च	मंजिल	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अधिभोग का वर्गीकरण	भवन निर्माता द्वारा घोषित निवासियों की संख्या	रा०भ०सं०-तालिका के आधार पर रहने वालों की संख्या अर्थात फर्श क्षेत्र को अधिभोग भार से विभाजित	सीढ़ी की कुल चौड़ाई (जैसा बिल्डर द्वारा घोषित किया गया है) मीटर में	
		तलघर-1						
		तलघर-2						
		स्टिल्ट-1						
		भूतल						
		स्टिल्ट-2						
		मंजिल-1						
		मंजिल-2						
		मंजिल-3						
		मंजिल-4						

		अन्य						
9	**पहुँच के साधन-**							
	क	पहुँच सड़क- सड़कों की संख्या जो परिसर तक पहुँच रहा है-						
	ख	पहुँच स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई)- पहुँच सड़क की चौड़ाई न्युनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए (BL-33,34) (nbc-p-3-4.6.a;4.8/ p-4-7.4.1.a)	पहुँच स्ट्रीट का नाम-					
			पहुँच स्ट्रीट-1 की चौड़ाई (मीटर में)					
			पहुँच स्ट्रीट-2 की चौड़ाई (मीटर में)					
	ग	क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है-						
	घ	क्या मृत अंत में समाप्त हो रहा है-(nbc-p-3-4.7;/ p-4-3.4.6)						
10	क	पहुँच/ खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक (BL-35,36,37)(nbc-p-3-4.6:4.2.4.6 8.2.3.1:8.4.1:9.4.1.a/p-4-3.4.6:5.1.6:7.4.1)	दिशा	मीटर				
			उत्तर					
			दक्षिण					
			पूरब					
			पश्चिम					
			आगे की दिशा	पूरब/पश्चिम/उत्तर/ दक्षिण				
	ख	भवन और भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच-(nbc-p-2-12.2.5.1.a / p-3-4.6/7)						
	ग	भवन तक पहुँच और चारों ओर 06 मीटर पहुँच हेतु स्थान 45 टन के अग्निशमन वाहनों के भ्रमण हेतु कठोर प्रकृति का होगा । पहुँच हेतु इस 06 मीटर के स्थान को पार्किंग से मुक्त एवं अन्य अवरोध, संरचना या फिक्स्चर से 4.5 मीटर की ऊँचाई तक मुक्त रखा जाएगा, जिसके उपर 1.25 मीटर का खुला बालकोनी का अनुमति होगा ।(भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय)						
	घ	अगर पानी टंकी या पुल पर छत है और पहुँच पथ में है, तो छत को 45 टन के अग्निशमन वाहन का भार का सामना करना चाहिए। (nbc-p-4-5.1.6)						
	ड.	भवन की ऊँचाई के अनुसार भवन के चारो ओर खुला स्थान होना चाहिए एवं यह ध्यान में रखना चाहिए कि अग्निशमन एवं बचाव हेतु अग्निशमन वाहनों का चालन सुनिश्चित हो ।						
	च	भवन के चारो ओर अग्निशमन वाहनों के घूमने हेतु और हवाई सीढ़ी लगाने हेतु न्यूनतम मार्ग होना चाहिए ।						
	छ	भवन के आस पास अनिवार्य खुली जगह का उपयोग पार्किंग स्थान के रूप में नहीं किया जाएगा ।						
	ज	अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5. 00 मीटर होगा । वाहन चालन के रास्ते में आवश्यक ऊँचाई निकासी (5.00 मीटर) में कोई अवरोध नहीं होगा । बड़ी अग्निशमन वाहनों के मुक्त भ्रमण और विशेषकर विशाल हवाई सीढ़ी हेतु इस न्यूनतम ऊँचाई की आवश्यकता है ।						
11		**कार पार्किंग** (NBC-p-2-12.2.51.g/ p-3-10/Appdx.B)	विवरणी		वाहनों की संख्या			
			तलघर					
			स्टिल्ट					
			भूतल					

12		खुले स्थान में प्रोजेक्शन :-		दिशा	मीटर
				सामने	
				साईड 1	
				साईड 2	
				पीछे	
13		प्रवेश/ निकासी (NBC-p-3-4.6)			
	क	प्रवेश द्वार की संख्या :-			
		निकासी द्वार की संख्या :-			
	ख	प्रवेश/निकास विवरणी	प्रवेश पहुँच	सड़क की ओर चौड़ाई (मीटर में)	
			प्रवेश 1		
			प्रवेश 2		
	ग	सिर के तरफ खुला स्थान	मीटर में		

14	सीढ़ियाँ					
	क	आंतरिक सीढ़ी की संख्या-	(न्यूनतम-1)			
	ख	बाहरी सीढ़ी की संख्या-	(न्यूनतम-1)			
	आंतरिक सीढ़ी(NBC-P-4-4.4.2.4.3.1/4.4.2.4.3.2/4.4.2.4.3.3)					
	क	आंतरिक सीढ़ियों की संख्या और चौड़ाई-(NBC-p-4-4.9.6)	सीढ़ियों की संख्या	स्थान	चौड़ाई (मीटर में)	
				मंजिल संख्या से	मंजिल संख्या पर	
			1			
			2			
			3			
			अन्य			
	ख	ट्रीड्स की चौड़ाई -(NBC-p-4-4.9.7)		............सें०मी०		
	ग	राईजर की उँचाई-(NBC-p-4-4.9.8)		............सें०मी०		
	घ	राईजर की संख्या-(NBC-p-4-4.9.9)		.......प्रति फ्लाईट		
	ड.	हैण्ड रेल की उँचाई(100 सें०मी० की उँचाई पर)-(NBC-p-4-4.9.9)		.............मीटर		
	च	दो उर्ध्वाधर के बीच का स्थान-		.............सें०मी०		
	छ	सिर के उपर खुला स्थान-		.............मीटर		
	ज	निर्माण गैर-दहनशील सामग्री से होनी चाहिए- (NBC- p-4-4.9.1)				
	झ	कम से कम एक बाहरी दीवार के साथ एक आत्म निहित इकाई और पूरी तरह से बंद होना चाहिए- (NBC- p-4-4.9.2)				
	ञ	लिफ्ट के आस-पास न हो-(NBC- p-4-4.9.3)				
	ट	डिजाईन इस प्रकार हो कि मंजिल की लैडिंग के बीच में लोगों की संख्या, प्रत्येक मंजिल की तुलना में कम नहीं हो(NBC-p-4-4.9.10)				
	ठ	सीढ़ी में बिजली के पैनल/ ए०सी० नलिकाएँ या गैस पाईप की अनुमति नहीं दी जाएगी। (NBC- p-4-4.9.4/10f)				
	ड	सीढ़ीयों तक पहुँच 2 घंटे की फायर रेटिंग/धुआँ दरवाजा की तरफ से हो (NBC- p-4-4.9.10b)				
	ढ़	यात्रा दूरी				

		1	सबसे दूर के स्थान से दूरी	.....मीटर			
		2	गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी	.....मीटर			
	बाहरी सीढ़ी (NBC-P-4-4.4.2.4.4.4.3)						
	क	सीढ़ी की संख्या (न्यूनतम एक) और चौड़ाई		सीढ़ियों की संख्या	स्थान	सीढ़ी की चौड़ाई (मीटर में)	
					मंजिल संख्या से	मंजिल संख्या पर	
				1			
				2			
				3			
				अन्य			
	ख	ट्रीड्स की चौड़ाई -			.....सें०मी०		
	ग	राईजर की उँचाई-			.....सें०मी०		
	घ	राईजर की संख्या-.			....प्रति फ्लाईट		
	ड़	हैण्ड रेल की उँचाई-			.....मीटर		
	च	दो उर्ध्वाधर के बीच का स्थान-			.....सें०मी०		
	छ	सिर के उपर खुला स्थान-			.....मीटर		
	ज	यह भूतल/ स्टिल्ट फ्लोर पर ही समाप्त होगा। यह तलघर तक नही बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें आंतरिक सीढ़ियों से दूरस्थ और अलग प्रवेश द्वार होगा ।					
	झ	**सीढ़ी के प्रेशराईजेशन** (NBC-P-4-4.2.5)					
		सीढ़ियों के दबाव को उच्चतर भवनों के लिए और 500 मर्ग मीटर से अधिक अच्छादन क्षेत्र वाले मिश्रित अधिभोग/ मल्टीप्लैक्स वाले भवनों के लिए अपनाया जाएगा ।					
15	**निकास द्वार** (NBC-P-4-4.2.4.1)						
	अधिभोग वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार चौड़ाई वाला प्रत्येक निकास द्वार एक संलग्न सीढ़ी या एक गलियारे या पारगमन के क्षेतिज निकास में खुल जाएगा, जो कि निरंतर और संरक्षित तरीके से बाहर निकलने के साधन प्रदान करेगा।						
16	**रैम्प** (NBC-P-4-4.4.2.4.3.5) (NBC- p-4-4.14/ p-3-10)						
	क	रैम्प की संख्या-					
	ख	चौड़ाई-	रैम्प		रैम्प की चौड़ाई(मीटर)		
			रैम्प-1				
			रैम्प-2				
	ग	10 में 1 से अधिक स्टीप न हो और कभी भी 8 में 1 नहीं हो। सतह स्कीड-प्रुफ हो ।					
17	**लिफ्ट** (NBC-P-8-7.1ls 7.2.4 / NBC-P-2-अनुलग्नक-**E**) (NBC- p-4-Annex-C-1.5)						
	क	यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता		संख्या	क्षमता (कि०ग्रा०)		
				1			
				2			

			अन्य		
	ख	सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता	संख्या	क्षमता (कि०ग्रा०)	
			1		
			2		
			अन्य		
	ग	लिफ्ट मोटर रूम प्राथमिक रूप से शाफ्ट के शीर्ष पर स्थित होगा और कमरे की मंजिल द्वारा शाफ्ट से अलग होगा । हालांकि एम०आर०एल० लिफ्टों के लिए यह लागू नही है।			
	घ	लिफ्ट एन्कलोजर्स में लैडिंग के दरवाजे का अग्नि प्रतिरोधी क्षमता 1 घंटे से कम नही होगी।			
	ड़	एक लिफ्ट बैंक के लिए एक पंक्ति में लिफ्टोंकी संख्या 4 से अधिक नहीं होगी और लिफ्टों का बैंक (दो पंक्तियों का) मे लिफ्टों की कुल संख्या 8 से अधिक नही होनी चाहिए। 2 घंटे की अग्नि प्रतिरोधी क्षमता का एक दीवार लिफ्ट बैंक में स्थित व्यक्तिगत शाफ्ट को अलग करेगा ।			
	च	लिफ्ट कार का दरवाजा आधा घंटे का अग्नि प्रतिरोध रेटिंग का होगा ।			
	छ	बंधने योग्य फाटकों को लिफ्टों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और कम से कम 1 घंटे के अग्नि प्रतिरोध क्षमता के साथ ठोस लिफ्ट दरवाजे होंगे ।			
	ज	यदि लिफ्ट शाफ्ट और लॉबी भवन के मुख्य भाग में है, तो लिफ्ट शाफ्ट में 50 पास्कल्स का एक सकारात्मक दबाव बनाए रखा जाएगा। दबाव के लिए तंत्र स्वचालित रूप से अग्नि अलार्म के साथ कार्य करेगा इसे यंत्रवत् भी संचालित करना संभव होगा ।			
	झ	यदि लिफ्ट लॉबी से निकासी भवन के मुख्य भाग में स्थित हो तो आधे घंटे की अग्नि प्रतिरोध क्षमता का एक स्वत: बंद घुआँ दरवाजा होगा ।			
	ञ	लिफ्ट आम तौर पर तलघर के साथ संचार नहीं करेगा, लेकिन अगर लिफ्ट ऐसे संचार में है तो तलघर का लिफ्ट लॉबी उपरोक्त प्रकार से स्वत: बंद दरवाजा से प्रेशराईज्ड होगा ।			
	ट	भूतल पर स्थित स्वीच सभी लिफ्टों पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अग्निशमन सेवा भूतल से लिफ्ट तक प्रदान किया जा सके ।			
	ठ	30 मीटर या अधिक की उँचाई वाले भवन के लिए लिफ्ट कारों में टेलीफोन या अन्य संचार सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। लिफ्टों के लिए संचार प्रणाली भवन के लिए बनाए गए अग्नि नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा ।			
	ड	किसी भी लैडिंग पर अग्निशमन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को लिफ्ट शाफ्ट में प्रवेश करने से रोकने के लिए लिफ्ट लॉबी के तल में ढलान देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी ।			
	ढ़	लिफ्ट के उपर या उसके पास हर मंजिल पर संकेत रखा जाएगा जो इंगित करेगा कि आग की स्थिति में अधिवासियों को सीढ़ियों का उपयोग तब तक करना है जब तक अन्यथा निर्देश नही दिया जाता है। इस संकेत मे प्रत्येक मंजिल के लिए सीढ़ियों के स्थान दिखाए जाने की योजना भी शामिल होगी ।			
	ण	हस्तसंचालित बदलाव स्वीच के माध्यम से सभी लिफ्टों के लिए बिजली आपूर्ति का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाएगा ।			
18	**फायर लिफ्ट** (NBC-P-2-4.4.2.5) (NBC- p-4-Annex-C-1.5)			संख्या.....	
	क	प्रत्येक 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम 545		विवरणी	क्षमता

		कि०ग्रा०/8 व्यक्तियों के लिए एक फायर लिफ्ट		फायर लिफ्ट-1		
				फायर लिफ्ट-2		
	ख	उँचे श्रेणी के भवनों के लिए फायर लिफ्ट आवश्यक है। फायर लिफ्ट के लिए निम्नलिखित विवरणी लागू होगा:-				
		1	अग्निशमन सेवा कर्मियों के न्यूनतम विलंब के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुँचने के लिए प्रति 1200 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट प्रदान किया जाएगा और आपातकाल में अग्निशमन कर्मियों के अनन्य (Exclusive) उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।			
		2	लिफ्ट का फर्श क्षेत्र 1.4 वर्ग मीटर से कम नही होगा । न्यूनतम 0.8 चौड़ाई का स्वचालित बंद दरवाजा के साथ 545 किलो ग्राम (लिफ्ट में 8 व्यक्ति) से कम नही वहन क्षमता होगा ।			
		3	भवन में विद्युत आपूर्ति से अलग विद्युत अपूर्ति किया जाएगा और केबल (वायर) अग्नि से सुरक्षित मार्ग में अर्थात लिफ्ट शाफ्ट के अन्दर रहेगा। लकड़ी का पैनलिंग या शीट स्टील निर्माण के साथ एलिभेटर में रोशनी और पंखे 24**V** आपूर्ति द्वारा संचालित होगा।			
		4	आपातकाल में प्रयोग हेतु अग्निशमन लिफ्ट छत के छल्ले के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि कार अटक जाए, तो आसानी से खोला जा सके।			
		5	सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से बैकल्पिक आपूर्ति पर यात्रा करेगा । भवनों के लिए हस्तसंचालित बदलाव के स्विच के माध्यम से आपूर्ति का यह परिवर्तन किया जा सकता है। बैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस प्रकार वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता के मामले में यह जमीनी स्तर पर नीचे आ जाए और दरवाजा खुलने के साथ रूक जाय ।			
		6	लिफ्ट के समीप प्रवेश स्तर पर ग्लास फ्रोन्टेड बक्सा में स्थित एक सामान्य टौंगल्स या दो बटन स्वीच द्वारा फायर लिफ्ट का संचालन होगा । स्वीच के चालू होने पर लैडिंग कॉल-प्वाईंट निष्क्रिय हो जाते है और लिफ्ट सिर्फ कार नियंत्रण पर या प्राथमिकता नियंत्रण डिवाईस पर होगी । स्वीच के बंद होने पर लिफ्ट सामान्य काम पर वापस आ जाएगी । यह लिफ्ट अधिवासियों द्वारा सामान्य समय में उपयोग करने योग्य है।			
		7	प्रत्येक मंजिल के स्तर पर लिफ्ट लैडिंग दरवाजे पर चमकने वाले रंग में 'फायर लिफ्ट' शब्दों को प्रदर्शित किया जाएगा ।			
		8	फायर लिफ्ट की गति ऐसी होगी कि यह 1 मिनट के भीतर जमीनी स्तर से शीर्ष मंजिल या किसी शरण स्थल तक पहुँच सकता है।			
19	**शरण क्षेत्र** (NBC-P-2-3.4.5.5/अनुलग्नक- E-4) (NBC- p-4-4.12.3 &Appendix-D)मंजिल पर.....			.....वर्ग मीटर		
20	**फायर टॉवर**-(NBC- p-4-3 एवं 4.13)उँचाई पर-मीटर					
21	**निकासी की व्यवस्था एवं निकासी हेतु अन्य आवश्यकताएँ** (NBC-P-4.4.2/4-4.4.2.2 /4.4.2.3) (NBC- p-4-4 Appendix-C)					
	क	निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार किसी खास श्रेणी के अधिभोग के लिए फर्श पर यात्रा दूरी निर्धारित सीमा के भीतर होगी और कोरिडोर के मृत छोर से यात्रा दूरी का आधा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपवाद स्वरूप सभा और संस्थागत श्रेणी के लिए यह 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
	ख	लिफ्ट और एस्केलेटर को निकास के रूप में नहीं माना जाएगा ।				
	ग	किसी दूसरे कब्जे वाले इकाई से गुजरे बिना प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर पर्याप्त				

		सुरक्षित निकास होगा।	
	घ	निकास की क्षमता (सकल चौड़ाई) अधिमानी भार (प्रभावित मंजिलों में) और अधिवासियों के आधार पर होगी ताकि प्रति 50 सेंटीमीटर निकास से सुरक्षित रूप से निकाला जा सके।	
	ड़	अग्निशमन मार्गो में, विशेष रूप से लिफ्टों और सीढ़ियों के प्रवेश प, जो अग्नि/ धुआँ के प्रभाव से ग्रस्त होते है,आग और धुआँ का फैलाव रोकने के लिए दो घंटे की आग प्रतिरोधी क्षमता का अग्नि चेक दरवाजा दिया जाना।	
	च	किसी भी फर्श क्षेत्र या कब्जे वाले भार के भीतर व्यक्तियों की संख्या वास्तविक पर आधारित होगी ।	
	छ	निकासी सीढ़ियों का यात्रा दूरी भवन की श्रेणी के अनुसार होनी चाहिए । ये एक दूसरे से दूर होना चाहिए और अलग-अलग दिशाओं में बाहर निकलना चाहिए। तलघर के लिए यात्रा दूरी 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	
	ज	सतत सुरक्षित निकासी के लिए गलियारों में या लैंडिंग के माध्यम से बंद सीढ़ियों में खुलनी चाहिए।	
	झ	सीढ़ियाँ बंद प्रकार की होगी ।	
	ञ	निकासी दरवाजा बिना किसी चाभी के खुलने में सक्षम होने चाहिए ।	
	ट	रास्ते बिना किसी रूकावट के होने चाहिए ।	
22	**बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान** (NBC-P-3.4.5.6)		
	भवन के फर्शो के बीच प्रत्येक उर्ध्वाधर खुलने वाले स्थान बंद रहेंगे अथवा अग्नि /धुआँ के फैलाव को उर्ध्वाधर खुला स्थानसे होकर मंजिल/दरमंजिल फैलने हेतु रोकने के लिए संरक्षित किया जाएगा ताकि अधिवासी द्वारा उसे अग्निकाण्ड की स्थिति में निकासी हेतु उपयोग कर सकें।		
23	**कोरिडोर और मार्ग** (NBC-P-4.4.4.2.4.2) (NBC- p-4-4.8.1/4.8.3)		
	क	कॉरिडोर और मार्ग की चौड़ाई निकासी दरवाजे की कुल वांछित चाड़ाई से कम नही होगी ।	
	ख	उपरोक्त (और सीढ़ियों/लिफ्टों) में आग/धुआँ प्रतिरोध दरवाजे होंगे।	
	ग	बाहर निकलने के कोरिडोर और पारगमन में एक विशेष श्रेणी के अधिभोग के लिए निर्धारित पर्याप्त चौड़ाई होगी ।	
	घ	पर्याप्त वेंटिलेशन होगा।	
	ड़	सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रौशनीकरण ।	
24	**क्षैतिज निकास** (NBC-P-4-4.2.4/अनुलग्नक- E-4) (NBC- p-4-4.12.1/2,5)		
	क	एक ही चौड़ाई के साथ स्वयं समापन प्रकार के कम से कम एक आग दरवाजा हो।	
	ख	सेवारत पक्षों से हर समय दरवाजे खोलने योग्य है।	
	ग	क्षैतिज निकास की चौड़ाई निकास द्वार के लिए समान होगी। प्रत्येक क्षैतिज निकास हेतु न्यूनतम 1 घंटा का फायर रेटिंग के साथ कम से कम एक आग एवं धुआँ जाँच दरवाजा ।	
25	**निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:** (NBC-P -4-3.4.7) (NBC- p-4-4.2.7:4.16.3/4/10,C1.14b/4.16:Appendix-D1.14)		
	क	आपातकालीन प्रकाश एक स्रोत से संचालित किया जाएगा जो सामान्य प्रकाश की आपूर्ति से स्वतंत्र होगा । निकासी हेतु प्रकाश निम्नलिखित कार्यो हेतु सक्षम होगा :- (क) बचने के मार्गो को स्पष्ट रूप से दर्शाना । (ख) निकासी मार्ग के तरफ एवं सुरक्षित निकास हेतु रास्तों में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराना। (ग) फायर अलार्म कॉल प्वाईट्स और एस्केप रूट तक अग्निशमन कर्मियों/उपकरणों	

		का आसानी से पहुँच सुनिश्चित करना । (घ) सामान्य प्रकाश आपूर्ति की विफलता के 1 सेकंड के भीतर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था को सक्रिय होना चाहिए । (ड़) छोटे से परिसर के लिए भी 1 घंटे और 30 मिनट की न्यूनतम अवधि के लिए सतत संचालन करने में सक्षम आपातकालीन प्रकाशन प्रणाली होगी ।	
	ख	बैट्री बैकअप सहित आपातकालीन बैकल्पिक बिजली आपूर्ति के साथ सभी निकासी रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हो और चमक वाले संकेत दृष्टिगोचर हो ।	
	ग	डेढ़ घंटे का बैट्री बैकअप के साथ सीढ़ी/निकासी रास्ते एवं फायर एलार्म के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र स्रोत होना चाहिए ।	
26	तलघर (NBC-P-4-4.2.1 9) (NBC- p-3-12.9.3 & p-4-C.1.6)		
	क	प्रत्येक तलघरका फर्श से छत के स्लैब या सीलिंग का निचला भाग से कम से कम 2.4 मीटर की ऊंचाई पर होगा।	
	ख	किसी भी तलघर की छत की न्यूनतम ऊंचाई 0.9 मीटर होगी और आस-पास के औसत जमीनी स्तर से अधिकतम 1.2 मीटर होगी।	
	ग	तलघर तक पहुँच मुख्य और वैकल्पिक सीढ़ियों से अलग होगा, जो उच्च मंजिलों से पहुंच और बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगा।	
	घ	एक सीढ़ी से अधिक की सेवा वाली सीढ़ी के मामलेमें भवन में सीढ़ी लगातार हो तो। तलघर और ऊँचे मंजिल के लिए अग्नि अलगाव का काम करते हुए बन्द प्रकृति का होगा।	
	ड़	तलघर की परिधि में स्थित तलघर की सीढ़ी बन्द प्रकार का होगा जो केवल खुली हवा से ही जमीन के स्तर पर प्रवेश के लिए होगा ।	
	च	यह ऐसी स्थिति में होगा जिससे कि तलघर में किसी भी प्रकार की आग का धुआँ भवन के भूतल या उपरी तल से संबंधित निकास को बाधित नहीं करेगा ।	
	छ	यह 1 घंटा का अग्नि प्रतिरोध क्षमता के स्वत: बंद होने वाले दरवाजा के साथ एक लॉबी के माध्यम से तलघर के साथ संचार करेगा ।	
	ज	खुले रैंप की अनुमति दी जाएगी यदि वे बिल्डिंग लाइन के भीतर बने हैं।	
	झ	यदि यात्रा दूरी आवश्यक होने से अधिक है, तो अतिरिक्त सीढ़ी उचित स्थान पर दिया जाएगा ।	
	ञ	तलघर के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा। नियमों के अनुसार खास श्रेणी के भवनों के लिए आवश्यक वेंटिलेशन की आवश्यकता के समान ही वेंटिलेशन की आवश्यकता होगी ।	
	ट	किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर ब्लोअर, निकासी पंखे, वातानुकूलन प्रणाली आदि के माध्यम से पर्याप्त यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान की जा सकती है।	
	ठ	प्रत्येक तलघर अलग से हवादार किया जाएगा ।	
	ड	तलघर के फर्श स्तर तथा सीलिंग स्तर पर धुआँ निकासी के रास्ते पर वैकल्पिक रूप से एक एयर इनलेट की एक प्रणाली प्रदान की जाएगी।	
	ढ	स्टॉल बोर्ड और फुटपाथ रोशनी अग्निशमन सेवा के लिए आसानी से पहुँच की स्थिति में होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से चिन्हित होनी चाहिए।	
	ण	बहुमंजिली तलघर में सेवन नलिकाएं सभी तलघर के स्तर पर काम कर सकती है, लेकिन प्रत्येक तलघर के स्तर और तलघर के डिब्बे में अलग धुआँ आउटलेट वाहिनी या नलिकाएं होंगे।	
	त	प्रदान किए गए नलिकाएं एवं डिब्बा एक ही आग प्रतिरोध रेटिंग का होगा ।	
	थ	तलघर की आग से धुआँ किसी भी परिस्थिति में निकासी रास्ते एवं उपरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी में प्रवेश नहीं करेगी।	

	द	नीचे के तलघर के स्तर से धुआँ निकासी हेतु यांत्रिक निकासी व्यवस्था की जाएगी।	
	ध	प्रणाली ऐसे डिजाइन की होगी, जो स्थापित होने पर गर्मी/धुआँ संवेदनशील डिटेक्टरों या आग बुझाने वाले उपकरण के संचालित होने पर काम करती है ।	
	न	मैकेनिकल एग्झस्टर के पास एक आंतरिक लॉकिंग व्यवस्था होगी, ताकि एग्झस्टर काम जारी रख सके और अग्नि सूचक के चालू होने तक सामान्य पंखे स्वचालित रूप से बंद हो जाए।	
	प	इसे हस्तचालित करने की भी व्यवस्था भी होगी ।	
	फ	तलघर में एलपीजी/प्रेशर स्टोव का प्रयोग निषिद्ध है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 4 घंटे की अग्निरोधी बाड़ो के लिए अनुमति है।	
	ब	जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ताकि जल निकासी सतह तलघर में प्रवेश न करें ।	
	भ	तलघर की दीवार और फर्श वाटर टाईट होगी ।	
27	**फायर रेटिंग-** (NBC-P-4-एनेक्श्चर-सी) (NBC-p-4-.4.7/3.4.8/3.4.8.1/3.4.8.2/3 & C1.9)		
	क	यदि भवन एक से अधिक अधिभोग का हो, तो यह सबसे खतरनाक अधिभोग हेतु आवश्यकताओं का पालन करेगा, जब तक कि 4 घंटे की रेटिंगका अलग करने वाली दीवार प्रदान न की जाय ।	
	ख	एक घंटे की फायर रेटिंग का दरवाजा पलायन के रास्ते में खासकर लिफ्ट और सीढ़ी में प्रवेश करने के स्थान पर हो ।	
	ग	आग के प्रसार को सीमित करने के लिए द्वार/फर्श में दो घंटे की फायर रेटिंग का दरवाजा या स्टील रोलिंग शटर हो।	
	घ	2 घंटे की फायर रेटिंग काडक्ट/शाफ्ट के अन्दर दिवाल एवं फर्श का केबुल, प्लंबिंग इत्यादि एक घंटे की फायर रेटिंग का निरीक्षणदरवाजे के साथ हो ।	
	ड़	सभी प्रकार के अग्नि सुरक्षा संबंधी वस्तु जैसे-अग्नि निरोधक दरवाजे आदि दिया जाएगा ।	
	च	दीवारों/छतों/बहाने पर सतह फिनिशिंग आग या विषाक्त धुएं के प्रसार को कम करेगा।	
	छ	आंतरिक सतहों और सजावट के लिए प्रयोग किए जाने वाले फिनिशिंग सामग्री जहरीले धुएं उत्पन्न नहीं करेंगे ।	
	ज	"क्लास 1 लो-स्प्रेड" सर्फिंग सामग्री, और डिकोरेशन, कालीन पर्दे के लिए प्रयुक्त फैब्रिक्स सामग्री आदि हेतु आई०एस० 2777 का उपयोग करें।	
	झ	आग के तेजी से फैलाव को रोकने तथा अधिवासियों के सुरक्षा हेतु ज्वलनशील सामग्री के साथ लाईनिंग किए हुए दीवार, विभाजन या फर्श आई०एस० 1642 के अनुरूप हो।	
28	**कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:** (NBC-P-4-4.5)		
	क	उच्च उदय भवनों का उचित रूप से कम्पार्टमेन्टलाईजेशन किया जाना चाहिए ताकि आग/धुआँ उस क्षेत्र तक ही सीमित रहें जहाँ आग की घटना हुई है और भवन के शेष हिस्से में नहीं फैल सके।	
	ख	कम्पार्टमेन्टेशन (यदि कोई हो), आग प्रतिरोधी दरवाजे/स्टॉप के विशिष्ट विवरणी दिखाएं।	
	ग	2 घंटे की फायर रेटिंग का सेप्रेशन दिवार हो कर सभी फर्श को 750 वर्ग मीटर में बांटा जाएगा ।	
	घ	क्या जहाँ आग लगी हो वहीं पर आग और धुआँ को सीमित करने के लिए कम्पार्टमेंट का प्रावधान किया गया है?(CL C.9 Annexure-C,NBC-p-4)	

29	**धुआँ निकासी** (NBC-P-4-4.4.2.5/4.6)(NBC-p-4-3.4.1/12,4.2.9,C.1.6,3.4.6.4.2.6,4.4,6.4.6.11,3.4,6.4.4,6.4.5)		
	क	सभा क्षेत्र एवं बालकनी में फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 3.3%,स्वचालित धुआँ निकासी भेन्ट को स्थापित किया जाएगा ।	
	ख	स्वचालित धुआँ की निकासी को विभागीय अनुमति से बिजली पर संचालित एग्झॉस्टर से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।	
	ग	ए०सी० के आउटलेट पर आग या धुआँ की स्थिति में धुआँ का फैलाव रोकने हेतु स्वचालित डंपर्स बंद होना चाहिए।	
	घ	यांत्रिक वेंटिलेशन और धुआँ निकास प्रणाली ।	
	ड़	धुआँके फैलाव को कम करने के लिए छेद(Vents) तलघर के फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 2.5% छेद(Vents) होना चाहिए।	
	च	वेन्ट्स जो न्यूनतम 2.5% मंजिल है, वे तलघर के है ।	
30	**विद्युत अधिष्ठापन** (NBC-P-4-3.4.6./3.4.5.4और भाग-8) नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, 2011 की धारा-7 (NBC- p-8-3.9.1.5/9.2)		
	क	विद्युत प्रतिष्ठापन लाइसेंस्ड विद्युत ठीकेदार द्वारा किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी योग्यता-प्रमाण पत्र/परमिट के धारक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा।	
	ख	सभी सर्किट का कार्यान्वयन चेकिंग हेतु पूर्ण ड्रोईंग ।	
	ग	विद्युत वितरण केबल/तारों को एक अलग नलिका में रखा जाएगा। नलिका को हर मंजिल पर गैर-दहनशील पदार्थो के साथ सील कर दिया जाएगा, जिसमें वाहिनी के समान आग प्रतिरोध होना चाहिए। शाफ्ट में और झूठी छत में चलने वाले कम और मध्यम वोल्टेज तारों को अलग-अलग नलियों में चलाना होगा।	
	घ	पानी के साधन, टेलीफोन लाइन, इंटरकॉम लाइन, गैस पाइप या किसी अन्य सेवा लाइन बिजली केबल के नलिका में नहीं रखी जाएगी, केबलों के बजाय बस नलिकाएं/ठोस बढ़ते साधनों का उपयोग अच्छा रहता है।	
	ड़	फायर अलार्म/पीए सिस्टम (नोट: सामान्य से आपातकालीन स्रोत पर जाने हेतु ऑटोमेटिक स्वीच होना चाहिए)	
	च	फायरफाइटिंग पंपों, लिफ्टों, सीढ़ियों, गलियारे प्रकाश और दबाव प्रणाली हेतु ब्लोअर के लिए अलग सर्किट सीधे मुख्य स्वीच गियर पैनल से उपलब्ध कराए जाएंगे और इन सर्किटों को अलग पाइप में लगाया जाएगा, ताकि एक सर्किट में आग का दूसरों पर असर न पड़े।	
	छ	इस तरह के सर्किट मूल स्थल पर एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर में रक्षा करेगा।	
	ज	आवश्यक सेवा सर्किट को नियंत्रित करने वाले मास्टर स्वीच को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा।	
	झ	प्रत्येक मंजिल स्तर पर आग को रोकने के लिए, पिलर के साथ केबल आदि और शाफ्ट के बीच की सील स्थान।	
	ञ	शाफ्ट में निरीक्षण पैनल के दरवाजे और किसी भी अन्य खुले स्थान को कम से कम 1 घंटे की आग प्रतिरोधी क्षमता वाले एयरटॉयट फायर दरवाजा के साथ प्रदान किया जाएगा।	
	ट	आपातकालीन/वैकल्पिक बिजली आपूर्ति और संबंधित बच निकलने और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की प्रभावकारिता का आवधिक सत्यापन(आई०एस०-1643-3.6 और 11.6)	
	ठ	आग का सामान्य कारण विद्युत आग होने के कारण I.E.R. 30(ISI,	

		विद्युत सामग्री) एवं आई०एस०-732 एवं NBC-P-2, (विद्युत वायरिंग) का अनुपालन आवश्यक है। भवन का अग्नि सुरक्षाएँ बिजली वायरिंग एवं ट्रान्सफार्मर सुरक्षा संबंधी आई०एस०-1646,732,10028 का अनुपालन आवश्यक है। पुन: विद्युत सुरक्षा के लिए भारतीय विद्युत नियमावली, एवं संबंधित आई०एस०/संहिता का अनुपालन आवश्यक है।(N.E.C.-Part-3-3एवं आई०एस०-4878-14; आई०एस०-1646 एवं 732) ।	
31	**सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर** (NBC-P-4-3.4.6.3/भाग-8)		
	क	ट्रान्सफॉर्मर्स रूम/बाड़े, स्थान और वेंटिलेशन/निकास ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से कोई धुआँ बाहर निकलने/भागने वाले मार्गो या पार्किंग या भवन के अन्य भागों में प्रवेश नही कर सके।	
	ख	ट्रांसफार्मर की कुंडली कम से कम 15 सेमी ग्रेड से ऊपर होनी चाहिए और यदि तेल भरा हुआ है तो किसी भी पार्किंग क्षेत्र में तेल को लीक करने से रोकने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए।	
	ग	इंडोर ट्रांसफार्मर को ऑटो उच्च वेग जल स्प्रे या इमलसिफाईग सिस्टम होना चाहिए(IS-15.10.3) ।	
	घ	ट्रांसफार्मर के पास गड्ढ़े, बाड़ लगाहो और 45 लीटर फोम ट्रॉली के साथ प्रदान किया जाएगा ।	
	ड़	तेल भरा उपकरण के साथ उप-स्टेशन या स्वीच स्टेशन भवन में स्थित नहीं होगा।	
	च	उप-स्टेशन संरचना की अलग-अलग आग प्रतिरोधी दीवार/परिवेश होंगे।	
	छ	अग्नि निकासी सीढ़ी से अलग से पहुँच के साथ प्रवाह की परिधि के पास अनिवार्य रूप से सब-स्टेशन संरचना होगी।	
	ज	सब-स्टेशन क्षेत्र में दरवाजे और खिड़कियाँ सहित बाहरी दीवार, छत, फर्श, खुला स्थान 2 घंटे की आग प्रतिरोधक क्षमता का होना चाहिए।	
	झ	ट्रांसफार्मर कमरे तक सीधे पहुँच प्रदान की जाएगी, प्राथमिकता के तौर पर आग से बच सीढ़ी के बाहर।	
32	**बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत-** (NBC-P-4-3.4.6.2) स्वचालित- मैनुअल-		
33	**एयर कंडीशनिंग सिस्टम-** (NBC-P-4-4.3.4.8)		
	क	सीढ़ियां, आम गलियारा, लिफ्ट लॉबी आदि जैसे एस्केप मार्गो को रिटर्न वायु मार्ग के रूप में इस्तेमाल नही किया जाएगा।	
	ख	डक्टिंग का निर्माण पर्याप्त गेज वाले धातु से किया जाएगा।	
	ग	जहाँ अग्नि दरवाजा या फर्श से डक्ट गुजरता हो डक्ट के चारो ओर का खुला स्थान कम्पार्टमेंट के अग्निरोधी क्षमता से बंधित सामग्री से सील करना है।	
	घ	जहाँ एक नलिका एक कक्ष पार करती है, जो कि फायर रेटेड है तो डक्ट की वही फायर रेटिंग होगी ।	
	ड़	डक्ट सिस्टम (अंदर या बाहर) को इन्सुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री गैर-दहनशील सामग्री का होनी चाहिए। ग्लास उसदहनशील प्रकृति की किसी भी सामग्री से लपेटा या सुरक्षित नहीं होगा।	
	च	फर्श का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर से अधिक होने पर एक अग्नि दीवार और स्वचालित फायर डेम्पर से अलग किया जाएगा ।	
	छ	मुख्य मंजिल क्षेत्र, गलियारों आदि की सेवा करने वाली वायु वाहिनी सीढ़ी	

		के बाड़े से नहीं गुजरेगी।		
	ज	प्रत्येक मंजिल के लिए एयर-हैंडलिंग इकाइयाँ अलग-अलग होंगी और प्रत्येक फर्श के लिए वायु नलिकाएँ अलग हो जाएगी और किसी अन्य मंजिल के डक्टिंग से अंतर-जुड़ा नहीं होगा।		
	झ	ताजी हवा के लिए ऊर्ध्वाधर शाफ्ट गैर-दहनशील सामग्री का हो।		
	ञ	एयर हैंडलिंग इकाइयों का हवा फिल्टर गैर-दहनशील सामग्री का होगा।		
	ट	एयर हैंडलिंग यूनिट कमरे किसी भी दहनशील सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।		
	ठ	डक्ट की सफाई की सुविधा हेतु मुख्य ट्रंक में इन्पेक्शन पैनल प्रदान किया जाएगा ।		
	ण	अग्नि डैम्पर-		
		(क)ये वातानुकूलित वायु नलिकाएँ में स्थित होंगी और निम्नलिखित बिंदुओं पर वायु नलिकाओं/मार्गों की वापसी होगी: (i) आग अलग दीवार पर (ii) जहां डुकाएं फर्श से गुजरती है, और (iii) हर मंजिल पर प्रत्येक डिब्बे की आपूर्ति वायु वाहिनी और वापसी वायु नलिका के प्रवेश पर		
		(ख) डैपर्स स्वचालित रूप से काम करेंगे और साथ ही एयर-हैंडलिंग पंखे को बंद कर देगी। मैन्युअल ऑपरेशन सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।		
34	**आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान-** (NBC-P-4.3.4.6.5.)			
35	**न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन-** (NBC-P-4का तालिका-7) (एनबीसी-भाग 4) तालिका 07 में निर्धारित न्यूनतम निश्चित अग्निशमन प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाना चाहिए।			
	क	डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम- (NBC-P-4-4.9) 15 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई वाले सभी भवनों को मैन्युअल रूप से संचालित विद्युत फायर अलार्म (एमओईएफए) प्रणाली और अच्छे अभ्यास के अनुसार स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम से सुसज्जित किया जाएगा।		
	A-1	मैन्युअली संचालित विद्युत एलार्म सिस्टम।(MOEFA-NBCटेबुल-7)		
	A-2	संपूर्ण भवन में मैनुअल कॉल अलार्म प्वाईन्ट्स	कुल संख्या-	
	A-3	भवन के प्रत्येक मंजिल पर स्थित एक या अधिक कॉल बक्से के साथ एम०ओ०ई०एफ०ए० स्थापित किया जाएगा। कॉल बक्से अच्छे अभ्यास के अनुरूप होगे ।		
	A-4	छात्रावास में कॉल बक्सों की स्थापना और ऐसी अन्य जगहों पर जहाँ इन्हें दुरूपयोग होने की संभावना है, से बचा जाना चाहिए। आवासीय इकाइयों में सभी बक्से के स्थान प्राथमिकता के तौर पर भवन के अंदर होंगे।		
	ख	**स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम** (NBC-P-4-4.9और टेबल-7)		
	B-1	धूम्र संसूचक	कुल संख्या.....।	
	B-2	हीट डिटेक्टर,	कुल संख्या .....।	
	B-3	बीम डिटेक्टर (आई०एस०-2189:1999 देखे)	कुल संख्या .....।	
	B-4	मंजिल में अग्नि संसुचक नियंत्रण	कुल संख्या .....।	

	पैनल-			
ग	स्वचालित स्प्रिंक्लर सिस्टम (NBC-P-4-2.6.4.2/5.1.3और टेबल-7) (आई०एस०-15105:2002 देखें)	कुल संख्या .....।		
घ	नली रील। (NBC-P-4-5.1और तालिका-7)	कुल संख्या .....।		
ड.	वेट राईजर्स- (NBC-P-4-2.6.5और टेबल-7)	कुल संख्या .....।		
च	सूखी राईजर (स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार सूखी राइजरों का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में या आवश्यतानुसार किया जा सकता है।)			
छ	डाउन कमर			
ज	यार्ड हाइड्रेंट (NBC-P-4-2.6.4.1और टेबल-7) भवन की फायर पम्प के लिए		कुल संख्या .....।	
झ	प्रत्येक मंजिल,तलघर और छतों सहित, पर आंतरिक हाइड्रेंट्स	संख्या		
ञ	**राज्य जल भंडारण जलाशय** (NBC-P-4-5.1.2.1और तालिका-07) - अग्निशमन के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट क्षमता के साथ भूमिगत/टेरेस स्तर पर पानी की एक संतोषजनक आपूर्ति हमेशा स्थिर भंडारण टैंक के रूप में उपलब्ध होगी। भूमिगत स्टैटिक टैंक के लिए 1000 लीटर प्रति मिनट की दर से आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से पुनः पूर्ति की व्यवस्था होगी। जब यह व्यवहारिक नही है, तो स्थानीय अग्नि ब्रिगेड के परामर्श से स्टैटिक भंडारण टैंक की क्षमता अनुपात में वृद्धि होगी।			
ट	भूमिगत स्टैटिक जल टैंक कुल क्षमता.....लीटर.. .	विवरणी	लीटर	
		भूमिगत स्टैटिक वॉटर टैंक 1		
		भूमिगत स्टैटिक वॉटर टैंक 2		
ठ	छत टैंक कुल क्षमता ..... लीटर.....	विवरणी	लीटर	
		छत टैंक 1		
		छत टैंक 2		
ड	वेट राईजर पर दबाव डालने के लिए स्टेशनरी फायर पंप (NBC-P-4-5.1.2.2और टेबल-07)			

1	पम्पस्:	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता	
		जॉकी पम्प 1			
		जॉकी पम्प 2			
2	इलेक्ट्रिकल मुख्य पंप:	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता	
		पंप 1			
		पंप 2			
3	स्टैडबाय डीजल	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता	
	पम्प	पंप 1			
		पंप 2			
4	छिड़काव प्रणाली के	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता	

		लिए विद्युत पम्प	इलेक्ट्रिकल पंप 1				
			इलेक्ट्रिकल पंप 2				
	5	बूस्टर पंप	विवरणी	लीटर/मिनट	क्षमता		
			बूस्टर पंप 1				
			बूस्टर पंप 2				
36		प्राथमिक मदद हेतु अग्निशमन उपकरण/एक्सटिंग्वीसर्स (NBC-P-4-5.1.1और तालिका-07)		संख्या			
		आईएस 2190:1992 के अनुसार प्राथमिक मदद हेतु अग्निशामकों को मुहैया कराया जाना चाहिए। नोट:- आग बुझाने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में अग्निशामक यंत्र प्रदान की जानी चाहिए।					
		(1) 5 किलो की क्षमता का एक एबीसी पाउडर एक्सटिंग्वीसर और प्रत्येक 8 कारों के लिए साफ, सूखी, महीन रेत से भरा 2 आग बाल्टी का मुहैया कराया जाना चाहिए।					
		(2) 2 किलोग्राम की क्षमता का एक एक्सटिंग्वीसर क्षमता प्रत्येक मुख्य स्विच बोर्ड कक्ष के द्वार के पास प्रदान की जानी चाहिए।					
		(3) 5 किग्रा की क्षमता का एक एबीसी पाउडर एक्सटिंग्वीसर ट्रांसफार्मर (यदि स्थापित हो तो) के पास प्रदान की जानी चाहिए।					
		(4) 5 किग्रा की क्षमता का एक एबीसी पाउडर एक्सटिंग्वीसर प्रत्येक लिफ्ट रूम में प्रदान की जानी चाहिए।					
		(5) प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक सीढ़ी के लैडिंग के पास 9 लीटर क्षमता का वाटर पाईप गैस काट्रीज एक्सटिंग्वीसर रखी जानी चाहिए।					
		(6) अन्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त एक्सटिंग्वीसर का पैमाना अलग से निर्धारित करना होगा । प्रत्येक क्षेत्र की उपयोगिता को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए विभाग के पास आने से पहले अन्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एक्सटिंग्वीसर के पैमाने एकत्र किए जाएंगे।					
		(7) ऊपर सुझाए गए सभी एक्सटिंग्वीसर बीआईएस मार्क के साथ होनी चाहिए और सामान्य रास्ते को बाधित किए बिना सुलभ पहुँच की स्थिति में हो ।					

क्रमांक	एक्सटिंग्वीसर का प्रकार	क्षमता	गुणवत्ता	मेक	क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०।	विनिर्माण का वर्ष	खरीद का वर्ष	आईएस आई का मार्क	अभ्युक्ति/ रिफिलिंग की तिथि	

37	हेलीपैड (NBC-P-4,Annexure&E&8)	
	200 मीटर से अधिक उचाई वाले भवनों के लिए (अगर हेलीपैड व्यवस्था की जाती है)।	
38	**अग्नि नियंत्रण कक्ष:-** (प्रवेश-लॉबी में) (NBC-P-4-3.4.12) 1. विभिन्न मंजिलों और अग्नि नियंत्रण कक्ष के बीच सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के साथ 2. विभिन्न मंजिलों और अग्नि नियंत्रण कक्ष के बीच इंटरकॉम व्यवस्था -	
39	अग्नि सुरक्षा अधिकारी- (NBC-P-4-4.4.10.1/4.10.2) (बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा- 29 के तहत) व्यक्तिगत तौर पर- अन्य बिल्डरों के साथ-	
40	**फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर:-** (NBC-P-4-4.4.1.1और अनुलग्नक-D)	

	क	आग रोकथाम हेतु अधिवासियों का नियमित प्रशिक्षण का प्रावधान		
	ख	आपातकाल की स्थिति में भवन में अग्निशमन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और भवन से निकासी संबंधी अग्नि सूचना/आदेश तैयार किए जाएंगे। आपात स्थिति में अधिवासियों को अग्नि सूचनाएं प्रदर्शित करके और नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यो से अच्छी तरह से परिचित कराया जाएगा। इस तरह के नोटिस को मोटे अक्षरों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।		
41	**फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट:-** (NBC-P-4-**अनुलग्नक**-E-7) अग्नि अंकेक्षण की तारीख			
42	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए प्राक्कलन(वास्तुकार द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत किए गए हैं?			
43	क्या बैंक गारंटी के रूप में अग्नि सुरक्षा प्रणाली के प्राक्कलन का 15%जमा किया गया है?			
44	क्या एन०ओ०सी० प्राप्ति हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है?			
45	तकनीकी स्टाफ के नाम, पता, लाइसेंस नंबर, हस्ताक्षर प्रदान करें।			
	क	भवन निर्माता		
	ख	वास्तुकार		
	ग	संरचनात्मक इंजीनियर		
	घ	विद्युत ठीकेदार		
	ड.	अग्नि सुरक्षा सिस्टम ठीकेदार		

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है, गलत प्रतिनिधित्व नहीं है या गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि उपरोक्त जाँच सूची में दी गई किसी भी गलत जानकारी की स्थिति में, औपबंधिक/अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र को राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा वापस किया जा सकता है/रदद् किया जा सकता है।

आर्किटेक्ट/इंजीनियर/बिल्डर/विद्युत ठेकेदार/अग्नि सुरक्षा प्रणाली समन्वयक का हस्ताक्षर

प्रपत्र–घ

विभिन्न अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्रावधानों का अनुपालन करने, अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उपकरण पर व्यय का गारंटी एवं अन्य से संबंधितशपथ पत्र/वादा (अन्डरटेकिंग्स)

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 15 (च)(i) के अन्तर्गत)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार के पक्ष में निम्नप्रकार से शपथ लिया जाता है:–

हमलोगों का कहना है कि–.....पर स्थित भवन के हमलोग भवन निर्माता, प्रमोटर एवं डेवलपर्स हैं।

1. हमलोग राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016समय–समय पर यथा संशोधित, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग विनियम, 1981, बिहार भवन उपविधि, 2014 समय–समय पर यथा संशोधित, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में प्रावधानित एवं औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के परामर्श के अनुसार सभी निष्क्रिय और सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली के उपायों का अनुपालन करने का शपथ लेते हैं।
2. हमलोग बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** के उपविधि 10 के तहत कार्यारंभ के संबंध में जानकारी देने का शपथ लेते हैं।
3. हमलोग बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** के उपविधि 12 के तहत निर्माण की आवधिक रिपोर्ट देने का शपथ लेते हैं।
4. हमलोग भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** की उपविधि 15 के अनुपालन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में नोटिस देने का शपथ लेते हैं।
5. हमलोग अधिभोग प्रमाण पत्र लेने के लिए अंतिम एन०ओ०सी० का शपथ लेते हैं।
6. हमलोग भवन कब्जे की तारीख से 6 महीने के अन्दर भवन के 40% अधिवासियों एवं कर्मियों को अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में अग्नि की रोकथाम और अग्निशमन की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण कराने का वादा करते है।
7. हमलोग नियमित अंतराल पर अग्नि अंकेक्षण के लिए अग्निशमन सेवा को खबर करने का शपथ लेते हैं।
8. हमलोग अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से सर्विसिंग कर और अप्रचलित उपकरणों को बदल कर हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में बनाए रखने का वादा करते है।
9. सभी अग्निशमन प्रणाली के प्रबधान के लिए व्यय का प्राक्कलन तैयार किया गया है और अग्नि सुरक्षा उपायों पर खर्च हेतु प्राक्कलन चेक लिस्ट के साथ मूल रूप में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जा रहा है।
10. उपरोक्त अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के लिए कुल अनुमानित लागत का 15% बैंक गारंटी राज्य अग्निशमन सेवा के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत करने का शपथ लेते हैं।
11. हमलोग इस बात से सहमत हैं कि हमलोगों के भवन में संबंधित संहिता, अधिनियम, नियम, विनियमन के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रणाली के प्रावधान नहीं रहने या रख–रखाव नहीं करने की स्थिति में अथवा औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के परामर्श का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा किसी भी समय बैंक गारंटी जब्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

स्थान.....
दिनांक–.....

(भवन निर्माता/प्रमोटर/डेवलपर/भवन स्वामी)
नाम–
पदनाम–
पत्राचार का पता–
सम्पर्क नम्बर–

प्रपत्र–ड़

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत)

निदेशक,राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना ।

सेवा में,

.....
.....

संदर्भ :–क्रमांक.....दिनांक.....

आवेदनकर्त्ता मे0..... (विशिष्ट आई.डी.नं0.....)

विषय :– भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार के भवन योजना सलाहकार समिति की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता मे0..... के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15 (च) (iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम..... अधिभोग..... उप श्रेणी..... भवन की ऊँचाई.....(मीटर में) फर्श क्षेत्र.....वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या.....तलघर की संख्या..... स्लिट/भूतल की संख्या....., भवन के ब्लॉक की संख्या..., प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार....., लिफ्ट की संख्या....., फायर लिफ्ट की संख्या.... रैम्प की संख्या..., आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या....., फायर टावर की संख्या.....,है । राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा–निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्त्ता/भू–स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :–

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर.....,दक्षिण..... पूर्व.....पश्चिम.....) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या.., चौड़ाई.., (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या..., चौड़ाई..., (मीटर) प्रस्तावित किया गया है ।

(2) **<u>खुला स्थान एवं पहुँच</u>**–

(क) भवन के चारो तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :–

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग–अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा ।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) **सीढ़ी** :–

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईंट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस–पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ड़) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) **अग्नि सुरक्षा प्रणाली** :–राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:–

(क) होज रील

(ख) वेट राईजर–सह–डाउन कमर सिस्टम (..... अदद)

(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ड़) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रींक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता.....लीटर

(ज) ओभर हेड वाटर टैंक .....लीटर क्षमता

(झ) एक पम्प हाउस .....एल.पी.एम., इलेक्ट्रीक एवं डीजल.....एल.पी.एम., जॉकी पम्प .....एल.पी.एम. बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे– बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय–समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगाा । कुछ शर्ते निम्न प्रकार हैं :–

(क) **लिफ्ट** :–

(I) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रींक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रींक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग–अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ड़) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले ।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :–

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग–अलग एयर हैंडलिग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके ।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन–** विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा ।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए ।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी– एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार ।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले मे, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

7. अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

8. इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जॉच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

9. अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

10. हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है/ऑनलाईन निर्गत किया जाता है।

आपका विश्वासी
प्रतियॉ (जैसा आवश्यक है)

(.....)
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना ।

1) मे0.....
2) अध्यक्ष नगर निगम.....

प्रपत्र–च

भवन निर्माण योजना में त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि का निराकरण हेतु दिए जाने वाले निर्देश ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iv) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

प्रसंगः– आपका पत्रांक– ..... दिनांक–.....

विषयः– भवन निर्माण योजना में पाए गए त्रुटि के निराकरण हेतु ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा समर्पित भवन निर्माण योजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच भवन निर्माण योजना परामर्शी समिति के द्वारा किया गया। जाँचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी हैंः–

.....

.....

.....

.....

.....

अतः आपके द्वारा समर्पित भवन निर्माण योजना से संबंधित सभी अभिलेख वापस किया जाता है। कृपया पायी गयी त्रुटियों का निराकरण करते हुए बिना किसी प्रकार के काट/अन्तरलेपन/अन्तरलेखन के संबंधित अभिलेखों का स्वच्छ एवं सुस्पष्ट प्रति 10 दिनों के अन्दर राज्य अग्निशमन मुख्यालय में जमा करें, ताकि आपके भवन निर्माण योजना से संबंधित औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में भवन निर्माण योजना पारमर्शी समिति के द्वारा विचार किया जा सके।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक
बिहार, पटना।

प्रपत्र–छ

भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य प्रगति की सूचना

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(v) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक.....

विषयः– औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर भवन निर्माण कार्य में प्रगति की सूचना ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा भवन निर्माण हेतु औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक–..... निर्गत किया गया है जिसके आधार पर अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिनांक–..... से प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भवन का निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(क) भवन निर्माणः– नीव/कुर्सी/बेसमेंट/सतही मंजिल/..... तक हुआ है।

(ख) भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधितः– अन्डर ग्राउण्ड टैंक/..... निर्मित/ निर्माणाधीन है।

विश्वासभाजन

वास्तुविद् का हस्ताक्षर,
नाम–
सूचीकरण संख्या–

निर्माणाधीन भवन का पताः–
दिनांकः–

अभियंता का हस्ताक्षर,
नाम–
सूचीकरण संख्या–

सरचना अभियंता का हस्ताक्षर
नाम–
सूचीकरण संख्या–

स्वामी/आवेदक का नाम–
स्वामी/आवेदक हस्ताक्षर–

प्रपत्र–ज

भवन निर्माणकर्ता द्वारा औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुपालन में कमी अथवा शर्तों से भिन्नता पाये जाने की स्थिति में भवन निर्माता को त्रुटि सुधार हेतु निर्देश

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(vi) के अन्तर्गत)

पत्रांक................................../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक....................................../

सेवा में,

....

....

प्रसंगः– आपका पत्रांक– .... दिनांक–..................................

विषयः– कार्य प्रगति का जाँचोपरान्त भवन निर्माण में पाए गए त्रुटियों का सुधार हेतु।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा भवन निर्माण कार्य में प्रगति की सूचना दी गई है। इसकी जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के कतिपय शर्तों के अनुपालन में कमी/ शर्तों से भिन्नता पायी गयी है जो निम्न प्रकार हैः–

....

....

....

....

....

अतः कृपया भवन निर्माण के क्रम में पाई गई उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा अन्तिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक
बिहार, पटना।

प्रपत्र–झ

अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भवन निर्माणकर्ता द्वारा दिये जाने वाले भवन निर्माण पूर्णता की सूचना

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (छ)(i) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक.....

विषयः– औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर भवन निर्माण कार्य पूर्णता की सूचना।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा भवन निर्माण हेतु औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या–.....दिनांक–.....निर्गत किया गया है, जिसके आधार पर अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिनांक–..... से प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य किया गया। भवन निर्माण कार्य में प्रगति की सूचना पत्रांक..... दिनांक..... द्वारा दी गई थी । उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रमाणित किया जाता है कि औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों के अनुसार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग–4) के प्रावधानों के आलोक में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। सुविधा हेतु संबंधित चेक लिस्ट अद्यतन स्थिति के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि निर्मित भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित व्यवस्था की जाँच कर अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट किया जाय ताकि अधिवासी प्रमाण पत्र प्राप्ति की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक–चेक लिस्ट

विश्वासभाजन

वास्तुविद् का हस्ताक्षर,
नाम–
सूचीकरण संख्या–
अभियंता का हस्ताक्षर,
नाम–
सूचीकरण संख्या–
संरचना अभियंता का हस्ताक्षर
नाम–
सूचीकरण संख्या–
स्वामी/आवेदक का नाम–
स्वामी/आवेदक हस्ताक्षर–

निर्माणाधीन भवन का पताः–
दिनांकः–

लगातार–

अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु चेक लिस्ट

(1) औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित पूर्व में पारित नक्शा का प्रति।

(2) भवन निर्माण हेतु नगर निकाय प्राधिकार का अनुमोदन, जिसमें स्थल से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख हो–

(क) खुला स्थान एवं पार्किंग स्थल।

(ख) भवन तक पहुँच हेतु 5 मीटर का उर्ध्व (Vertical) क्लियरेंस के साथ 6 मीटर का पहुँच पथ। (भवन श्रेणी के अनुसार आवश्यक)

(ग) सीढ़ियों का सेक्शन स्केच, जिससे उसके निर्माण एवं धुआँ निकासी की व्यवस्था स्पष्ट हो।

(घ) निकासी रास्ता, लिफ्ट, सीढ़ी एवं डिब्बाकरण (कम्पार्टमेन्टेशन) हेतु अग्नि एवं धुआँ रोकने हेतु चेक दरवाजा का वास्तविक स्थल।

(ड.) अग्नि सूचक, हस्तचालित कॉल प्वाईन्टस, स्प्रींकलरर्स, हॉज रील, यार्ड हाईड्रेन्ट एवं वेट राईजर का स्थान ।

(च) तलघर भेन्टीलेशन, धुआँ निकासी/निकासी करने वाला, निकासी सीढ़ी।

(छ) ट्रान्सफर्मर्स का स्थान एवं जेनरेटर का स्थान, और बाहर की ओर हवा/धुआँ निकासी की व्यवस्था।

(ज) अग्निशमन हेतु पानी टंकी एवं पम्प का क्षमता एवं स्थान।

(झ) अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु बिना खिड़की के भवन के उँचे मंजिलों एवं रिफ्युजी क्षेत्र में पहुँचने का साधन ।

(3) निम्नलिखित के संबंध में तकनीकी विवरणी, विशिष्टियाँ, विक्रेता का संबंधित कागजात तथा आई०एस० का सम्पुष्टि हेतु संबंधित अभिलेखः–

(क) आग एवं धुआँ के फैलाव को रोकने हेतु उपयोग किए गए विभिन्न मॉडल के अग्नि प्रतिरोधक दरवाजा।

(ख) पम्प, हॉज रील, अग्नि/धुआँ सूचक, स्प्रींकलर, हाईड्रेन्ट प्रणाली, अग्निशामक यंत्र ।

(ग) धुआँ निकासी करने की व्यवस्था, भेन्टीलेशन/वातानुकूलन व्यवस्था का अधिष्ठापन के संबंध में अभियंता/तकनीकी व्यक्ति का लिखित दस्तावेज।

(4) अलग सर्किट दिखाने हेतु विद्युत एकल पंक्ति का डायग्राम (विद्युत अभियंता/संवेदक के द्वारा सत्यापित)–

(क) फायर पम्प, फायर एलार्म लिफ्ट एवं पी०ए० सिस्टम।

(ख) धुआँ नियंत्रण/निकासी उपकरण एवं संबंधित भेन्टीलेशन।

(ग) बैट्री बैकअप दिखाते हुए निकासी रास्ता का रोशनीकरण।

(घ) सामान्य से आपातकाल स्थिति में परिवर्तनीय आपातकालीन जेनरेटर व्यवस्था।

(5) विद्युत नियमों का अनुपालन संबंधी विद्युत अभियंता/संवेदक का प्रमाण पत्र ।

(6) अग्नि नियंत्रण कक्ष एवं अग्नि कर्मी–

(क) अधिवासियों एवं अग्निशमन सेवा को सचेत करने हेतु एलार्म डिटेक्शन एवं संचार व्यवस्था।

(ख) आपातकालीन निकासी योजना।

(ग) अग्नि काण्डों की स्थिति में किए जाने वाले/नहीं किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दृष्टिगोचर स्थलों पर प्रदर्शन।

(घ) अग्निशमन हेतु निर्देश।

(ड.) अग्निशमन हेतु अग्नि कर्मी/प्रशिक्षित अधिवासियों का संगठन।

(च) अग्नि ड्रील का आयोजन एवं संबंधित अभिलेख संधारण हेतु जबावदेह व्यक्तियों की सूची।

(7) भवन निर्माता/वास्तुविद्/अभियंता/विद्युत संवेदक/अग्नि सुरक्षा प्रणाली संवेदक का नाम/दूरभाष संख्या/अनुज्ञप्ति संख्या/हस्ताक्षर।

प्रपत्र–ञ

अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

.....(प्राधिकृत पदाधिकारी).....

पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रेषक,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी,.....।

सेवा में,

.....

.....

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक–.....

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का पत्रांक–.....दिनांक.....

विषयः– अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित भवन निर्माण पूर्णता की सूचना की जाँच आपके द्वारा संलग्न चेक लिस्ट के आलोक में की गयी । अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है:–

(1) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय–समय पर यथा संशोधित, बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित**, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007, बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप अधिनियम, 2006, मल्टी स्टोरी भवन अधिनियम, 1981 एवं भवन श्रेणी के आलोक में तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियम/ नियम/निर्देश का अनुपालन करेंगे ।

(2) औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट/अन्डरटेकिंग का पालन करेंगे ।

(3) भवन के चारो ओर भवन रेखा तक पहुँच हेतु न्यूनतम 6 मीटर (भवन श्रेणी एवं भवन निर्माण के अनुसार) चौड़ा रास्ता को पार्किंग बाधा/जेनरेटर/ट्रान्सफर्मर/सुरक्षा बल/डाक घर/खुदरा विक्रेता/विविध/अन्य निर्माण/फिक्चर्स/बालकोनी की उँचाई 5 मीटर (विधिसम्मत यथाआवश्यक) से मुक्त रखेंगे।

(4) अधिवासियों के सुरक्षित निकासी हेतु निकास सीढ़ी की क्षमता एवं चौड़ाई राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित रखेंगे।

(5) आग के फैलाव को सीमित करने तथा बाहरी सीढ़ी/लिफ्ट में धुआँ का प्रवेश रोकने हेतु अग्नि प्रतिरोध दरवाजा की स्थिति सही रखेंगे ।

(6) भूतल/तलघर में पार्किंग के स्प्रींकलर पूर्ण क्रियाशील अवस्था में रखेंगे।

(7) सीढ़ी एवं लिफ्ट पूर्ण क्रियाशील अवस्था में रखेंगे।

(8) अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्र, एलार्म आदि को संबंधित प्रावधान के आधार पर नियमित रूप से जाँच करते हुए क्रियाशील अवस्था में रखेंगे।

(9) प्रथम 2 वर्षों में त्रैमासिक तथा उसके बाद अर्द्धवार्षिक अग्नि सुरक्षा ड्रील करेंगे।

(10) आपातकालीन जेनरेटर आदि एवं संबंधित उपकरण का जाँच राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** एवं आई०एस० 1644 के अनुसार करेंगे।

(11) अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरण (राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** का भाग–4 का टेबुल संख्या–7 के अनुसार)

(क) भूतल पानी टंकी की क्षमता–

(ख) छत पर पानी टंकी की क्षमता–

(ग) भूतल पर विद्युत/डीजल/जॉकी पम्प की क्षमता–

(घ) छत पर विद्युत/अन्य पम्प की क्षमता–

(ड.) स्वचालित अग्नि सूचक एवं एलार्म प्रणालो–

(च) हस्तचालित अग्नि एलार्म प्रणाली–

(छ) स्वचालित स्प्रींकलर प्रणाली–

(ज) हॉज रील–

(झ) वेट राईजर–

(ञ) डाउन कमर–

(12) पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की संख्या(प्रकार एवं क्षमता के अनुसार अलग–अलग)–

(13) दृष्टिगोचर स्थलों पर निकासी रास्ता दिखाते हुए निकास योजना का प्रदर्शन करेंगे ।

(14) अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी (भवन श्रेणी के अनुसार) रखेंगे ।

(15) अग्नि नियंत्रण कक्ष।

(16) भवन श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की स्थिति में नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना
प्राधिकृत पदाधिकारी,.....

प्रपत्र–ट

भवन निर्माण पूर्णता की सूचना के बाद भवन का जाँचोपरान्त औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों के अनुरूप निर्माण नहीं होने की स्थिति में भवन निर्माणकर्ता को सुधार हेतु दिये जाने वाले नोटिस

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (छ)(ii) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक..... /

सेवा में,

.....

.....

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक .....दिनांक..... एवं
आपका पत्रांक– ..... दिनांक–.....

विषयः– भवन निर्माण पूर्णता की सूचना के बाद भवन का जाँचोपरान्त अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई त्रुटियों का निराकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा भवन निर्माण हेतु औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। आपके द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्णता की सूचना दी गई एवं आपके द्वारा प्रमाणित किया गया कि औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों के अनुसार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग–4) के प्रावधानों के आलोक में उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है, परन्तु उक्त निर्मित भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित व्यवस्था की जाँचोपरान्त औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों का पालन में निम्न प्रकार त्रुटियाँ पायी गयीहैं:–

अतः कृपया भवन निर्माण में पायी गयी उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, ताकि पुनः जाँचोपरान्त विधिवत अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–ठ

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन के स्वामी को अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु नोटिस

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

विषयः– बिना अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए भवन निर्माण करने एवं अधिवासियों के जोखिमपूर्ण स्थिति में रहने के कारण वांछित अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु नोटिस।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि

1. आप.....(भवन) के स्वामी/अधिवासी/बिल्डर/अपार्टमेन्ट के एशोसिएशन के पदधारक हैं ।
2. आपके द्वारा उक्त भवन का निर्माण हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
3. उक्त भवन का अग्नि अंकेक्षण के बाद पाया गया कि भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों संबंधी व्यवस्था में घोर कमी है जिस कारण अग्नि आपदा के दृष्टिकोण से भवन के अधिवासियों के जान–माल का खतरा बना हुआ है।

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–35 के अन्तर्गत निर्देश दिया जाता है कि संलग्न अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित सलाहों के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों को ..... दिनों के अन्दर अधिष्ठापित करना सुनिश्चित करें । तत्पश्चात उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से सबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 का नियम–15 (च)(झ) के अन्तर्गत विधिवत आवेदन पत्र दें।

निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37, 44 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 की उपविधि–16 (7) एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 का नियम–22(ग)(छ)(ज)(झ) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक– अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन!

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–ङ

अनापत्ति प्रमाण पत्र वं नवीकरण हेतु भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्र

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ञ)(ii) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

विषयः– **अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हेतु ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भवदीय के कार्यालय पत्रांक–.......दिनांक–..... के द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्णता की सूचना के आलोक में भवन निर्माण स्थल के जाँचोपरान्त अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जिसकी वैधता की अवधि दिनांक.............. तक निर्धारित है।

प्रमाणित किया जाता है कि अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों के अनुसार तथा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005, (भाग–4)/राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग–4) के प्रावधानों के आलोक में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया था जो क्रियाशील स्थिति में है। इसकी जाँच अग्नि विशेषज्ञ से करायी गयी है। अग्नि सुरक्षा उपायों का वर्तमान व्यवस्था से संबंधित चेक लिस्ट (औपबंधिक तथा अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित चेक लिस्ट प्रपत्र में) में भर कर तैयार किया गया है। अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन एवं चेक लिस्ट संलग्न किया जा रहा है। सुविधा हेतु अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु पूर्व में समर्पित किए गए चेक लिस्ट का छायाप्रति भी संलग्न है ।

प्रमाणित किया जाता है कि अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के बाद भवन की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुरोध है कि विषयांकित भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित व्यवस्था की जाँच कर अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक–1. चेक लिस्ट
2. अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन

विश्वासभाजन

भवन स्वामी/व्यवस्थापक का हस्ताक्षर,
नाम–
पता–
भवन का पताः–
दिनांकः–

प्रपत्र–ढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ञ)(ii) के अन्तर्गत)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पत्रांक..... दिनांक.....

सेवा में,

.....

.....

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक.....

विषयः– अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु विहित प्रपत्र में चेक लिस्ट एवं अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित अग्नि विशेषज्ञ का जाँच प्रतिवेदन के साथ समर्पित आवेदन पत्र की जाँच की गयी/करायी गयी। जाँचोपरान्त आपके भवन से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण.....अवधि के लिए सशर्त किया जा रहा है।

कृपया अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित सलाह एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे तथा समर्पित चेक लिस्ट के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों को क्रियाशील स्थिति में रखेंगे। साथ ही अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005, (भाग–4)/राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, (भाग–4), बिहार भवन उपविधि, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 एवं संबंधित अन्य अधिनियम/नियम/विनियमन के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। विशेष रूप से नियमित अंतराल पर अग्नि सुरक्षा उपायों की जाँच अग्नि विशेषज्ञ से तथा विद्युतीकरण की जाँच विद्युत अभियंता या सक्षम प्राधिकार से कराएँगे।

पुनः भवन की श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के पूर्व अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

राज्य अग्निशमन
पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–ण

अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने संबंधी नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पत्रांक..... दिनांक.....

सेवा में,

.....

.....

विषयः– **अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी नोटिस।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके भवन/परिसर से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक–.....दिनांक–.....द्वारा निर्गत किया गया था।पत्रांक–.....दिनांक–..... .....द्वारा नवीनीकरण किया गया था। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके भवन का अग्नि अंकेक्षण की गयी/करायी गयी, जिससे पाया गया कि आपके द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित परामर्श का अनुपालन में चूक किया गया है जो निम्नप्रकार हैं:–

(1)

(2)

(3)

(4)

अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन में आपके द्वारा की गई कोताही के कारण उक्त भवन/परिसर एवं समीपवर्ती भवन/परिसर के अधिवासियों का अग्नि आपदा से जान–माल का खतरा संभावित है।

कृपया.....दिनों के अन्दर स्पष्ट किया जाय कि क्यों नहीं आपके भवन/परिसर से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दी जाय । अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द होने की दशा में उक्त भवन का सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।

राज्य अग्निशमन
पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–त

अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्दीकृत के बाद भवन मालिक अथवा अधिभोगियों द्वारा अपील

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ट)(i) के अन्तर्गत)

सेवा में,

महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रसंगः– राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक.....दिनांक.....
.....(प्राधिकृत पदाधिकारी) का पत्रांक.....दिनांक.....

विषयः– अग्नि निवारण एवं सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी नोटिस के विरूद्ध अपील।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी के भवन/परिसर (नाम/पता–.....
.....) से संबंधित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (पत्रांक–.....दिनांक–.....)/ नवीनीकरण (पत्रांक–.....दिनांक–.....) को रदद् करने हेतु .....
.....के द्वारा पत्रांक–.....दिनांक–.....द्वारा नोटिस दिया गया है। उक्त नोटिस में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी के भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण किए/कराये जाने के बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में चूक होने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रदद् किए जाने की बात अंकित की गई है। संबंधित नोटिस का जवाब देने हेतु.....दिनों का समय सीमा निर्धारित किया गया है। उक्त नोटिस के विरूद्ध निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुनवाई हेतु भवदीय से अपील किया जाता हैः–

(1)
(2)
(3)
(4)

अनुरोध है कि उक्त विन्दुओं पर अविलम्ब सुनवाई करते हुए यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

आवेदक का नाम/पता/सम्पर्क
दूरभाष तथा मोबाईल नंबर।

प्रपत्र–थ

भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनोंके द्वारा भवनों का न्यूनतम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अग्निशामालय पदाधिकारी को समर्पित किए जाने वाले स्वमूल्यांकन प्रपत्र।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 17(ख) के अन्तर्गत)

(भवन के अधिवासियों के जान माल का अग्नि से सुरक्षा की जवाबदेही भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/सोसायटी की है। अग्निशमन विभाग फायर ऑडिट कर सलाह देगी जिसका अनुपालन करना है।अग्निशामालय पदाधिकारियों के द्वारा फायर ऑडिट के पूर्व ही भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/सोसायटी द्वारा प्रत्येक माह स्वमूल्यांकन कर लेने से भवन की अधिकतम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है। कृपया निम्नलिखित प्रपत्र भरकर प्रत्येक माह अपने क्षेत्र के अग्निशामालय पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय एवं उनसे आवश्यक सलाह ले ली जाय ताकि भवन/परिसर में अधिकतम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था क्रियाशील बनी रहे।)

सेवा में,

.....

.....

(1) भवन मालिक का नाम :–
(अपार्टमेन्ट की स्थिति में अपार्टमेन्ट के निवासियों के संघ के सचिव का नाम)
(2) भवन का नाम/पता/निर्माण वर्ष :–
(3) भवन का प्रकार (आवासीय/व्यावसायिक/शैक्षणिक/सांस्थिक आदि):–
(4) भवन की उँचाई एवं तल (बेसमेंट है या नहीं) :–
(5) भवन तक अग्निशमन वाहनों का पहुँच (भवन के चारो ओर या मात्र भवन के समीप तक) :–
(6) भवन में सीढ़ी की संख्या :–
(7) भवन में लिफ्ट की संख्या :–
(8) भवन से बिजली तार की दूरी :–
(9) भवन बनने के पूर्व अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं:–
(10) अग्निशामालय पदाधिकारी द्वारा जाँच की तिथि:–

क्र०सं०	भवन में किए गए अग्निशमन व्यवस्था	माह		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	फायर एस्टींग्यूसर का प्रकार/क्षमता :– ...../..... एक्सपायरी तिथि/रिफिलिंग तिथि :– ...../.....			
2	डाउन कमर सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :–			
3	वेट राईजर सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :–			
4	हौज रिल क्रियाशील (हाँ या नहीं) :–			
5	फायर हाईड्रेंट भल्व की संख्या (.....)/यार्ड हाईड्रेंट की संख्या (.....) एवं कारगर (हाँ या नहीं)			
6	हौज बॉक्स में हौज एवं ब्रॉच की संख्या :–			
7	स्प्रींकलर क्रियाशील (हाँ या नहीं) :–			
8	स्मॉक डिटेक्शन सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :–			
9	फायर अलार्म सिस्टम क्रियाशील (हाँ या नहीं) :–			
10	पब्लिक एड्रेस सिस्टम (हाँ या नहीं) :–			
11	फायर कंट्रोल रूम (हाँ या नहीं) :–			
12	भवन में ग्लो सिग्नेज (EXIT साइन आदि) (हाँ या नहीं) :–			
13	भूतल पानी टंकी की क्षमता (.....) पानी भरा (हाँ या नहीं) :–			
14	ओवर हेड पानी टंकी की क्षमता (.....) पानी भरा (हाँ या नहीं) :–			
15	भवन में एयर कंडीनशर का प्रकार (स्पीलिट/विंडो/सेंट्रेलाईज) की संख्या :–			
16	भवन का विद्युत लोड क्षमता (.....KVA) के अनुसार विद्युत कनेक्शन (हाँया नहीं)			
17	अल्टरनेट विद्युत व्यवस्था (हाँ या नहीं) :–			
18	भवन में रहने वाले/कार्य करने वालों के साथ अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल किए जाने की तिथि:–			

भवन मालिक का हस्ताक्षर
तिथि:–

प्रपत्र–द

पंडाल निर्माता द्वारा पंडाल के द्वार/मुख्य दृश्यमान स्थल पर पंडाल सुरक्षा संबंधी प्रदर्शित किये जाने वाले घोषणा पत्र

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–26 की उपधारा–(2) के अधीन
बेहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 18 (ख) के अन्तर्गत)

सेवा में,

.....
.....

मैं.....(पंडाल निर्माता का नाम), पंजीकृत कार्यालय स्थल.....
पंजीयन संख्या.....उद्घोषणा करता हूँ कि ..... स्थल पर .....
.....वर्गमीटर का बनाया गया पंडाल/अस्थाई ढाँचा उक्त स्थल पर दि0–.....से .....
.....तक रहेगा। उक्त पंडाल बनाने में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय हेतु अग्निशाम सेवा के अधिनियम एवं भारतीय मानक ब्यूरो, IS-8758-1993के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था किया गया है। साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) एवं भारतीय विद्युत नियमावली के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि अग्निकांड से बचने के लिए पंडाल/अस्थायी ढाँचा में निम्नलिखित प्रशिक्षित व्यक्ति उपस्थित रहेंगे–

1. .....
2. .....
3. .....

दिनांक.....

स्थल..... **पंडाल निर्माता/मालिक का हस्ताक्षर**

प्रतिलिपिः– अग्निशमन पदाधिकारी,..... को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रपत्र–घ

पंडाल के अग्नि सुरक्षा उपाय में कमी पाए जाने पर पंडाल निर्माता को कमियाँ दूर करने अथवा पंडाल को सील कर देने संबंधी नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–26 की उपधारा–(2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 18 (ग) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना/.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय,.....।

दिनांक..... /

सेवा में,

.....

.....

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– ..... दिनांक–.....

विषयः– पंडाल सुरक्षा संबंधी प्रदर्शित घोषणा पत्र की सत्यता का जाँचोपरान्त पाए गए त्रुटियों का निराकरण हेतु।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा .....(स्थल) पर पंडाल का निर्माण किया गया है एवं पंडाल का अग्नि से सुरक्षा के संबंध में घोषणा पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया है। निर्मित पंडाल का जाँच..... .....के द्वारा किया गया । जाँचोपरान्त पाया गया कि घोषणा पत्र सही नहीं है एवं इसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी हैः–

.....

.....

.....

.....

.....

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त पायी गयी त्रुटियों का निराकरण .....घंटों के अन्दर करते हुए इसकी सूचना तत्काल दें अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा की धारा–27 के अन्तर्गत बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–19 के अन्तर्गत आपके पंडाल का विधिवत हटाने/जप्ती/नीलामी आदि की कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
मुहर

प्रपत्र–न

आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(1) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (क) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना/.....
(प्राधिकृत पदाधिकारी)का कार्यालय,.....।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– ..... दिनांक–.....

विषयः– आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने हेतु निर्देश।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में..... ..... सामान/वस्तु हैं जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में अथवा आस–पास के परिसर/भवन /पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा आग लगने की स्थिति में उस पर काबू पाने में रूकावट का कारण बनते है।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 की उपधारा 1 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19(क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत निर्देश दिया जाता है कि उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/ .....घंटे/दिनों के अन्दर हटा लें।

(3) उपरोक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जाएगा।

निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
मुहर

प्रपत्र–प

आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को विधिक कार्रवाई हेतु सूचना

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(1) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (ख) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना/

.....(प्राधिकृत पदाधिकारी)का कार्यालय,.....।

दिनांक...../

सेवा में,

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

.....

विषयः– **आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने हेतु भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/ अधिभोगी को दिए गए निर्देश का अनुपालन में चूक के कारण विधिसम्मत् कार्रवाई हेतु अनुरोध।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि :–

(1) ..... के स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों /भवन/उनके द्वारा लगाये गए पंडाल में दिनांक .....को .....बजे जाँच के क्रम में..... .....सामान/वस्तु पाये गये हैं जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में अथवा आस–पास के परिसर/भवन/पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा अग्निकाण्ड की घटना होने पर आग पर काबू पाने में रूकावट का कारण बनते है।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 की उपधारा 1 एवं बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम19(ख) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत परिसर/भवन/पंडाल के स्वामी/अधिभोगी को उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/ .....दिनों के अन्दर हटा लेने का निर्देश इस कार्यालय का पत्रांक ..... दिनांक.....द्वारा दिया गया। साथ ही उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर देने की बात से भी उन्हें अवगत कराया गया, परन्तु उनके द्वारा अगलगी/अतिक्रमण के उपरोक्त संभावित कारक को नहीं हटाया गया । उनके द्वारा पत्रांक..... दिनांक..... के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन असंतोषजनक पाये गये। आग का जोखिम के संभावित कारक अथवा अतिक्रमण अभी भी उक्त स्थल पर मौजूद है जिससे आम जनता की जान–माल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
मुहर–

प्रपत्र–फ

आग की जोखिम के संभावित कारक अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को हटाने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं किए जाने संबंधी सूचना प्राप्ति के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा पंडाल निर्माता से कारण पृच्छा।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(2) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (ग) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

अनुमंडल दण्डाधिकारी, ... का कार्यालय।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– ..... दिनांक–.....

विषयः– आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने हेतु अग्निशमन सेवा द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन में चूक के लिए कारण–पृच्छा।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि–

(1) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन सेवा के द्वारा दिनांक .....को .....बजे जाँच किया गया, जिस संबंध में उनके द्वारा पत्रांक .....दिनांक ..... के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा जाँच के क्रम में आपके स्वामित्व अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में ..... सामान/वस्तु पाये गये अथवा अतिक्रमण पाया गया है,जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में अथवा आस–पास के परिसर/भवन/पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा अगलगी पर काबू पाने में रूकावट का कारण बनते है।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 की उपधारा 1 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–19(ग) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत उनके द्वारा आपको उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/ .....घंटे/दिनों के अन्दर हटा लेने का निर्देश दिया गया । साथ ही उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर देने की बात से भी आपको अवगत कराया गया, परन्तु आपके द्वारा अगलगी/अतिक्रमण के उपरोक्त संभावित कारक को नहीं हटाया गया । आपके द्वारा पत्रांक.....दिनांक..... के माध्यम से समर्पित अभ्यावेदन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाये गये।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 (2) के अधीन इस नोटिस की प्राप्ति से .....दिनों के अन्दर आप अपना कारण पृच्छा दायर करें कि क्यों नहीं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित कार्रवाई की जाय।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

.....

प्रपत्र–ब

आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने मे चूक होने के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा पूछे गए कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने अथवा प्राप्त कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाए जाने पर अधिग्रहण, निरूद्ध अथवा हटाने संबंधी अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा आदेश ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (घ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

अनुमंडल दण्डाधिकारी, ... का कार्यालय।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

विषयः– **आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने हेतु अग्निशमन सेवा द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन में चूक के कारण की गई कारण–पृच्छा प्राप्त नहीं होने/असंतोषप्रद पाये जाने के कारण अधिग्रहण, निरूद्ध अथवा हटाने हेतु आदेश।**

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि–

(1) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में निदेशक /प्राधिकृत पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन सेवा के द्वारा दिनांक .....को .....बजे जाँच किया गया, जिस संबंध में उनके द्वारा पत्रांक .....दिनांक ..... के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा जाँच के क्रम में आपके स्वामित्व/अधिभोग वाले परिसरों/भवन/आपके द्वारा लगाये गए पंडाल में ..... सामान /वस्तु पाये गये जिस कारण उक्त परिसर/भवन/पंडाल में अथवा आस–पास के परिसर/भवन/पंडाल में आग लग जाने का खतरा संभावित है अथवा अगलगी पर काबू पाने में रूकावट का कारण बनते है।

(2) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 की उपधारा 1 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत उनके द्वारा आपको उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण को तत्काल/.....घंटे/दिनों के अन्दर हटा लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल दण्डाधिकारी को अधिनियम की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर देने की बात से भी आपको अवगत कराया गया, परन्तु आपके द्वारा अगलगी/अतिक्रमण के उपरोक्त संभावित कारक को नहीं हटाया गया। आपके द्वारा पत्रांक.....दिनांक..... के माध्यम से समर्पित अभ्यावेदन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाये गये।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 (2) के अधीन आपको सूचित किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति से .....दिनों के अन्दर आप अपना कारण पृच्छा दायर करें कि क्यों नहीं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 (2)(3)(4)(5)एवं(6) के अन्तर्गत उक्त वस्तु अथवा माल अथवा अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित कार्रवाई की जाय।

(4) आपके द्वारा कारण पृच्छा दायर नहीं किया गया/आपके द्वारा दायर कारण पृच्छा सम्यक विचारोपरान्त असंतोषप्रद पाया गया। आपके द्वारा उक्त भवन/परिसर में आग के संभावित कारक रखे जाने/अतिक्रमण किए जाने से आम जनता के जान–माल को खतरा उत्पन्न हो गया है।

(5) मैं (प्राधिकार का नाम)....(पदनाम)..... बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27 (3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 की

धारा–**19(घ)**के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निम्नांकित वस्तुओं/सामानों को उपर्युक्त कारणों से जब्त करने/रोक रखने/उनके अतिक्रमण को हटाने का आदेश देता हूँ–

क्र०सं०	जप्ती स्थल	जब्त किए गए वस्तुओं/चल सम्पत्तियों का विवरण (मात्रा/संख्या सहित)	जब्त करने या रोक रखने के कारण ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

.....

प्रपत्र–भ

आग की जोखिम के संभावित कारक का जप्ती संबंधी पंचनामा ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(4) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (ड.) के अन्तर्गत)

1. मामला संख्या .....
2. स्थान .....
3. दिनांक .....
4. समय .....
5. मालिक/अधिभोगी का नाम व पता.....
6. उपस्थित व्यक्ति का नाम व पता.....
7. पंचों के नाम और पता.....

अ. (क) श्री/श्रीमती .....
(ख) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
(ग) निवासी .....
(घ) उम्र (वर्ष में)
(ङ) व्यवसाय

ब. (क) श्री/श्रीमती .....
(ख) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
(ग) निवासी .....
(घ) उम्र (वर्ष में) .....
(ङ) व्यवसाय .....

उपर लिखित हम सभी पंच श्री/श्रीमती ..... पदनाम ..... स्थान .... द्वारा आज बुलाए गए भवन/परिसर/पंडाल के पते पर कतिपय चल संपत्तियों अथवा वस्तुओं की जप्ती के दरम्यान् गवाह रहे हैं, जिन्हें मालिक/अधिभोगी के परिसर/भवन/पंडाल में रखा गया था एवं जिसे सामने लाया गया। हमारी उपस्थिति में, उक्त ..... (पदाधिकारी का नाम व पता) ने निम्नलिखित वस्तुओं/सामानों को जब्त किया, जिसे हमने सही पाया :

क्रम संख्या	जप्ती स्थल	जप्त चल संपत्तियों/ वस्तुओं की सूची	मात्रा	जप्त किए जाने और रोके रखने के कारण

पंचनामा हमलोगों के सामने पढ़ा गया और उसे हमारे सामने स्पष्ट किया गया एवं हमारी नजर में यह सही पाया गया।

पंचों के हस्ताक्षर :

1. .....
2. .....

(सामान जब्त करने वाले प्राधिकार का हस्ताक्षर)

पंचनामा की कॉपी प्राप्त की गई।

मालिक/अधिभोगी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–म

आग की जोखिम के संभावित कारक का जप्ती के बाद रखे गए स्थान से हटाने तथा दावा करने से चूक जाने पर नीलामी हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(4/5) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (च) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

अनुमंडल दण्डाधिकारी, ... का कार्यालय।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर, पंडाल के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– ..... दिनांक–.....

विषयः– आग की जोखिम के संभावित कारक को हटाने तथा दावा करने से चूक जाने पर नीलामी हेतु नोटिस।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) कतिपय वस्तु/चल संपत्ति अधिनियम की धारा 27 के अधीन पंचनामा संख्या ..... दिनांक ..... के तहत मामला संख्या ..... दिनांक ..... में (परिसरों का पता पर अवस्थित परिसरों से) दिनांक ..... को जब्त किए गए।

(2) उक्त चल संपत्ति/वस्तुएँ अभी (परिसर का पता) ..... में रखी गई है।

(3) अब, इसलिए मैं (नाम) ..... (पदनाम) ..... (कार्यालय का पता) ..... आपको आपकी जोखिम और लागत पर ..... दिनों के अंतर्गत .....बजे से ..... बजे तक किसी भी कार्य दिवस को उक्त वस्तु/चल संपत्तियों को एतद्द्वारा हटाने का निदेश देता हूँ। आपके द्वारा इसमें चूक करने पर ऐसा समझा जाएगा कि उक्त वस्तुओं/चल संपत्तियों पर दावेदारी की आपकी कोई इच्छा नहीं है और फिर आगे बिना कोई नोटिस दिए हुए उक्त वस्तुओं/चल संपत्तियों का निपटान बिहार अग्निशमन सेवा, 2014 की धारा 27 की उप धारा (5) के उपबंध के अधीन सार्वजनिक नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा।

(हस्ताक्षर)

दिनांक–.....

स्थान–.....

नाम–.....

पदनाम–.....

प्रपत्र–य

आग की जोखिम के संभावित कारक वस्तुओं का नीलामी के विरूद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपील ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–27(6/7) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 19 (छ) के अन्तर्गत)

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकार, (अनुमंडल दण्डाधिकारी से उच्च स्तर के पदाधिकारी होने चाहिए।)
.....

प्रसंगः– अनुमंडल दण्डाधिकारीका पत्रांक–.....दिनांक–.....

विषयः– **आग की जोखिम के संभावित कारक को मुक्त करने अथवा दावा करने से चूक जाने पर नीलामी के विरूद्ध अपील।**

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) मेरे अधीन भवन/परिसर से संबंधित कतिपय वस्तु/चल संपत्ति बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 27 के अधीन पंचनामा संख्या ..... दिनांक ..... के तहत, मामला संख्या ..... दिनांक ..... में जब्त किए गए।

(2) उक्त चल संपत्ति/वस्तुओं की नीलामी अनुमंडल दण्डाधिकारी .....द्वारा दिनांक.. .....को की गई है/निर्धारित की गई है।

(3) इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने का कृपा की जाय तथा उक्त निलामी प्रक्रिया को रद्द करते हुए जप्त वस्तुओं को मेरे पक्ष में मुक्त किया जाय ।

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ).....

नाम/पता/दिनांक

प्रपत्र–र

अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति/प्रशिक्षण हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–29 के अधीनबिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 20(ख) एवं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा–30 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियम 20(ग) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना /

.....(प्राधिकृत पदाधिकारी)का कार्यालय,..... ।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

विषयः– अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति/ प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर में .....तलघर एवं .....मंजिल है जो बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–29 एवं 30 के प्रावधानों से आच्छादित है । धारा–29 के अन्तर्गत भवन मालिक अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ से अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति एवं धारा–30 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने की अपेक्षा की गई है।

(2) आपके भवन/परिसर की जाँच दिनांक–..... को .....पदाधिकारी के द्वारा की गई। जाँचोपरान्त पाया गया है कि उक्त भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं।

(3) आपके भवन/परिसर के जाँचोपरान्त पाया गया है कि उक्त भवन/परिसर में नियुक्त अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी विधिवत् प्रशिक्षित नहीं हैं।

अतःमैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उक्त भवन/परिसर हेतु अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाय/नियुक्त किए गए अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय अथवा नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी का नामांकन अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनन्दपुर, बिहटा में प्रशिक्षण हेतु कराया जाय। ऐसा नहीं करने पर बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–31 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–20(ङ.)(च) के अन्तर्गत दण्डित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
मुहर

प्रपत्र–ल

अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु दिए गए नोटिस के बावजूद अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति में चूक किए जाने की स्थिति में अधिरोपित दण्ड के संबंध में नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–29 एवं 31 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 20 (घ)(ड.)(च)के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना /

.....(प्राधिकृत पदाधिकारी)का कार्यालय,..... ।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–.....दिनांक–.....

विषयः– अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति/प्रशिक्षण के संबंध में दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–29 एवं 30 के प्रावधानों से आच्छादित है। अधिनियम की धारा–29 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति एवं धारा–30 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने की अपेक्षा की गई थी।

(2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त करने अथवा उन्हें प्रशिक्षण दिलाने हेतु दिनांक..... को विधिवत निदेश दिया गया था, किन्तु आपके द्वारा अभी तक उक्त भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है जबकि नोटिस में 30 दिनों का समयावधि निर्धारित किया गया था।

(3) आपके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर उक्त भवन/परिसर में नियुक्त अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के प्रशिक्षित होने के संबंध में न तो कोई प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है और न ही अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में प्रशिक्षण हेतु नामांकित कराया गया है ।

(4) नोटिस में उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–31 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–20(ड.)(च) के अन्तर्गत दण्ड हेतु कार्रवाई किए जाने की बात अंकित की गई थी।

अतः कारण पृच्छा दिया जाय कि बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–29 एवं 30 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–20(ख)(ग) के अन्तर्गत दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–31 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–20(घ)(ड.)(च) के अन्तर्गत विहित दण्ड का वसूली हेतु कार्रवाई क्यों नहीं की जाय। आपका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और दण्ड वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
मुहर–

प्रपत्र–व

भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–33 एवं 43 (1) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 22(क) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना /
.....(प्राधिकृत पदाधिकारी)का कार्यालय,.....।

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

विषयः– भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर में .....तलघर एवं .....मंजिल है ।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण आवश्यक है।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–33 एवं 43(1) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–22(क) के अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु 3 घंटे की नोटिस के पश्चात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अथवा अत्यावश्यक समझे जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस के किसी भी भवन अथवा परिसर मे प्रवेश कर अग्नि अंकेक्षण करने हेतु शक्ति प्रदत्त है।

अतः उक्त प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत आपके भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण दिनांक–..... को ..... बजे किया जाएगा । कृपया स्वयं/ प्रतिनिधि के माध्यम से अग्नि अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख के साथ उपस्थित रहेंगे।

निदेशक /प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
मुहर

प्रपत्र–'श'

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवनः–
2. भवन का निर्माण वर्षः–
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):–
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथिः–
5. भवन अधिभोग का प्रकारः–
6. उप.कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकारः–
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):–
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाईः–
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी–मीटर में):–
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):–
    (तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्याः–
12. तलघर की संख्याः–
13. स्टिल्ट/भूतल की संख्याः–
14. ब्लॉक की संख्याः–
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भारः–
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):–
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):–
    (पहुँच सड़क की चौड़ाई न्युनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?
19. क्या मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा हैं?
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाईः–
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँचः–
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है?
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनों की संख्या):–
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारो तरफ दूरी):–
25. प्रवेश द्वार की संख्याः–
26. निकासी द्वार की संख्याः–
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थानः–
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):–
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):–
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):–
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप):–
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमताः–
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमताः–
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमताः–

35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):–
36. फायर टॉवर(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):–
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थानः–
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):–
39. क्षैतिज निकास की स्थितिः–
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेतः–
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादिः–
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजातः–
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशनः–
44. धुआँ निकासी व्यवस्थाः–
45. विद्युत अधिष्ठापनः–
46. सब–स्टेशन/ट्रांसफॉर्मरः–
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोतः–
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टमः–
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधानः–
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016का भाग–4 का तालिका–7 के अनुसार):–
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसुचक नियंत्रण पैनल):–
52. स्वचालित स्प्रिंक्लर सिस्टमः–
53. नली रीलः–
54. वेट राईजर्सः–
55. सूखी राईजर्सः–
56. डाउन कमरः–
57. यार्ड हाइड्रेंटः–
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता–लीटर):–
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता–लीटर):–
60. पम्पों की विवरणी– इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):–
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र(प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मेंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):–
62. अग्नि नियंत्रण कक्षः–
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर(भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):–
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारीः–
65. अन्य विन्दु–प्रपत्र–ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

सिनेमा हॉल के लिए कुछ ध्यातव्य बिन्दुः–

(क) Emergency Evacuation Plan बनाया गया है या नहीं? अगर हाँ तो लाईसेंसी प्राधिकार से अनुमोदित है या नहीं?

(ख) सिनेमा हॉल के द्वारा Exits, Emergency Escape Route **अग्नि या अन्य आपदा की स्थिति में क्या करें/क्या नहीं करें**, संबंधी छोटा Documentry प्रत्येक प्रदर्शन के दौरान दिखाया जा रहा है या नहीं?

(ग) सिनेमा हॉल के सभी कर्मचारीगण **Fire drill** एवं **Evacuation** प्रक्रिया में प्रशिक्षित है या नहीं? सिनेमा हॉल द्वारा प्रवेश द्वार को छोड़कर निकास द्वार का उपयोग निकास हेतु किया जाता है लेकिन किसी परिस्थिति में प्रवेश द्वार को बाहर से बंद नहीं करना है क्योंकि आपातकालीन स्थिति में प्रवेशद्वार का भी प्रयोग निकास द्वार के रूप में किया जा सकता है। **क्या प्रदर्शन के अंत में प्रवेश द्वार के पास आसानी से हटने वाला अवरोध लगाया जाता है एवं क्या प्रवेश द्वार बाहर से बंद तो नहीं किया जाता है?**

(घ) क्या अग्निशमन सेवा/विद्युत विभाग/लाईसेंसिंग प्राधिकार द्वारा सुरक्षा उपकरणों आदि का जाँच हेतु छमाही निरीक्षण किया गया है?

(ड.) सिनेमा हॉल को अग्निशमन विभाग द्वारा दिया गया फायर सेफ्टी रेटिंग–Green (Fully compliance), yellow (Satisfactory Compliance), Red (Poor Compliance) को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है?

(च) सिनेमा हॉल में साल में कम–से–कम एक बार मॉक ड्रील किया गया है या नहीं?

अस्पताल के लिए कुछ ज्ञातव्य बिन्दुः–

अग्नि से सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारियों की चेकलिस्ट

क्र.सं.	की जाने वाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1.	अग्नि से सुरक्षा संबंधी यंत्रों की मरम्मत/देखभाल (यदि पूर्व से अवस्थित हो)		
2.	अग्नि से सुरक्षा संबंधी यंत्रों को यथोचित स्थलों तक नियमानुकूल लगाने की व्यवस्था (यदि पूर्व से नहीं उपलब्ध हो तो)		
3.	संभावित क्षेत्रों (संवेदनशील)/जगहों की पहचान एवं नक्शा तैयार करना।		
4.	संसाधन मानचित्र।		
5.	विद्युतचालित उपकरणों, विद्युत संचरण लाईन इत्यादि की मरम्मत एवं देखभाल		
6.	विद्युत संचरण हेतु ट्रांसफॉर्मर की स्थिति।		
7.	जेनरेटर, पेट्रोमेक्स, बैट्रीचालित प्रकाश उपकरण आदि की उपलब्धता (आकस्मिकता हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत)।		
8.	संबंधित दवाओं का समुचित मात्रा में उपलब्धता।		
9.	मरीजों/परिजनों के निष्क्रमण हेतु कार्य योजना की तैयारी।		
10.	परिजनों के उपचार एवं मरीजों के अनवरत उपचार सहित निष्क्रमण कार्य योजना।		
11.	मरीजों/परिजनों के निष्क्रमण के पश्चात सुरक्षित स्थल की पहचान।		
12.	जल श्रोत एवं जल भंडारण की उपलब्धता।		
13.	आपातकालीन निकास की व्यवस्था।		
14.	नोडल अफसर की पहचान/पर्यवेक्षक की नियुक्ति।		
15.	अस्पतालों तक पहुँच सड़कों की स्थिति (व्यवस्थित आवागमन हेतु)।		
16.	आपातकालीन संचालन/नियंत्रण कक्ष को कार्यान्वित करना।		
17.	संचार योजना।		
18.	प्रशिक्षित कर्मियों के परिनियोजन हेतु आकस्मिक योजना।		
19.	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कमिटि का गठन।		
20.	फायर रिस्पोन्स प्लान (एफ०आर०पी०) बनाया जाना।		
21.	अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति (राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अनुसार)		

उपरोक्त अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि कतिपय विन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा उपायों में कमी पाई गई है। अग्नि आपदा से अधिवासियों के जान–माल की सुरक्षा हेतु पाई गई कमियों का निराकरण अत्यावश्यक है। अतः .....दिनों के अन्दर संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37, 44 तथा बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम–22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 **सम य–समय पर यथा संशोधित** की उपविधि–16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पायी गइ त्रुटियों का समेकित ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
.....

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना/
..... नामित पदाधिकारी।

पत्रांक...../ पटना, दिनांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, का कार्यालय, बिहार, पटना।

.....(नामित पदाधिकारी) का कार्यालय,.....

प्रतिलिपिः–..... (भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/संघ के सचिव/अध्यक्ष/संबंधित व्यक्ति को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त परामर्श/निर्देश का अनुपालन निर्धारित समयावधि के अन्दर करने का कष्ट किया जाय, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना/
..... नामित पदाधिकारी।

प्रपत्र–ष

निदेशक द्वारा स्वयं अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा किए गए अग्नि अंकेक्षण बाद भवन अथवा परिसर के स्वामी को संबंधित जिम्मेवारी लेते हुए न्यायसंगत अवधि के अंतर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पायी गयी अप्रर्याप्तता को दूर करने हेतु निदेशक के द्वारा दिये जाने वाले नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–34, 35 एवं 43 (2) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 22(घ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

.....(प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय.....

दिनांक...../

सेवा में,

.....

.....

(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– (नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक–..... दिनांक.....

विषयः– भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करने हेतु नोटिस ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर में .....तलघर एवं .....मंजिल है ।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु आपके भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया /(नामित पदाधिकारी)..... द्वारा अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन पत्रांक–..... दिनांक–..... (संलग्न) द्वारा समर्पित किया गया है।

(3) भवन/ परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जवाबदेही भवन/परिसर हस्तगत कराने के पूर्व भवन निर्माता की है तथा भवन/परिसर का अधिभोग प्राप्त करने के बाद तत्संबंधी जवाबदेही भवन/परिसर का स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा उनके संघ की है ।

(4) अग्नि अंकेक्षण के बाद उक्त भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित है, जिसे दूर करने की जवाबदेही आपकी है।

(5) कृपया.....दिनों के अन्दर अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करें अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37 एवं 44 तथा बिहार भवन उप विधि, 2014 की उपविधि–16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक–
प्राधिकृत पदाधिकारी–
नाम–
पदनाम–
मुहर–

प्रपत्र–स

भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को अग्नि सुरक्षा उपायों संबंधी दिए गए नोटिस से व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–34 एवं 35 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 22(ङ.) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../ दिनांक...../

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक–.....

(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक–..... दिनांक.....

विषयः– भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करने हेतु प्राप्त नोटिस के विरूद्ध अपील।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) मेरा/हमलोगों का भवन/परिसर में .....तलघर एवं .....मंजिल है ।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु मेरे/हमलोगों के भवन/परिसर का जाँच आपके द्वारा/नामित पदाधिकारी के द्वारा किया गया ।

(3) मेरे/हमलोगों के/भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था.....दिनों के अन्दर सुनिश्चित करने की जवाबदेही हमें/हमलोगों को दी गई है अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की बात अंकित की गई है।

(4) इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु अनुरोध है–

(क).....

(ख).....

(ग).....

.....

विश्वासभाजन

भवन का पताः–
दिनांकः–

भवन स्वामी/अधिवासी/संघ सदस्य का हस्ताक्षर/नाम/पता

वास्तुविद/अभियंता/संरचना अभियंता/भवन निर्माता का
हस्ताक्षर/नाम/ पता/सूचीकरण संख्या

प्रपत्र–ह

अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को खाली करने/सील किए जाने सबंधी भवन स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–34, 35, 37 एवं 44 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 22(झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
.....(प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय.....

दिनांक...../
सेवा में,

.....
.....
(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–.....दिनांक–.....

(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक–..... दिनांक.....

विषयः– अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के कारण भवन /परिसर को खाली करने/सील किए जाने संबंधी नोटिस।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर, जिसमें .....तलघर एवं .....मंजिल है, का अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु अग्नि अंकेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा/(नामित पदाधिकारी)..... .....द्वारा किया गया।

(2) भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जवाबदेही आपका होने के कारण अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अपर्याप्तताओं को..... दिनों के अन्दर दूर करने अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37 एवं 44 तथा बिहार भवन उप विधि, 2014 की उपविधि–16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी नोटिस अधोहस्ताक्षरी /नामित पदाधिकारी के द्वारा आप को दिया गया था।

(3) निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपके द्वारा अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अग्नि सुरक्षा संबंधी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया गया।

(4) अतः कारण पृच्छा दें कि आपके विरूद्ध बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जाय। आपका कारण पृच्छा 10 दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विधिवत दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

(5) आपके अधिभोग वाले भवन/परिसर की स्थिति जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक है। अतः कारण पृच्छा दें कि बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–44 के अन्तर्गत उक्त भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने का निर्देश अन्यथा भवन/परिसर को सील कर देने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाय, अथवा बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत असुरक्षित घोषित करने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई क्यों नहीं की जाय ।

निदेशक–
प्राधिकृत पदाधिकारी–
नाम–
पदनाम–
मुहर

प्रपत्र–क्ष

अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को खाली करने सबंधी नोटिस के बाद भवन को सील किए जाने संबंधी कार्रवाई के संबंध में सूचना ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–34, 35 एवं 44 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 22(झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
.....(प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय.....

दिनांक...../

सेवा में,

.....
.....
(भवन, परिसर के स्वामी/ अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–.....दिनांक–.....
(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक–..... दिनांक.....

विषयः– अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में पाई गई अपर्याप्तता को दूर करने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के कारण भवन/परिसर को खाली करने संबंधी दिए गए नोटिस, के बाबजूद भवन/परिसर खाली नहीं किए जाने के कारण भवन/परिसर को सील करने की कार्रवाई।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता से संबंधित अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अपर्याप्तताओं को.....दिनों के अन्दर दूर करने अन्यथा वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी नोटिस अधोहस्ताक्षरी नामित पदाधिकारी के द्वारा दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अग्नि सुरक्षा संबंधी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया गया।

(2) आपसे कारण पृच्छा की गई कि आपके अधिभोग वाले भवन/परिसर की स्थिति जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक होने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–44 के अन्तर्गत उक्त भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने का निर्देश अन्यथा भवन/परिसर को सील कर देने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाय, अथवा बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत असुरक्षित घोषित करने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई क्यों नहीं की जाय ।

(3) आपके द्वारा भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया ।

अतः अधिवासियों से भवन/परिसर को विधिवत् खाली कराया गया है। तत्पश्चात भवन/परिसर को सील किया जाता है। इस सील को हटाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–44(5) के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

निदेशक–
प्राधिकृत पदाधिकारी–
नाम–
पदनाम–
मुहर

भवन/परिसर के दीवार पर चिपकाया जाए।

प्रपत्र–त्र

अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों में पाई गई अपर्याप्तता को भवन स्वामी अथवा अधिभोगी के द्वारा दूर नहीं किए जाने की स्थिति में भवन अथवा परिसर को बिहार भवन उपविधि, 2014 समय–समय पर यथा संशोधित की उपविधि– 16(7) के अन्तर्गत भवन को विधिवत असुरक्षित घोषित किए जाने सबंधी अग्रत्तर कार्रवाई संबंधी भवन स्वामी अथवा अधिभोगी को सूचना/संबंधित निकाय अथवा प्राधिकार को विधिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–44 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(झ) के अन्तर्गत)

पत्रांक...../

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक...../

सेवा में,

.....
(भवन, परिसर के स्वामी/अधिभोगी का नाम एवं पता)

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–.....दिनांक–.....
(नामित पदाधिकारी)..... का पत्रांक–..... दिनांक.....

विषयः– अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में अपर्याप्तता को दूर करने हेतु दिए गए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के कारण भवन /परिसर को असुरक्षित घोषित किए जाने संबंधी।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) आपका भवन/परिसर, जिसमें .....तलघर एवं .....मंजिल है, का अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु अग्नि अंकेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा/(नामित पदाधिकारी)..... .....द्वारा किया गया।

(2) भवन/ परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जवाबदेही आपका होने के कारण अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अपर्याप्तताओं को..... दिनों के अन्दर दूर करने अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37 एवं 44 तथा बिहार भवन उप विधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** की उपविधि–16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी नोटिस अधोहस्ताक्षरी/नामित पदाधिकारी के द्वारा आप को दिया गया था।

(3) निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपके द्वारा अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित अग्नि सुरक्षा संबंधी अपर्याप्तताओं को दूर नहीं किया गया।

(4) आपसे बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–37 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ किए जाने संबंधी कारण पृच्छा की गई थी। आपका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं हुआ/असंतोषजनक पाया गया।

(5) आपके अधिभोग वाले भवन/परिसर की स्थिति जीवन अथवा सम्पत्ति के लिए खतरनाक होने के कारण बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–44 के अन्तर्गत उक्त भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने का निर्देश अन्यथा भवन/परिसर को सील कर देने का निर्देश क्यों नहीं दिए जाने संबंधी कारण पृच्छा की गई थी, परन्तु आपके द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया/कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाया गया । आपके द्वारा भवन/परिसर से सभी अधिवासियों सहित स्वयं को दूर रखने संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन भी नहीं किया गया, जिस कारण भवन/परिसर को विधिवत सील किया गया/सील किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

(6) आपसे बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन को विधिवत असुरक्षित घोषित करने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई क्यों नहीं किए जाने संबंधी कारण पृच्छा की गई थी, परन्तु आपका कारण पृच्छा प्राप्त नहीं हुआ/असंतोषजानक पाया गया ।

(7) चूँकि अग्नि सुरक्षा उपायों में काफी अपर्याप्तता के कारण भवन/परिसर की स्थिति अधिवासियों के जान–माल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है, इसलिए बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** का उपविधि 16(7) के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत असुरक्षित घोषित किए जाने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

निदेशक का नाम/पदनाम/मुहर

प्रतिलिपि– (सक्षम प्राधिकार/नगर निकाय).....,को कृपया सादर सूचनार्थ एवं बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** का उपविधि 16(7)के अन्तर्गत भवन/परिसर को विधिवत् असुरक्षित घोषित किए जाने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रपत्र–ज्ञ

अग्निकाण्ड के संबंध में अग्निशमन प्रतिवेदन

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–02 (छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 25(ख) के अन्तर्गत)

अग्निशमन प्रतिवेदन संख्या–.....

1. अग्निशामालय का नाम :–
2. अग्निकांड की तिथि :–
3. घटना स्थल का पता :–
   पंचायत ..... थाना..... प्रखंड.....
4. अग्निशामालय से घटना स्थल की दूरी :–
5. घटना स्थल का ब्योरा :–
   पक्का (कितने मंजिल).....
   झुग्गी/झोपड़ी/खेत/खलिहान.....
6. सूचना प्राप्ति का समय/माध्यम/मूल सूचक का नाम एवं मो0 नं0 :– .....
7. आग लगने का समय :–
8. अग्निशमन दस्ता के प्रस्थान का समय :–
9. अग्निशमन दस्ता के घटना स्थल पहुँचने का समयः–
10. अग्निशमन दस्ता के घटना स्थल छोड़ने का समय :–
11. अग्निशमन दस्ता के अग्निशामालय वापसी का समयः–
12. घटना स्थल पर वरीय पदाधिकारी/कर्मियों का नामः–.....
    .....
13. फायर टेंडर का प्रकार / पोर्टेबुल पम्प (रजिस्ट्रेशन सं0) एवं पम्पिंग कि0मी0 :–.....
    .....
14. आग का प्रकार (छोटी/ मध्यम/बड़ी/गंभीर) :– .....
15. आग से क्षति हुए सामानों का नाम/क्षति का प्रतिशतः–.....
    .....
16. आग से बचाये गये सामानों का नामः–.....
17. आग से घायल व्यक्ति/व्यक्तियों की संख्या :– .....
18. आग से जलकर मृत व्यक्ति/व्यक्तियों की संख्या :–.....
19. आग से घायल/मृत व्यक्तियों/पशुओं का विवरण :–
    .....
20. आग लगने का स्पष्ट कारण (जैसे–चुल्हा का आग/राख का आग/ढ़िबरी/मोमबत्ती/बीड़ी–सिगरेट/थ्रेसर/गैस सिलिंडर/बिजली का शॉर्ट सर्किट/ट्रांसफर्मर/रेलवे की चिंगारी/ईंट–भट्ठा की चिंगारी/ज्वलनशील पदार्थ/आसमानी बिजली/स्वतः आग इत्यादि):–
    .....
21. मालिक का नामः–.....
22. नजदीकी जल स्त्रोत का ब्योराः–
23. घटना एवं की गयी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरणीः–

ज्ञापांक...../ दिनांक...../

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी.....।

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना की सेवा में आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

हस्ताक्षर
पदाधिकारी का नाम
अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी...../

प्रपत्र–क–1

अगलगी के संबंध में दिये गये अग्निशमन प्रतिवेदन में संशोधन हेतु भवन मालिक अथवा अधिभोगी के द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–02 (छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 25(ग) के अन्तर्गत)

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक–.....

विषयः– भवन /परिसर का नाम .....पता .....के मामले में कम्प्यूटर आई०डी० संख्या.....दिनांक–.....अग्निशमन प्रतिवेदन संख्या–..... दिनांक–.....से संबंधित अग्नि प्रतिवेदन में संशोधन हेतु अनुरोध।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

(1) विषयांकित अग्निशमन प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्यात्मक अशुद्धियाँ हैं–

(2) उपरोक्त तथ्यात्मक अशुद्धि (अशुद्धियों) से जुड़े वास्तविक तथ्य निम्नलिखित हैं–

(3) अपने उपरोक्त दावों के समर्थन में मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ–

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित अग्निशमन प्रतिवेदन में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

अपीलकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा पता

प्रपत्र–ख–1

राज्य की सीमा के बाहर आवश्यक उपकरणों के साथ बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति किये जाने पर निर्धारित तैनाती शुल्क भुगतान हेतु संबंधित प्राधिकार को दिया जाने वाला माँग पत्र ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014की धारा–22 (01) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021के नियम 28(क) के अन्तर्गत)

पत्रांक..... /

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक..... /

सेवा में,

.....

संबंधित प्राधिकार।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–.....दिनांक–.....

इस कार्यालय का पत्रांक–.....दिनांक–.....

विषयः– राज्य की सीमा के बाहर अग्निशमन सेवा का तैनाती शुल्क के भुगतान हेतु माँग पत्र।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में कहना है कि–

1. आपके अनुरोध पर आवश्यक उपकरणों के साथ बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति.....स्थान पर.....दिनों के लिए किया गया था।

2. बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों द्वारा दिनांक–.....से दिनांक–.....तक अग्निशमन का कार्य किया गया ।

3. अग्निशमन कार्य में निम्नलिखित वाहन एवं उपकरणों का प्रयोग हुआ । बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 का अनुसूची–'झ' के आधार पर तैनाती शुल्क का ब्यौरा निम्नप्रकार है–

अनुरोध है कि वांछित तैनाती शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से करने की कृपा की जाय।

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक,
बिहार, पटना।

अनुसूची–"क"

अग्निशमन सेवा के विभिन्न संवर्गों के पदाधिकारियों/कर्मियों का कर्तव्य एवं दायित्व

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–04, 5(क) एवं 12 के अधीन,
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 09 के अन्तर्गत)

(1) **उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी–**

(क) ये राजस्व प्रमंडल स्तर पर गठित अग्नि क्षेत्र के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(ख) ये अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सभी जिला स्तरीय अग्नि प्रमंडल, अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालयों एवं अन्य दमकल केन्द्रों के नियंत्री एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(ग) गंभीर अगलगी एवं आपातकाल के समय की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित अभियान के सामान्यतया ये सम्पूर्ण प्रभार में रह कर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(घ) अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा के प्राचार्य के रूप में पदस्थापन होने पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सम्पूर्ण प्रशिक्षण के नियंत्री एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(ड.) राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(2) **सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी–**

(क) ये उप निदेशक–सह–प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग करेंगे ।

(ख) ये उनके अवकाश या अन्य कर्त्तव्य पर रहने की स्थिति में उनके प्रभार में रहेंगे।

(ग) अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहटा में पदस्थापन होने पर प्राचार्य के सहयोगी के रूप में वे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(घ) राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(3) **जिला अग्निशमन पदाधिकारी–**

(क) ये जिला स्तर पर गठित अग्नि प्रमंडल के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(ख) ये अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालयों एवं अन्य दमकल केन्द्रों के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे।

(ग) गंभीर अगलगी एवं आपातकाल के समय की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित अभियान के सामान्यतया ये सम्पूर्ण प्रभार में रह कर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(घ) राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(4) **सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी–**

(क) ये जिला अग्निशमन पदाधिकारी का सहयोग करेंगे ।

(ख) ये उनके अवकाश या अन्य कर्त्तव्य पर रहने की स्थिति में उनके प्रभार में रह कर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेंगे ।

(ग) राज्य अग्निशमन मुख्यालय में पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति होने पर निदेशक अथवा अपर निदेशक के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(5) **अग्निशामालय पदाधिकारी**–ये दमकल केन्द्र के प्रभारी के रूप में कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे। अनुमंडल स्तरीय अग्निशामालय में पदस्थापित अग्निशामालय पदाधिकारी अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी कहलायेंगे जो अपने अग्निशामालय के दायित्व के अतिरिक्त अनुमंडल क्षेत्र के सभी अग्निशामालयों के नियंत्री एवं पर्यवेक्षीय पदाधिकारी होंगे।

इनके कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगेः–

(क) किसी भी समय अग्नि आपदा से जान–माल की सुरक्षा एवं अन्य कर्त्तव्य के लिए स्वयं हमेशा तत्पर रहना तथा अपने अधीनस्थों को तैयार एवं तत्पर रखना।

(ख) वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन तत्परतापूर्वक शालीनता के साथ करना।

(ग) अपने अग्निशामालय एवं अन्य अग्निशामालयों में अग्नि संबंधी सभी गतिविधियों से बड़े पदाधिकारियों को अवगत कराना।

(घ) फायर स्टेशन के सभी Appliances, Store एवं equipments आदि का प्रभार लेना एवं उसे कारगर रखना तथा उसके सही रूप से क्रियाशील होने के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन देना। साथ ही अन्य आवश्यकताओं के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन समर्पित करना।

(ड.) सभी फायर ऑफिसर/सभी कर्मियों को फायर स्टेशन में उपलब्ध यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग करने एवं उसको दुरूस्त रखने के संबंध में निर्देश देना तथा तत्संबंधी ड्रील करवाना, ताकि अगलगी की सूचना पर तत्काल अग्निशमन कर्त्तव्य में किसी भी प्रकार का परेशानी न हो।

(च) फायर स्टेशन में कर्मियों की पोशाक, किताबें एवं उपकरणों की जाँच हेतु माह में कम–से–कम एक बार परेड करवाना।

(छ) फायर उपकरणों के साथ–साथ कर्मियों की उपस्थिति की जाँच करना।

(ज) माह में कम–से–कम एक बार कर्मियों के टर्न आउट का जाँच करना। यह कार्य औचक रूप से भी किया जाना चाहिए ।

(झ) कार्यालय की घड़ी की जाँच दिन में दो बार नियमित अंतराल पर करना।

(ञ) कार्य स्थल पर कर्त्तव्य हेतु उपस्थित कर्मियों के उचित पोशाक में रहने एवं उन्हें कर्त्तव्य की जानकारी होना सुनिश्चित करना।

(ट) संचार व्यवस्था को कारगर रखना सुनिश्चित करना। संचार प्रणाली के नेटवर्क से स्वयं एवं अपने कर्मियों को परिचित रखना। संचार व्यवस्था की स्थिति सही नहीं रहने पर तत्काल संबंधित प्राधिकार को प्रतिवेदन देना।

(ठ) फायर स्टेशन में लेखा से जुड़े सभी मामलों की सही जानकारी रखना।

(ड) सप्ताह में कम–से–कम एक बार वाटर पम्प का पूर्ण चेकिंग करना।

(ढ़) किसी प्रकार का दुर्घटना, जान–माल की क्षति के संबंध में तत्काल ही वरीय पदाधिकारियों तथा संबंधित थाना को जानकारी देना।

(ण) अपने क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था से स्वयं अवगत रहना एवं अपने कर्मियों को अवगत कराना। क्षेत्र में फायर हाईड्रेंट होने की स्थिति में उसका नियमित जाँच करना एवं उन्हें दुरूस्त रखना/रखवाना ।

(त) अपने क्षेत्र एवं सीमावर्त्ती क्षेत्र के अग्नि आपदा एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखना तथा अपने अधीनस्थों को भी अवगत कराना ।

(थ) फायर स्टेशन के सभी रजिस्टर, लॉग बुक, घटना पंजी, उपस्थिति पुस्तिका आदि को अद्यतन रखना। साथ ही अग्नि प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकार के विवरणी एवं प्रतिवेदन, सरकारी बंदी को छोड़ कर 48 घंटों के अन्दर समर्पित करना।

(द) संबंधित भवन का फायर ऑडिट भवन के स्वामी/ अधिवासी के समक्ष करना । उन्हें अग्निशामक यंत्रों की आवश्यकता तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित अन्य वांछित उपकरण/उपायों के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराना। तत्संबंधी प्रतिवेदन राज्य अग्निशमन, मुख्यालय को देना तथा संबंधित भवन के स्वामी/अधिवासी को दिए गए सलाह का अनुपालन करवाना।

(घ) भवन में मॉक ड्रील का आयोजन पदाधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति में करना एवं भवन के स्वामी/अधिवासी को अग्नि आपदा की स्थिति में व्यवहारिक रूप से सुरक्षित पलायन करने का तरीका के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। गोष्ठी में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने वाले/नहीं किए जाने वाले कार्यो के संबंध में बताना।

(न) अपने कर्मियों को अग्नि आपदा/अग्नि सुरक्षा के संबंध में विधिवत् प्रशिक्षण देना।

(प) अपने अधिनस्थ कर्मियों के कार्य सराहनीय होने की स्थिति में पुरस्कार तथा कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में सजा हेतु निष्पक्ष रूप से अनुशंसा करना।

(फ) राज्य अग्निशमन मुख्यालय/प्रमंडलीय अग्निशमन कार्यालय/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर संबंधित कार्यालय प्रधान के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(6) <u>उपाधिकारी(सब–ऑफिसर)</u>–

(क) जिस अग्निशामालय में अग्निशामालय पदाधिकारी एवं उपाधिकारी पदस्थापित होंगे, वहाँ पर अग्निशामालय पदाधिकारी संबंधित अग्निशामालय के प्रभारी होंगे तथा उपाधिकारी के द्वारा उन्हें उनके कर्त्तव्य निर्वहन में सहयोग किया जाएगा।

(ख) अग्निशामालय पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उपाधिकारी संबंधित अग्निशामालय के प्रभार में रह कर अग्निशामालय पदाधिकारी के लिए निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(ग) प्रमंडलीय अग्निशमन कार्यालय/अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर संबंधित कार्यालय प्रधान के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(घ) अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर संबंधित अग्निशामालय पदाधिकारी के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(7) <u>प्रधान अग्निक (Leading Fireman)</u>–ये अग्निशमन कार्य संचालन दल के प्रभारी एवं अग्निशामालय के सामान्य कार्यो के दैनिक प्रभारी होंगे। उनका मुख्य कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होगा–

(क) अपने कर्त्तव्य स्थल पर उपलब्ध रहना।

(ख) अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढ़ंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।

(ग) अपने अधीनस्थ कर्त्तव्यरत कर्मियों को कर्त्तव्य हेतु ठीक से तैयार करना। उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा अग्निशमन उपकरणों का जानकारी देना।

(घ) अग्निशामालय परिसर को स्वच्छ रखना।

(ड.) अग्निशामालय के सभी उपकरणों के प्रभार में रहते हुए उन्हें सुव्यवस्थित एवं उपयोगी रखना।

(च) सभी प्रकार के उपकरण, वर्दी कपड़े, अभिलेख एवं अन्य सामग्रियों का देख–रेख करना तथा किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना।

(छ) अपने अधीनस्थ कर्मियों का ड्रील परेड एवं संबंधित अन्य कार्य करवाना।

(ज) अग्निशामालय के अधीनस्थ कर्मियों के क्रियाकलाप एवं अग्निशमन सेवा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जानकारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना।

(झ) अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर प्राचार्य के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(8) <u>प्रधान चालक(Leading Driver)</u>–ये अग्निशमन कार्य संचालन दल के वाहन चालन एवं संबंधित साधित्रों के प्रभारी होंगे। साथ ही प्रधान अग्निक की अनुपस्थिति में कार्य संचालन दल के प्रभारी एवं अग्निशामालय के सामान्य कार्यो के दैनिक प्रभारी होंगे। इनका मुख्य कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होगा–

(क) अपने कर्त्तव्य स्थल पर वाहन चालन आदि कर्त्तव्य हेतु उपलब्ध रहना।

(ख) अपने वरीय पदाधिरियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढ़ंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना ।

(ग) अपने अधीनस्थ कर्तव्यरत कर्मियों को कर्त्तव्य हेतु ठीक से तैयार करना। उन्हें उनके कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा अग्निशमन उपकरणों का जानकारी देना।

(घ) अग्निशामालय परिसर को स्वच्छ रखना।

(ड.) अग्निशामालय के वाहनों एवं साधित्रों के प्रभार में रहते हुए उन्हें सुव्यवस्थित एवं कार्यकारी स्थिति में रखना । वाहनों के क्रियाशीलता के संबंध में दिन में कम से कम 2 बार परीक्षण करना एवं तत्संबंधी अभिलेख संधारित करना।

(च) वाहन एवं उपकरणों के प्रभार में रहते हुए वाहन के कार्य, माईलेज, ईंधन खपत आदि का अभिलेख संधारित करना।

(छ) वाहन एवं संबंधित अग्निशमन उपकरणों में किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना।

(ज) अग्निशामालय के अधीनस्थ कर्मियों के क्रियाकलाप एवं अग्निशमन सेवा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जानकारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना।

(झ) अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर प्राचार्य के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(9) <u>अग्निक(Fireman)</u>–

(क) अपने कर्त्तव्य स्थल पर उपलब्ध रहना।

(ख) अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढ़ंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।

(ग) अपने क्वार्टर/बैरक को साफ–सुथरा रखना।

(घ) अपने कर्त्तव्य के दौरान अपना पूरा समय एवं ध्यान अग्निशमन सेवा पर देना।

(ड.) स्वच्छता, शीघ्रता एवं कर्त्तव्य के संबंध में अन्य के लिए उदाहरण पेश करना।

(च) अग्निशामालय परिसर, वाहन एवं पम्पों, उपकरण कक्ष, अधिकारी कक्ष, ड्रील यार्ड, वाच रूम, कर्मशाला, निवास स्थल, ड्रील टावर, हॉज(नली) सुखाने वाले टावर को साफ रखना तथा उपकरण, गीयर आदि को साफ–सुथरा एवं व्यवस्थित रखना।

(छ) आग लगने पर, विशेष सेवा, अग्निशमन अभ्यास आदि में उपस्थित होने के लिए एलार्म बजने पर कम से कम समय में उपस्थित होना।

(ज) अपने एवं आस–पास के इलाकों की भौगोलिक स्थिति के साथ–साथ आग के जोखिम से संबंधित स्थलों की पहचान कर याद रखना एवं वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना।

(झ) उपकरणों एवं वाहनों के रख–रखाव में चालक का सहयोग करना।

(ञ) अग्निशामालय पदाधिकारी/दैनिक प्रभारी के निर्देशानुसार गार्ड/कर्मशाला/नियंत्रण कक्ष/दूरभाष/वितंतु संबंधी कर्त्तव्य का निर्वहन करना ।

(ट) अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण कर प्रधान अग्निक को प्रतिवेदन देना। दस्ता के ईमानदारी, स्वच्छता, आवंटित उपकरणों का रख–रखाव, फर्श, दिवाल, खिड़की, हॉज आदि की धुलाई की जबावदेही पृथक एवं संयुक्त रूप से संबंधित दस्ता के अग्निकों की होगी।

(ठ) अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर प्राचार्य के निदेशानुसार कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी के साथ पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति होने पर उनके निदेशानुसार अपने कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(10) <u>अग्निक चालक (Fireman Driver)</u>–

(क) अपने कर्त्तव्य स्थल पर वाहन चालन आदि कर्त्तव्य हेतु उपलब्ध रहना।

(ख) अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन सही ढ़ंग से सौम्यपूर्ण तरीके से करना।

(ग) वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अपने कर्त्तव्य हेतु ठीक से तैयार एवं जागरूक रहना।

(घ) अग्निशामालय परिसर को स्वच्छ रखना।

(ड.) वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार अग्निशामालय के वाहनों एवं साधित्रों को सुव्यवस्थित एवं कार्यकारी रखना। वाहनों के क्रियाशीलता के संबंध में दिन में कम से कम 2 बार परीक्षण करना एवं तत्संबंधी अभिलेख संधारित करना।

(च) वाहन एवं उपकरणों के प्रभार में रहते हुए वाहन के कार्य, माईलेज, ईंधन खपत आदि का अभिलेख संधारित करना।

(छ) वाहन एवं संबंधित अग्निशमन उपकरणों में किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर तत्संबंधी प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना।

(ज) अग्निशामालय के अन्य कर्मियों के क्रियाकलाप एवं अग्निशमन सेवा को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के जानकारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना।

(11) **राज्य अग्निशमन परामर्शी एवं अग्निशमन सलाहकार**–अग्नि से सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न अधिनियम/नियमावली एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य प्रावधानों के आलोक में अग्निशमन वाहनों/यंत्रों/व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का विशिष्टियाँ निर्धारण एवं क्रय तथा भवन निर्माण योजना में अग्नि सुरक्षा उपाय संबंधी परामर्श तथा अग्निशमन सेवा के हित में आवश्यक परामर्श निदेशक को देना।

(12) **गैर वर्दीधारी पद(अनुसचिवीय संवर्ग)**–संबंधित कार्यालय के सभी मामलों से संबंधित अभिलेखो का संधारण प्रशासी विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार करना।

(13) **गैर वर्दीधारी पद (आशुलिपिक संवर्ग)**–संबंधित कार्यालय के प्रभारी के निजी संचिकाओं एवं अन्य कार्यो से संबंधित अभिलेखो का संधारण एवं कार्य प्रशासी विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार करना।

(14) **गैर वर्दीधारी पद(चतुर्थ वर्गीय संवर्ग)**–प्रशासी विभाग के द्वारा इस संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। अपने वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या सौंपे गए दायित्व का तत्परतापूर्वक निर्वहन किया जाएगा ।

अनुसूची–''ख''

अग्निशमन संबंधी कार्य संचालन सदस्य हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा–04, 5(क) एवं 12 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 10 के अन्तर्गत)

(क) अभिलेखीय कार्रवाई संबंधी–

1. **संचार व्यवस्था**– अपने क्षेत्र के राजस्व नक्शा एवं थानों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का नाम, एवं मोबाईल न0 प्राप्त करते हुए संचार/संवाद व्यवस्था (Communication Plan) तैयार करना । तैयार किए गए (Communication Plan) को अग्निशामालय में रखना तथा इसकी एक प्रति अग्निशामक वाहनों में वाहन चालक एवं अन्य के दृष्टि में रखते हुए सुरक्षित रखना।

2. **जल स्रोत**– सभी प्रकार के सरकारी एवं निजी जलस्त्रोत की सूची तैयार कर रखना एवं उसका एक–एक प्रति अग्निशामालय / अग्निशामक वाहन में रखना। इसे लगातार अद्यतन रखना।

3. **अग्निशमन केन्द्र में पंजियों का संधारण**–

(A) स्टॉक पंजी/बुक–टूल्स तथा प्लांट/क्लोदिंग/स्टेशनरी/उपभोग्य सामग्री/ईंधन स्टॉक पंजी/कंडम सामग्री स्टॉक बुक/कंडम सामग्री की नीलामी पंजी/(B) हौज कार्ड रजिस्टर (C)लॉग बुक–गाड़ियों का पूर्ण इतिहास (खरीद तिथि/विभिन्न गतिशीलता/कार्यस्थल/पुर्जे/टायर/बैटरी आदि) संबंधी (D) कार्यशाला हेतु आदेश पंजी (E) अवकाश पंजी (F) रिपोर्ट लेखन संचिका (बीमारी/अवकाश/अनुपस्थिति आदि के संबंध में वरीय पदा0 को प्रतिवेदन) (G) रिक्वेस्ट रूम रजिस्टर (H) आडरली रूम रजिस्टर (I) ऑकुरेन्स बुक (गाड़ी, व्यक्ति, आग आदि के संबंध में अग्निशमन केंद्र की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का इतिहास) (J) फायर रिपोर्ट।

(ख) निरोधात्मक कार्रवाई संबंधी–

1. क्षेत्र के नागरिकों से समय–समय पर वार्ता कर आत्मीय संबंध बनाना।
2. अग्निशामालय का संपर्क नंबर अपने क्षेत्र में परिचालित करना।
3. स्थानीय थाना/अंचल/प्रखंड एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क रखना एवं उनसे सहयोग प्राप्त करना।
4. थाना/अंचल/प्रखंड/जिला स्तरीय आम जनता/पदाधिकारियों के निर्धारित बैठक में भाग लेना तथा अग्निकांड/अग्निशमन संबंधी जानकारी से आम जनता तथा पदाधिकारियों को अवगत करा कर उन्हें जागरूक करना।
5. **फायर ऑडिट तथा मॉक ड्रील**– अग्नि आपदा से बचने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई के तहत अपने क्षेत्र के विभिन्न झुग्गी–झोपड़ी इलाके/विद्यालय/महाविद्यालय/अस्पताल/सिनेमा घर/बहुमंजिला भवन आदि का फायर ऑडिट करना तथा मॉक ड्रील कर आम जनता को अग्नि से बचाव से संबंधित जानकारी देकर अग्नि आपदा के विरूद्ध उन्हें जागरूक करना। आवश्यक अग्नि निरोधक उपकरणों के संबंध में मौखिक एवं लिखित जानकारी एवं सलाह देना। फायर ऑडिट एवं मॉक ड्रील हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करना–

   (क) अग्रिम कार्यक्रम बनाना जिसमें कार्यक्रम हेतु चिन्हित स्थल एवं तिथि हो। स्थल चिन्हित करने के क्रम में ध्यान रखा जाय कि बारी–बारी से विभिन्न प्रकार के मकान आदि का चयन हो।

   (ख) संबंधित स्थल के लोगों से संपर्क कर, लिफलेट बॉट कर, पम्पलेट साट कर, बच्चों के बीच बैलून/टॉफी बॉट कर कार्यक्रम का पूर्व जानकारी देना। कार्यक्रम की तिथि तक लोगों को कार्यक्रम के महत्व की जानकारी देते हुए उन्हें आमंत्रित करना एवं उनका संपर्क नंबर प्राप्त कर उनके संपर्क में रहना। कार्यक्रम की जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को भी देकर उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाकर आमंत्रित करना।

(ग) फायर ऑडिट एवं मॉक ड्रील के दिन संबंधित भवन का फायर ऑडिट करना एवं पायी गयी त्रुटि/सुझाव के संबंध में लिखित रूप से उक्त भवन के व्यवस्थापक/मालिक को जानकारी देना। तत्पश्चात आमंत्रित लोगों के साथ विधिवत बैठक करना। उपस्थित लोगों का नाम, पता एवं संपर्क नंबर गोष्ठी की कार्रवाई संबंधी वृत में अंकित करना। उन्हें विभिन्न प्रकार के अग्नि आपदा तथा विभिन्न प्रकार के बचाव के उपाय की जानकारी देना। स्थल पर ही आग जलाकर आग बुझाने के तरीका के संबंध में व्यवहारिक रूप से आम जनता को दिखाना तथा यथासंभव उन्हें अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। साथ ही अग्नि आपदा की स्थिति में अग्नि स्थल से सुरक्षित निकलने का व्यवहारिक तरीका बतलाना।

(घ) मॉक ड्रील के क्रम में फायर रिटार्डेंट झोपड़ी/पंडाल बनाने के संबंध में जानकारी देना तथा व्यवहारिक रूप से दिखाना।

(ड.) कार्यक्रम का फोटोग्राफी करवाना।

(च) कार्यक्रम के बाद प्रतिवेदन समर्पित करना जिसमें कार्यक्रम के संबंध में पूर्ण व्यौरा के साथ–साथ कार्यक्रम में भाग लेने वाले आम नागरिकों की संख्या, पदाधिकारियों का नाम/पद हो। साथ ही अखबार में संबंधित समाचार की छाया प्रति/बैठक का वृत आदि का छाया प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न हो।

6. **ग्रामीण क्षेत्रों में फायर बूथ की स्थापना**– प्रत्येक गॉव में पंचायत की मदद से फायर बूथ की स्थापना की जाय, जिसमें फायर बीटर्स, फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि के साथ–साथ छोट–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं आग की सूचना देने के लिए घंटी की व्यवस्था हो।

7. **अग्नि आपदा के विरूद्व प्रचार/प्रसार**– आम लोगों को अग्नि आपदा एवं आगजनी से बचाव हेतु मौखिक रूप से जानकारी देने के अतिरिक्त लिफलेट बॉटकर, सार्वजनिक स्थलों पर पम्पलेट साटकर, स्टेण्डी लगाकर, बच्चों के बीच पेंटिग/स्लोगन/क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन कर, सिनेमा स्लाइड, अखबार में विज्ञापन का सहारा लेकर आदि द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए।

(ग) <u>अग्नि कांड की सूचना प्राप्ति के पूर्व की तैयारी</u>–

1. अग्निशमन केंद्र में नियमित कार्रवाई–
   - (A) पदा0/कर्मियों द्वारा दैनिक ड्रील, विशेष फायर ड्रील, रेस्कयू ड्रील किया जाना।
   - (B) बीमार/अक्षम कर्मियों के स्थान पर स्वस्थ कर्मी को तैयार रखना।
   - (C) वाहनों को चालन योग्य रखने हेतु वाहनों एवं अन्य साज–सामानों की टूट–फूट होने या गायब होने पर तत्संबंधी नियमित मरम्मति/आपूर्ति कार्रवाई।
   - (D) विभिन्न साज–सामानों की साफ–सफाई, मरम्मति, नियमित जाँच
   - (E) विशिष्ट प्रकार के उपकरण (जैसे–ब्रिदिंग एपरेटस, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण इत्यादि) का विशेष साफ–सफाई एवं नियमित जाँच।
   - (F) विभिन्न प्रकार के उपकरणों (हाइड्रेंट, फायर अलार्म, हौज, लैडर, पम्प, बी0 ए0, सेट रसायनिक अग्निशामक यंत्र इत्यादि) का यथा निर्धारित सावधिक (साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक) परीक्षण करना एवं विभिन्न प्रकार के पंजी एवं आकुरेंस बुक में अंकित करना।
2. अग्निशमन वाहनों के चालन योग्य नहीं रहने की स्थिति में वाहन का पूर्ण मरम्मत तत्काल करवाना।
3. अग्निशामक वाहन के वाटर टैंक में हमेशा पर्याप्त जल भंडार रखना।
4. अग्निशामक वाहन का ईंधन टैंक में हमेशा पर्याप्त ईंधन भरवाकर रखना।

(घ) <u>अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्ति के बाद की कार्रवाई</u>–

1.अग्नि कांड की स्थिति में अग्निशमन हेतु अग्निशमन वाहन/उपकरण की आवश्यकता एवं अग्निशमन की प्रक्रिया विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे संबंधित स्थल अग्निशामालय से कितनी दूरी पर है? रास्ता कैसा है? आग पक्का मकान/पंडाल या झोपड़ी या खेत/खलिहान/जंगल में लगी है? आग अगर भवन में लगी है तो भवन किस प्रकार का (आवासीय/..... है? भवन किस उँचाई का है एवं कितने उँचाई पर आग लगी है? रसोई गैस, बिजली का शॉट–सर्किट, या अन्य कारण से आग लगी है? क्या ज्वलनशील पदार्थ/खतरनाक केमिकल में आग लगी है? भवन में मानव बचाव के क्या व्यवस्था है? भवन में फायर फाइटिंग उपकरण की क्या

उपलब्धता है? भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005/2016, बिहार बिल्डिंग वाइलॉज, 2014, बिहार फायर एक्ट, 2014 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है? निर्धारित निदेश का अनुपालन होता है? संबंधित भवन के अगल–बगल की क्या स्थिति है? झोपड़ी या खेत–खलिहान/जंगल का लगातार क्या दायरा है? हवा का रूख किस दिशा में है। पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति है? क्या आग वाहन में लगी है? आदि। अतः संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेना है।

2.अग्निशामालय में अग्निशमन दस्ता निर्धारित है। प्रथम या अन्य समुदाय के प्रत्येक अग्निशमन दस्ता में 6 कर्मी रहते हैं। प्रधान अग्निक दस्ता के प्रभारी होते है एवं दस्ता के 6 नंबर कर्मी प्रधान चालक होते है, जो अग्निशमन वाहन चलाते है। अन्य 4 अग्निक दस्ता प्रभारी के द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशों के आलोक में अग्निशमन संबंधी कार्य करते हैं।

दस्ता प्रभारी को पूर्व में ही निर्धारित कर देना है कि कौन अग्निक क्या कार्य करेगा, अग्निशमन वाहन में घंटी/सायरन कौन बजाऐंगे। घटना स्थल पर डिलेवरी हॉज बिछाने एवं फिट करने का कार्य कौन करेगा। प्रधान चालक पम्प संचालन का कार्य करेंगे। घटना स्थल पर दस्ता के सभी सदस्य अपने पूर्व निर्धारित कर्त्तव्य के अतिरिक्त अग्निशमन संबंधी कार्य दस्ता प्रभारी के निदेशानुसार करेंगे।

3.अग्निशमन दस्ता के प्रथम समुदाय के कर्मी वर्दी में हमेशा तैयार रहेंगे।

4.दस्ता प्रभारी पूर्व में ही सूचना दाता से जानकारी प्राप्त करने, संचार योजनांतर्गत संबंधित घटनास्थल के लोगों से सम्पर्क करने, फायर घंटी बजाने, कॉल की सूचना संबंधित प्रतिष्ठान को देने, मैसेज बुक में अंकित करने आदि संबंधी जवाबदेही दस्ता के सदस्यों के लिए निर्धारित कर देंगे।

5.अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर पूर्व से निदेशित अग्निक फायर कॉल का घंटी बजाऐंगे।

6.दस्ता प्रभारी प्रथम सूचनादाता/मूल सूचनादाता का नाम, पता तथा मोबाइल/फोन नंबर उनसे प्राप्त कर लेंगे।

7.दस्ता प्रभारी सूचनादाता से आग का प्रकार, आग का फैलाव, घटना स्थल का पूर्ण विवरण, पहुँचने का सही रास्ता, जलस्रोत आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

8.पूर्व निदेशित अग्निक फायर कॉल की सूचना ट्रैफिक, संबंधित थाना, एम्बुलेंस तथा नियंत्रण कक्ष को तत्काल ही देंगे।

9.पूर्व से निदेशित अग्निक अग्निकांड की सूचना प्राप्त, प्रथम समुदाय के अग्निशमन वाहन (संख्या सहित)/कर्मियों (नाम सहित) का प्रस्थान का समय संबंधित पंजी में अंकित करेंगे।

10.अग्निकांड की सूचना प्राप्ति एवं अग्निशमन दस्ता के प्रस्थान के बीच की अवधि दो मिनट से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

11.प्रथम समुदाय के अग्निशमन दस्ता के प्रस्थान के पूर्व अग्निशामालय का द्वितीय दस्ता, अग्निशामालय में सूचना आदान–प्रदान का कार्य करेंगे। साथ ही आकस्मिक स्थिति में प्रस्थान हेतु वे तैयारी भी करेंगे।

12.अग्निशमन वाहन प्रस्थान करने पर अग्निक घंटी/सायरन बजाने का कार्य करेंगे।

13.अग्निशमन वाहन के घटना स्थल पर पहुँचने के पूर्व रास्ते में दस्ता प्रभारी मोबाइल सेट से सूचनादाता/संवाद योजना मे शामिल संबंधित स्थल के व्यक्तियों से आग की स्थिति, रास्ता, जलस्रोत की जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही वे कंट्रोल रूम को अग्निशमन वाहन का लोकेशन एवं अन्य जानकारी देते रहेंगे एवं कन्ट्रोल रूम से सूचना यदि कोई होतो प्राप्त करेंगे। प्राप्त जानकारी से अगर प्रतीत होता है कि प्रथम समुदाय के द्वारा अग्नि पर नियत्रंण संभव नहीं हो पायेगा तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देकर अन्य अग्निशामालय से अतिरिक्त दस्ता का तत्काल माँग करेंगे। वितंतु सेट पर भी आवश्यक सूचना का आदान–प्रदान किया जाएगा।

14.घटनास्थल पर पहुँचने पर दस्ता प्रभारी अग्नि की स्थिति देखकर सुरक्षित एवं निकटतम स्थल पर अग्निशामक वाहन रोकेंगे। घटना स्थल पर दस्ता प्रभारी तत्काल ही अग्निकांड की स्थिति का जायजा लेकर फायर प्वाइंट को चिन्हित करेंगे। दस्ता के अन्य सदस्य दस्ता प्रभारी के संकेत पर पूर्व निर्धारित कार्य करेंगे एवं तत्काल ही आग बुझाने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

15.पूर्व निर्धारित कर्त्तव्य के अनुसार प्रधान चालक पम्प संचालन का कार्य संभालेंगे एवं चारों अग्निक डिलेवरी हॉज बिछाने/ फिट करने का कार्य करेंगे तथा अग्निशमन संबंधी अन्य कार्य दस्ता प्रभारी के निदेशानुसार करेंगे।

दस्ता प्रभारी अपने विवेक एवं पूर्व अनुभव के आधार पर त्वरित गति से आम जनता के सहयोग से अग्निशमन का कार्य करेंगे।

16.दस्ता प्रभारी आग की स्थिति को देखते हुए आवश्कतानुसार कंट्रोल रूम/नजदीकी अग्निशामालय से संपर्क कर अन्य दस्ता का मांग करेंगे।

17.घटनास्थल पर पहुँचने वाले अन्य अग्निशमन दस्ता पूर्व से पहुँचे दस्त प्रभारी के निदेशानुसार एवं आपसी सलाह से अग्निशमन कार्य करेंगे।

18.अग्निशमन संबंधी घटना का फोटोग्राफी/विडियोग्राफी भी करेंगे ताकि किसी प्रकार का आक्षेप की स्थिति में अग्निशमन कर्मियों का पक्ष मजबूत रहे ।

19.आग पूर्ण रूप से बुझ जाने के बाद दस्ता प्रभारी सभी कर्मियों के सहयोग से अग्निशमन उपकरणों को अग्निशमन वाहन में रखने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

20. पूर्ण रूप से आग बुझ जाने एवं घटनास्थल से प्रस्थान की सूचना (क्षति का आकंलन, घायल/मृतपशु/मनुष्य संबंधी आँकड़ा आदि सहित) तत्काल ही कंट्रोल रूम को दी जाएगी।

21.इस क्रम में अन्य स्थल पर अग्निकांड की सूचना प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम के निदेशानुसार वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जलस्रोत से अग्निशमन वाहन के पानी टंकी में जल अवश्य भर लेंगे।

22.अग्निशामालय में वापसी की सूचना कंट्रोल रूम को देंगे।

23.संबंधित पत्रों में अग्निकाण्ड सम्बंधी आवश्यक ब्यौरा अंकित करेंगे।

24.अग्निकांड संबंधी अग्नि प्रतिवेदन तत्काल तैयार करेंगे तथा राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में या यथानिर्देशित कार्यालय को भेजेंगे।

अनुसूची 'ग'

अनापत्ति प्रमाण पत्र/ नवीनीकरण/अग्नि अंकेक्षण/अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उद्ग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क दर ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–2 (छ), 20 (1), 33/34/35/43 (2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमनसेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (घ), 22 (ट) एवं 27(क) के अंतर्गत)

भवन का श्रेणी	भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क निर्धारण				
	औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र	अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	अग्नि अंकेक्षण	अग्नि परामर्श
आवासीय	02	01	01	01	01
सभा भवन/ सांस्थिक भवन	04	02	02	02	02
शैक्षिक	06	03	03	03	03
वाणिज्यिक/मर्केनटाईल/	08	04	04	04	04
भण्डारण/औद्योगिक/खतरनाक भवन	10	05	05	05	05

अनुसूची–''घ''

भवन निर्माण के लिए राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना द्वारा ऑनलाईन अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०)।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–2 (छ) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 16 (ड.) के अंतर्गत)

1. वेबसाईट **www.biharfireservice.gov.in** पर लॉग इन करें–प्रदर्शित–**होम पेज–एन०ओ०सी०।**

2.क्लिक–**होम पेज पर– एन०ओ०सी०**–प्रदर्शित–**एन०ओ०सी० की आवश्यकता** (एन०ओ०सी० की आवश्यकता प्रकार)

3. क्लिक–**एन०ओ०सी० की आवश्यकता**–प्रदर्शित–निम्नलिखित मामलों में अग्नि सुरक्षा जरूरी है–

(क) सभी ऊँचे इमारतों, तथा

(ख) विशेष इमारत, ये हैं–

(i) होटल, शैक्षणिक, संस्थागत, व्यापार, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण, खतरनाक और मिश्रित अधिभोग वाले भवन, जिसमें कोई भी एक या एक से अधिक मंजिलों का फर्श क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो ।

(ii) 9 मीटर या अधिक ऊँचाई वाले शैक्षिक भवन,

(iii) 9 मीटर या अधिक ऊँचाई वाले संस्थागत इमारतें,

(iv) सभी सभा भवनों,

(v) इमारतों, जिसके किसी भी मंजिल पर 300 मीटर से अधिक क्षेत्र वाले आकस्मिक सभा अधिभोग हो, तथा

(vi) दो बेसमेंट या अधिक के साथ इमारतों या 500 मीटर से अधिक क्षेत्र के एक तहखाने के साथ भवन में ।

जबतक कि भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 (भाग–4 फायर और लाईफ सेफ्टी) के प्रावधानों में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो ।

4. क्लिक– **एन०ओ०सी० की आवश्यक प्रकार**–प्रदर्शित–**औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण**

5. क्लिक– **औपबंधिक/अंतिम/नवीकरण**–प्रदर्शित–**आवेदन प्रपत्र** (संबंधित एन०ओ०सी० प्रपत्र भरें)
अुलग्नक के साथ आवेदन प्रपत्र/आवेदन प्रपत्र **जमा** करें
एन०ओ०सी० निर्गत की स्थिति

6. क्लिक– **अुलग्नक के साथ आवेदन प्रपत्र**–प्रदर्शित–**आवश्यक भवन योजना/जाँच सूची/अन्डरटेकिंग्स प्रपत्र**

7. क्लिक– **आवश्यक भवन प्लान**–इंटर–**भवन प्लान की स्कैन की गई प्रति।**

8. क्लिक– **जाँच सूची**–प्रदर्शित–**विस्तृत जाँच सूची** (ठीक से भरें)

9. क्लिक– **अंडरटेकिंग प्रपत्र**–प्रदर्शित–**अंडरटेकिंग प्रपत्र** (ठीक से भरें)।

10.क्लिक– **आवेदन पत्र**– प्रदर्शित–**यू०आई०आई०डी० पर्ची** (यू०आई०आई०डी०, दिनांक और आवेदन जमा करने का समय)। यूनिक आई०डी० के साथ–साथ सभी आवश्यकताओं की हार्ड कॉपी निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के कार्यालय में जमा की जाएगी अन्यथा यूनिक आई०डी०

स्लीप की बैधता शून्य होगी । उस स्थिति में आवेदक को पुराने यू०आई०डी० का उल्लेख करके उपयोगकर्ता विंडों पर फिर से आवेदन करना होगा।

11. क्लिक– **एन०ओ०सी० निर्गत स्थिति**–प्रदर्शित–**एन०ओ०सी० आपत्ति / एन०ओ०सी० जारी**
12. क्लिक– **एन०ओ०सी० आपत्ति**–प्रदर्शित–**आपत्तियाँ / सुधार**
13. क्लिक– **आपत्तियाँ**–प्रदर्शित–**आपत्तियों के बिन्दु** (उन्हें सुधारें)
14. क्लिक– **सुधार**– आपत्तियों का सुधार करें
15. क्लिक– **एन०ओ०सी० जारी**– प्रदर्शित–**एन०ओ०सी० संबंधी पत्र** (डाउनलोड)
16. राज्य अग्निशमन कार्यालय द्वारा की गई कोई भी पृच्छा यू०आई०ई०आई० के संदर्भ के साथ वेबसाईट खोलकर प्राप्त किया जा सकता है।
17. यदि सभी आवश्यकताएँ / पृच्छा सही पाया जाएगा तो एन०ओ०सी० वेबसाईट पर 15 दिनों के भीतर लोड हो जाएगा।

अनुसूची–"ड."

पंडाल एवं अस्थाई ढांचा बनाते समय अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय (भारतीय मानक ब्यूरो, आई. एस. 8758–1993) एवं अग्नि निरोधक (Fire retardant) पंडाल बनाने की प्रक्रिया/सामग्री उपलब्धता

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–25,26 एवं 27 के अधीनबिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 18 (क) के अंतर्गत)

1. किसी भी दशा में पंडाल 3 मीटर से कम ऊँचाई का न लगाया जाये।
2. पंडाल बनाने में सिन्थेटिक सामग्री से बने कपड़े या रस्सी का प्रयोग न किया जाये।
3. पंडाल के चारों तरफ 4–5 मीटर खुला स्थान होना चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकल सके।
4. पंडाल बिजली की लाईन के नीचे किसी भी दशा में न लगाया जाये।
5. कोई भी पंडाल रेलवे लाईन, बिजली के सब–स्टेशन, चिमनी या भट्टी से कम–से–कम 15 मीटर दूर लगाया जाये।
6. बाहर निकलने का गेट 5 मीटर से कम चौड़ा न हो और अगर रास्ता मेहराबदार (आर्च) बनाया जाये तो भूमि तल से मेहराब (आर्च) की ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
7. बाहर निकलने के कम–से–कम दो रास्ते होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके दोनों रास्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो।
8. बाहर निकलने के गेट समुचित संख्या में उचित तरीका से बनाये जायें ताकि किसी भी दशा में पंडाल के किसी भी स्थान से किसी व्यक्ति को बाहर निकलने हेतु 15 मीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।
9. कुर्सियॉ दोनों किनारे से 1.2 मीटर जगह छोड़कर लगायी जाये व बारह कुर्सियों के बाद 1.5 मीटर की जगह छोड़ी जाये एवं इसके बाद पुनः बारह कुर्सियॉ लगाई जा सकती है। कुर्सियों को 10 कतारों के बाद 1.5 मीटर की जगह (गैन्गवे) छोड़ा जाये।
10. कुर्सियों को कम–से–कम चार–चार के समूह में नीचे से बांध कर जमीन में लोहे की छड़ गाड़कर स्थिर कर दिया जाये जिससे भगदड़ के समय वह कुर्सियॉ अव्यवस्थित होकर बाहर निकलने के मार्गो को अवरूद्ध न कर सकें।
11. तारों के जोड़ किसी भी दशा में खुले नहीं होनी चाहिए। जहॉ तक संभव हो पोर्सलीन कनेक्टरों का प्रयोग करना चाहिए।
12. ईमरजेन्सी लाईट की व्यवस्था होनी चाहिए।
13. विद्युत का कोई भी सर्किट, बल्ब, ट्यूब लाईट आदि पंडाल के किसी भी भाग से कम–से–कम 15 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए।
14. हैलोजन लाईट का प्रयोग किसी भी दशा में पंडाल या अस्थाई निर्माण के अन्दर में नहीं किया जाना चाहिए।
15. पंडाल के अंदर किसी भी दशा में भट्टी, का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । अगर करना ही पड़े तो टीन शेड लगाकर किया जाये जो पंडाल से अलग हो। **यदि हवन कुण्ड का प्रयोग अतिआवश्यक हो तो उस स्थल एवं आस–पास अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**
16. पंडाल अग्नि सुरक्षा हेतु 0.75 लीटर पानी प्रति वर्गमीटर स्थान हेतु ड्रम या बाल्टियों में सुरक्षित रखा जाये व इसका प्रयोग अग्निशमन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में कदापि न किया जाये। कुल पानी की आधी मात्रा पंडाल के अन्दर व आधी पंडाल के बाहर रखी जाये।

17. प्रत्येक 50 वर्गमीटर जगह हेतु कम–से–कम दो बाल्टी पानी व प्रत्येक 100 वर्गमीटर स्थान हेतु फायर एक्सटींग्यूसर (9 लीटर क्षमता का वाटर टाईप) अग्नि सुरक्षा हेतु उपलब्ध रखा जाये।
18. स्विच गेयर, मेन मीटर और स्टेज के पास विद्युत की आग से सुरक्षा हेतु एक कार्बन डाई ऑक्साईड गैस एक्सटींग्यूसर या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटींग्यूसर उचित मानक क्षमता के लगाए जायें।
19. आतिशबाजी का प्रयोग पंडाल के निकट अथवा अंदर न करें।
20. पंडाल के अंदर तथा निकट धूम्रपान न करें।
21. पंडाल में प्रयोग आने वाले कपड़ों को अग्नि निरोधक घोलसे उपचारित करें।
22. बहुत बड़े पंडाल व अस्थाई निर्माण के पूर्व अग्निशमन विभाग को सूचित कर उनसे सुझाव प्राप्त करें।

अग्नि निरोधक घोल (Fire Retardant Solution) हेतु सामग्री, बनाने का तरीका एवं उपलब्धता

(क) अग्नि निरोधक घोल हेतु सामग्री की भाग का अनुपात–

1.	अमोनियम सल्फेट	–	4 भाग (मात्रा से)
2.	अमोनियम कार्बोनेट	–	2 भाग (मात्रा से)
3.	बोरैक्स	–	1 भाग (मात्रा से)
4.	बोरिक एसिड	–	1 भाग (मात्रा से)
5.	एलम	–	2 भाग (मात्रा से)
6.	पानी	–	35 भाग (मात्रा से)

(ख) अग्नि निरोधक पंडाल बनाने का तरीका–

उपरोक्त निर्धारित अनुपात में सभी सामग्रियों को मिलाकर घोल बनाना है, घोल बनाने के बाद पंडाल के कपड़ों को उक्त घोल में भींगने हेतु छोड़ देना चाहिए। कपड़ा के पूर्ण रूप से भींगने के बाद उसे सुखाकर पंडाल बनाना है। ऐसे पंडाल में आग मुश्किल से लगता है। अगर आग लग भी जाता है तो कपड़ा काफी धीरे–धीरे बिना फ्लेम का जलता है। कपड़ा सिकुड़ जाता है।

(ग) अग्नि निरोधक सामग्री की उपलब्धता –

उपरोक्त सभी समान केमिकल के दूकान में 500 ग्राम के पैकेट में प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसूची–''च''

अग्नि प्रशिक्षण अकादमी में अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क का दर।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–30 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 20 (छ) के अंतर्गत)

1. **प्रशिक्षण शुल्क** :–अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी या निदेशक द्वारा यथाअवधारित किसी अन्य स्थान पर संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकन के समय प्रत्येक वाह्य प्रशिक्षणार्थी द्वारा भुगतान किए जानेवाले प्रशिक्षण शुल्क पाठ्यक्रम की अवधि के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार होंगे:–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम की अवधि (एक माह) (रूपए)	अध्यापन शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	प्रशिक्षण प्रभार (रुपये में)			
				आगलगी पर आधारित कार्रवाई प्रभार	आवासन प्रभार (प्रति माह रुपये)		प्रशिक्षणार्थी सुख– सुविधाएँ प्रभार
				बैरक	एकल	डबल	
1	500	–	500	250	1000	500	100
2	1000	–	1000	250	1000	500	200
3	1000	500	1000	250	1000	500	300
4	1500	500	1500	250	1000	500	400
6	2000	1000	3000	250	1000	500	600
7	4000	2000	4000	250	1000	500	1200
8	8000	2000	5000	250	1000	500	2400

2. **बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षणार्थी सुख–सुविधाएँ प्रभार का भुगतान**–बिहार अग्निशमन सेवा के सभी सदस्य खंड (1) के अधीन अवधारित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी के पाठ्यक्रम में नामांकन के समय प्रशिक्षणार्थी सुख–सुविधाएँ प्रभार का भुगतान करेंगे।
3. **प्रशिक्षणार्थी प्रभार का पुनरीक्षण** – सरकार द्वारा अवधारित दर पर प्रत्येक तीन वर्षों में प्रशिक्षणार्थी प्रभार पुनरीक्षित की जा सकेगी।

अनुसूची–''छ''

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–32 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 21 के अंतर्गत)

अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण ।
राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना।

नोटिस संख्या

रा०अ०से० / पंजीकरण / ..... / 20...—20...

अग्निशमन परामर्शी का पंजीकरण

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–32 के अधीन बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम 21 के अन्तर्गत राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना निर्धारित नियम, शर्तों और प्रक्रिया के तहत अग्निशमन परामर्शी पंजीकृत करने का इरादा रखती है।

अग्निशमन परामर्शी के रूप में इम्पैनलमेन्ट हेतु दि०.....तक व्यक्ति अथवा फर्म के प्रोपराइटर/भागीदारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है । सभी अभिलेखों के साथ आवेदन प्रपत्र बिना मूल्य के वेबसाईट www.gov.bihar.nic.in राज्य अग्निशमन सेवा से डाउनलोड किया जा सकता है और कार्यालय का पता जैसा कि यहाँ नीचे बताया गया है, से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी पृच्छा हेतु निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना को ईमेल–**sfocumdirector.bihar01@gmail.com** पर संबोधित किया जा सकता है ।

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा इम्पैनल करने या नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

बिहार अग्निशमन सेवा

अग्निशमन परामर्शी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–32 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 21 के अन्तर्गत)

(I) सामान्य मार्गदर्शिका और दिशा–निर्देश

(1) योग्यता, अनुभव और पात्रता

1. मैट्रिक या एस०एस०सी० या उसके समकक्ष परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण।
2. (क) फायर इंजीनियरों का संस्थान, इंग्लैंड से स्नातक अथवा
   (ख) फायर इंजीनियर्स भारत से स्नातक अथवा
   (ग) राष्ट्रीय फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से एडवांस डिप्लोमा और राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर से प्रमंडलीय पदाधिकारी का कोर्स पूरा किया हो अथवा
   (घ) ए०एम०आई०एफ०ई०, लंदन (अग्नि अभियंता संस्थान, लंदन से एसोसिएट सदस्यता) अथवा
   (ड.) किसी भी सरकारी या स्थानीय संस्थान में निदेशक/मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी/राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर तीन वर्षों का अनुभव अथवा
   (च) किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/स्थानीय संस्थान में उप निदेशक/उप मुख्य अग्निशमन पदाधिकारी/सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी/प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी या समकक्ष के पद पर 5 वर्षों का अनुभव
3. प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के रूप में पांच साल का अनुभव अथवा सरकार या स्थानीय निकायों या सरकारी उपक्रम बोर्ड या निगम में अग्निशमन सेवाओं के क्षेत्र में फायर स्टेशन ऑफिसर के रूप में दस वर्ष का अनुभव ।
4. हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और यदि नहीं, तो इसे 2 वर्ष के भीतर राज्य अग्निशमन सेवा के संतुष्टि स्तर तक प्राप्त करना होगा।
5. राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी कानून द्वारा स्थापित अथवा किसी भी बोर्ड या निगम या संगठन अथवा सरकारी विभाग या प्राधिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो ।

(2)कार्य का दायरा

अग्निशमन परामर्शी के कार्य का क्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए होगा। कार्य का दायरा निम्न प्रकार होगा–

(क) नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 और बिहार बिल्डिंग बाई लॉज, 2014 के अनुसार निष्क्रिय और सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधानों के संबंध में भवन योजना नक्शा का सत्यापन के बाद अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की सिफारिश।

(ख) भवन में विद्युतीकरण, अग्नि प्रतिरोध आदि जैसी निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना।

(ग) सक्रिय फायर फाईविंग सिस्टम (जैसे कि हाईड्रेन्टस्, स्प्रिंकलर्स, पम्पिंग इत्यादि) का भवन में स्थापना।

(घ) भवन में अग्नि जाँच और अलार्म सिस्टम की स्थापना।

(ड.) औपबंधिक अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य के दौरान पर्यवेक्षण ।

(च) औपबंधिक अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन के संबंध में निर्मित भवन का विधिवत सत्यापन के बाद अंतिम अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश ।

(छ) अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का जाँच के बाद अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के लिए सिफारिश ।

(ज) भवनों का अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट)।

3. **अग्नि परामर्श के लिए निर्धारित शुल्क**भवनों के श्रेणी के आधार पर सभी मंजिलों के कुल फर्श क्षेत्र का प्रावधानित प्रति वर्ग मीटर की दर से अग्निशमन परामर्श का शुल्क निर्धारित किया जाएगा–

	कार्य क्षेत्र	भवनों की श्रेणी और वर्ग मीटर दर (रूपये में)				
		आवासीय	सभा	शैक्षिणिक और संस्थागत	मर्कंटाईल एण्ड बिजनेस	औद्योगिक, भंडारण और खतरनाक
01	औपबंधिक एन.ओ.सी के लिए सिफारिश	01	03	05	08	10
02	निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना	02	06	10	16	20
03	सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना	02	06	10	16	20
04	फायर सिस्टम जाँच की स्थापना	02	06	10	16	20
05	औपबंधिक एन.ओ.सी. के परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य के दौरान पर्यवेक्षण	01	03	05	08	10
06	अंतिम एन.ओ.सी. के लिए सिफारिश	01	03	05	08	10
07	एन.ओ.सी के नवीनीकरण के लिए सिफारिश	0.5	1.5	2.5	0.4	0.5
08	फायर ऑडिट	0.5	1.5	2.5	0.4	0.5

4. **आवेदन और चयन प्रक्रिया**

1. पंजीकरण के लिए आवेदक (व्यक्तिगत या फर्म के मालिक/साझेदार) आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रारंभिक पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन फार्म के साथ गैर–वापसी योग्य जांच शुल्क (1000/–रूपये) का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा करना होगा।
3. आवेदन की जाँच के बाद, यदि कोई आवेदक पंजीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाएंगे तो आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. अंतिम चयन आवेदक के अनुभव, क्रेडेंशियल, तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर आधारित होगा।
5. पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति/फर्म के स्वामी/पार्टनर्स को आवश्यक तकनीकी योग्यता है तो कुल आवश्यक न्यूनतम योग्य इंजीनियरों की संख्या उनके सहित होगी ।
6. किसी व्यक्ति या स्वामित्व वाले फर्म के आवेदक होने के मामले को छोड़कर कम्पनी के किसी भागीदार या निदेशक के पास वांछित योग्यता और अनुभव होगा ।
7. अग्निशमन परामर्शी पंजीकरण के अनुमोदन के बाद आवेदक द्वारा अनुभवी स्टाफ या सहयोगियों को परामर्शी/व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त किया जाएगा जिन्हें अग्निशमन प्रणाली, अधिष्ठापन, आवश्यक चित्रों का अध्ययन/तैयारी से संबंधित सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्याप्त ज्ञान हो। यदि आवश्यक हो तो चर्चा के लिए अग्निशमन सेवा द्वारा अग्निशमन परामर्शी को बुलाया जा सकता है। अग्निशमन परामर्शी को भवन योजना, यांत्रिक/विद्युत अधिष्ठापन का पर्याप्त ज्ञान तथा अग्निशमन व्यवस्था एवं इसके अधिष्ठापन का ज्ञान होना चाहिए।
8. वित्तीय क्षमता– अपनी वित्तीय क्षमता स्थापित करने के लिए अग्निशमन परामर्शी द्वारा बैंक सोलभेन्सी प्रमाण पत्र या वांछित बैंक सोलभेन्सी के मूल्य से 10% अधिक का राजस्व प्राधिकार द्वारा निर्गत सोलभेन्सी प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

9. आवेदन के अनुमोदन बाद आवेदक को प्रारंभिक पंजीकरण के लिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा 3,000 रूपया का पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
10. पंजीकृत अग्निशमन परामर्शी राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार के साथ काम करने के लिए पात्र होंगे।
11. अग्निशमन परामर्शी का प्रारंभिक पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
12. प्रारंभिक पंजीकरण के बाद पंजीकरण की वैधता विस्तार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पांच साल या उसके भाग के लिए बढ़ा दी जा सकती है।
13. 5 साल या उसके भाग के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 5000 रूपए के भुगतान के बाद किया जाएगा। पंजीकरण की तिथि समाप्ति के तीन माह पहले नवीनीकरण हेतु आवेदन देना होगा । अगले 5 वर्षो के लिए नवीनीकरण हेतु 10000 रू० का शुल्क बैक ड्राफ्ट के साथ आवेदन देने पर विहित प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण किया जाएगा ।
14. पंजीयन प्राधिकारी हर वर्ष उनके द्वारा प्रभावित होने वाले पंजीकरण की समीक्षा उन्हें हटाने की कार्रवाई हेतु करेगा।
15. यदि उनके संविधान में कोई परिवर्तन होगा, तो उसके तुरंत बाद राज्य अग्निशमन सेवा के संज्ञान में लाया जाएगा। इसी तरह तकनीकी कर्मियों में कोई भी परिवर्तन तुरंत राज्य अगिनशमन सेवा, बिहार के ध्यान में लाया जाएगा।
16. ब्लैक लिस्टेड/डिवार्ड अग्निशमन परामर्शी को उस समय के लिए फिर से पंजीकरण नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए वे ब्लैक लिस्ट/डिवार्ड हैं। हालांकि वह ब्लैक लिस्टिंग अवरूद्ध अवधि के पूरा होने के बाद फिर से पंजीकरण किया जा सकता है।
17. यदि आवेदन प्रस्तुत करने में तीन महीनों से अधिक की अवधि का अविलम्ब हो, परन्तु एक वर्ष तक हो, तो नवीनीकरण दो गुणा पंजीकरण फीस प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। हाँलाकि अगर आवेदन जमा करने में एक वर्ष से अधिक का विलंब हो, तो प्रारंभिक पंजीकरण समाप्त हो जाएगा और अग्निशमन परामर्शी को नए पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा।

5.अग्निशमन परामर्शी को हटाया जाना

1. यदि कोई पंजींकृत अग्निशमन परामर्शी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, भ्रष्ट प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है या राज्य अग्निशमन सेवा के लिए मौद्रिक नुकसान का कारण बनता है और/या इसके काम को रोकता है या ऐसा करने के लिए उकसाता है या अगर वित्तीय परिस्थिति या अग्निशमन परामर्शी का तकनीकी क्षमता बिगड़ जाता है, तो उसका नाम अनुमोदित सूची के अस्थायी या स्थायी रूप से हटाने या ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। उसे कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुपालन के उद्येश्य से सुनवाई के लिए उसे उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
2. अग्निशमन परामर्शी जिसका नाम स्वीकृत सूची के रजिस्टर से हटा दिया गया है और पुनः नामांकन के लिए इच्छित है, तो उसे नए सिरे से आवेदन करना चाहिए। इस तरह के आवेदन पत्रों पर विचार इसके गुणों पर किया जाएगा।
3. किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के रजिस्टर से हटाए गए अग्निशमन परामर्शी, उक्त हटाने के आदेश के विरूद्ध, महानिदेशक, अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना के समक्ष अपील कर सकता है। महानिदेशक, अग्निशमन सेवाऐं का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(अ) आवेदन प्रारूप

अग्निशमन परामर्शी के इम्पैनलमेन्ट के लिए आवेदन

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–32 के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 21 के अन्तर्गत)

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

विषयः– **अग्निशमन परामर्शी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन।**

महाशय,

1. मैं/ हम/हमारी फर्म एक अग्निशमन परामर्शी के रूप में अपना /हमलोगों का नाम पंजीकृत करना चाहता हूँ /चाहते हैं।

2. आवश्यक स्क्रूटनी शुल्क रू0 1000/– डिमांड ड्राफ्ट नंबर.....दि०..... बैंक .....शाखा..... निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से संलग्न है ।

3. प्रारंभिक एक वर्ष के लिए आवश्यक पंजीकरण शुल्क रू0 3000/– का डिमांड ड्राफ्ट बैंक..... शाखा..... निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से संलग्न है ।

4. जरूरी विवरणी के रूप में आवश्यक प्रमाणित (सच्ची प्रतियाँ) दस्तावेजों के साथ भरे गए फॉर्म प्रस्तुत किए गए है।

सधन्यवाद,

आपका आभारी,

(आवेदक का हस्ताक्षर)

अनुलग्नक–1 पंजीकरण हेतु सामान्य बायोडाटा
अनुलग्नक–2 अग्निशमन परामर्शी की योग्यता और अनुभव के बारे में व्यक्तिगत बायोडाटा

रसीद	
जाँच शुल्कः..... रसीद संख्या..... तारीखः.....	पंजीयन शुल्कः..... रसीद संख्याः..... तारीखः.....

प्राप्त करने वाले कर्मी का हस्ताक्षर,
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना का कार्यालय।

अनुलग्नक–1

पंजीकरण हेतु सामान्य बायोडाटा

1.	1. नाम 2. आवेदक /एजेंसी का पता 3. सम्पर्क विवरण (i) फोन नंबर (ii) फैक्स नंबर (iii) ईमेल (iv) मोबाईल	
2.	आवेदक की स्थिति व्यक्तिगत/मालिकाना फर्म/पार्टनरशिप फर्म आदि।	
3.	पावर ऑफ अटॉर्नी धारण करने वाले व्यक्ति का नाम (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
4.	वर्तमान और स्थायी पते के साथ भागीदारों के नाम तथा अन्य कंपनियों में उनकी देयताएँ, जिसमें वे या उनके कर्मचारी हैं या भागीदार हैं (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
5.	1. पैन कार्ड की विवरणी 2. जीएसटी(**GST**)पंजीकरण विवरणी 3. व्यावसायिक कर विवरणी 4. ईएसआई पंजीकरण 5. पी०एफ० पंजीकरण 6. सेवा कर (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
6.	किसी अन्य संगठन के साथ पंजीकरण/इनरॉलमेन्ट/इम्पैनलमेन्ट का विवरणी। (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
7.	आवेदक पटना, बिहार में कार्यालय बनाए रखने में सक्षम हैं।	
8.	चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित बैलेंस शीट और लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ पिछले तीन वर्षों के वित्तीय कारोबार का विवरण। साल साल साल	
9.	केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी साल्वेन्सी सर्टिफिकेट/राजस्व प्रमाण पत्र का विवरणी 1. नाम 2. शाखा 3. दिनांक 4. रूपये (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
10.	बैंकर्स का विवरणी 1. बैंक का नाम 2. शाखा 3. पता	
11.	आवेदक या उसके सहयोगी या साझा धारक को किसी भी संगठन से काली सूचीबद्ध/बहिष्कृत कर दिया गया है, को कृपया विशिष्ठ विवरणी दें। अग्निशमन परामर्शी अपने पत्र	

	पैड पर उपक्रम (**Undertaking**) प्रस्तुत करेगा कि किसी भी संगठन द्वारा उसे या उसके फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।	
12.	अग्निशमन परामर्शी या ग्राहक द्वारा त्याग किए गए किसी भी काम का विवरणी।	
13.	अनुलग्नक के अनुसार पिछले पांच वर्षो के दौरान अनुभव का विवरण (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
14.	वर्तमान कार्यरत स्थिति का विवरण (सत्यापित दस्तावेज संलग्न)	
15.	स्वामित्व वाले/भागीदारों/अटॉर्नी धारक का तस्वीर के साथ हस्ताक्षर और नाम	

घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम वैसे फर्म में पार्टनर/पाटनर्स नहीं हूँ/हैं जिसे किसी भी संगठन के साथ व्यापार करने हेतु प्रतिबंधित करने के लिए निलंवित, हटाया गया एवं दण्डित किया गया है अथवा वैसे फर्म से सम्बंधित नहीं हूँ/हैं जिसे किसी भी संगठन के साथ व्यापार करने हेतु प्रतिबंधित करने के लिए निलंवित, हटाया गया एवं दण्डित किया गया है।

हम, इस फर्म के सहयोगीगण, एतद्द्वारा एक उपक्रम (undertaking) देते हैं कि हम इस फर्म के व्यवसाय पर सभी देनदारियों को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग जिम्मेदार हैं और दिए गए कामों को हमारे द्वारा त्यागने के परिणाम स्वरूप राज्य अग्निशमन सेवा को होने वाले नुकसान की भरपाई करेंगे।

मैं/हम इस तरह प्रमाण्ति करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।

मैं, एतद् द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सही और सही है। मैं वादा करता हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को झूठा पाया जाएगा तो किसी पूर्व सूचना के बिना मेरा पंजीकरण रद्द होने के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा और मैं अपनी किसी त्रुटि के लिए किसी भी मुआवजा के लिए दावा नहीं करूँगा। बाद में मिलने वाली किसी भी तरह की विसंगति के मामले में मैं कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सजा के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम, पदनाम और पूरा पता
तिथि एवं मोहर के साथ

तारीख:.....
स्थान:.....

अनुलग्नक–2

अग्निशमन परामर्शी की अर्हता और अनुभव के बारे में व्यक्तिगत बायोडाटा

1. नाम –
2. पिता/पति का नाम–
3. स्थायी पता–
4. पत्राचार का पता–
5. मोबाईल नंबर/टेलीफोन नंबर–
6. ईमेल आईडी–
7. जन्म तिथि–
8. राष्ट्रीयता–
9. सामान्य शैक्षणिक योग्यता (पासिंग और विशिष्ट उपलब्धि का वर्ष)–

   (क) एस०एस०सी० परीक्षा.....

   (ख) एच०एस०सी०/इंटर/समकक्ष परीक्षा.....

   (ग) बैचलर डिग्री/समकक्ष.....

   (घ) मास्टर डिग्री/समकक्ष.....
10. अग्निशमन सेवा में सामान्य कार्य अनुभव–.....वर्ष
11. अग्निशमन सेवा में विशिष्ट तकनीकी अनुभव–

पद पर रहे	पोस्टिंग का जगह	अवधि (.....से .....तक)	कुल मासिक वेतन/पारिश्रमिक	अन्य भत्ते/भत्तों

मैं एतद् घोषित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित जानकारी मेरी ज्ञान से पूरी सही और सही है ।

अग्निशमन परामर्शी के हस्ताक्षर
तारीखः

नोट– पिछले वर्ष का अंकपत्र/प्रमाण पत्र/कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित कॉपी संलग्न है।

अग्निशमन परामर्शी का पुनः पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण के लिए आवेदन

(बिहार फायर सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा–32 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 की धारा–21 के अन्तर्गत)

प्रेषक–

.....
.....
.....

सेवा में ,

निदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

विषयः– **प्रारंभिक पंजीकरण के बाद अगला 5 वर्षों के लिए अग्निशमन परामर्शी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन/अग्निशमन परामर्शी के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन।**

महोदय,

मैं यह कहना चाहता हूँ कि

1. मैं/हम/हमारी फर्म 1 वर्ष के लिए प्रारंभिक रूप से पंजीकृत है/5 साल के लिए पंजीकृत किया गया है।
2. मैं/हम/हमारी फर्म अगले 5 वर्षों के लिए खुद के/हमारे नाम से अग्निशमन परामर्शी के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण कराना चाहता हूँ/हैं।
3. निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के पदनाम से देय आवश्यक शुल्क के रूप में रू०.....का बैंक ड्राफ्ट दि०–.....बैंक.....शाखा.....संलग्न है।
4. मैं/हम/हमारे फर्म के द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को सफलतापूर्वक किया गया है।
5. फॉर्म में जरूरी विवरणी प्रमाणित (सच्ची प्रतियाँ) दस्तावेजों के साथ भरे गए हैं और इसके साथ ही प्रस्तुत भी किए गए हैं।
6. मैं/हम/हमारी फर्म अग्निशमन परामर्शी के रूप में अगले 5 साल तक पंजीकरण/नवीनीकृत करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

धन्यवाद,
आपका आभारी,
(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक–

1. पंजीकरण के लिए सामान्य बायोडाटा,
2. योग्यता और अनुभव के साथ व्यक्तिगत बायोडाटा
3. पिछला पंजीकरण पत्र

रसीद	
जाँच शुल्क :	पंजीयन शुल्क : .....
रसीद संख्या :	रसीद संख्या : .....
तिथि :	तिथि : .....

प्राप्त करने वाले कर्मी का हस्ताक्षर,
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना का कार्यालय।

अनुसूची–''ज''

मौजूदा पुराने भवनों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–33,34,35 एवं 43(1)(2)(3)के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ग) के अंतर्गत)

निम्नलिखित श्रेणी के मौजूदा पुराने भवनों में अग्नि सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं–

(1) 15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई के सभी भवन

(2) सभी सभा भवन

(3) 9 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई के संस्थागत और शैक्षिक भवन

(4) किसी भी ऊँचाई के विशेष भवन (जैसे–होटल, शैक्षणिक, संस्थागत, व्यापार, व्यवसायिक, औद्योगिक, भंडारण, खतरनाक और मिश्रित अधिभोग) जिसके किसी भी मंजिल का फर्श क्षेत्र 500 वर्ग मीटर या अधिक हो ।

(5) एक तहखाना (500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र) अथवा दो या अधिक तहखाना के साथ भवन।

उपरोक्त श्रेणी के भवनों में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं:–

(I)<u>पहुँच के साधन</u>–

(1) अग्निशामक वाहनों का पहुँच सुनिश्चित करने के लिए केबल, तार, मेहराव आदि को हटाकर 5.00 मीटर की सिर निकासी एवं न्यूनतम 4.50 मीटर की चौड़ाई के साथ एक प्रवेश और एक निकास प्रदान करें।

(2) स्पष्ट रूप से चिन्हित खुली जगह, बंद बाल्कनियों में खिड़कियाँ और कांच के मुखौटे में पैनल आदि के माध्यम से अग्निशमन कर्मियों का उपरी मंजिल तक बाहर से पहुँच बनाकर बचाव और अग्निशमन उद्येश्यों को सुविधाजनक बनाना ।

(II)<u>ओपेन स्पेस</u>–

आम तौर पर भवन के चारों ओर अग्निशामक वाहनों के भ्रमण के लिए लगभग 6 मीटर की खुली जगह की आवश्यकता होती है। मौजूदा भवनों के एक तरफ या तीन तरफ खुले स्थान और सड़क की तरफ पहुँच रास्ता में 6 मीटर की कमी हो सकती है। ऐसे मामलों में, अधिभोग के अनुसार आवश्यकताओं और अतिरिक्त सावधानी बरतना है। इस परिपेक्ष्य में जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए,

(1) अग्निशमन कर्मियों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भवन के चारो ओर खुली जगहों को अवरोध रहित बनाना।

(2) फायर वाहनों के लिए 6 मीटर का एक्सेस स्पेस में नो–पार्किंग नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।

(3) स्टिल्ट फ्लोर और तहखाने का इस्तेमाल केवल पार्किंग के लिए और उपयोग की जाने वाली सुविधाएँ के लिए किया जाएगा ताकि अग्निशमन वाहनों के पहुँच के स्थान पर पार्किंग अतिक्रमण को रोकने में मदद मिल सके।

(4) अग्नि वाहन के वजन (25 टन) को सहन करने के लिए पर्याप्त ताकत के साथ जल निकासी/ मैनहोल/पानी की टंकी प्रदान करें ।

(5) भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए फिक्सचर, संरचनाएँ, पार्किंग, बुथ्स, केबिन, जनरेटर, आदि जैसे अवरोधों को हटाकर 6 मीटर समतल, पक्की, पहुँच रास्ता (आकाश की ओर खुला) प्रदान करें।

(6) यदि उपर्युक्त मौजूदा परिसर में यह संभव नहीं हो, तो चिनाई वाली कम्पाउंड दीवार के स्थान पर हटाने योग्य विभाजन बना कर 9 मीटर की मोड़ त्रिज्या के साथ 6 मीटर का संयुक्त प्रवेश स्थान प्रदान करें।

(7) यदि भवन के चारों ओर वांछित खुली जगह उपलब्ध कराना संभव नहीं हो, तो भवन निर्माता/भवन मालिक द्वारा अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपाय प्रदान किया जाएगा एवं भवन के जिस तरफ वांछित सेट बैक में कमी होगी, उस तरफ अतिरिक्त उपकरण (बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा निर्धारित) स्थापित किया जाएगा ।

(III) **निकास का तरीका**–बाहरी सीढ़ी–

(1) आर०सी०सी०/अग्नि सुरक्षित एम०एस० से निर्मित 1.25 मीटर की चौड़ाई का कम से कम एक बाहरी सीढ़ी बनाना ।

(2) एक तरफ खुली जगह और सड़क के पहुँच पथ में 6 मीटर में कमी वाले वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा भवन/होटल और शैक्षणिक भवन के मामले में आर०सी०सी० या एम०एस० 1.25 मीटर की चौड़ाई का एक अतिरिक्त बाहरी सीढ़ी देना होगा जो भूमि तल से छत तक अग्नि सुरक्षा दरवाजे होकर सभी मंजिलों को जोड़ेगा एवं खुला स्थान की कमी वाले फर्श के सभी भाग से (सड़क तरफ पहुँच को छोड़ कर) पहुँचा जा सकेगा। वैसे मामले जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ पर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए उपरी छत से भूतल तक एक रणनीतिक जगह पर सीढ़ी (छत निकास) बिहार अग्निशमन सेवा के परामर्श से प्रदान किया जाएगा।

(3) तीन तरफ खुली जगह और सड़क के पहुँच पथ में 6 मीटर में कमी वाले वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षणिक भवनों के मामले में विल्ट–अप क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से कम होने पर अधिवासियों के सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए आर०सी०सी० या एम०एस० 1.25 मीटर की चौड़ाई का एक अतिरिक्त बाहरी सीढ़ी एक रणनीतिक जगह पर देना होगा जो भूमि तल से छत तक अग्नि सुरक्षा दरवाजे होकर सभी मंजिलों को जोड़ेगा एवं फर्श के सभी भाग से पहुँचा जा सकेगा ।

अगर विल्ट–अप क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो तो अधिवासियों के सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए खुला स्थान की कमी वाले प्रत्येक भाग (सड़क तरफ पहुँच को छोड़ कर) इसी प्रकार का सीढ़ी प्रदान किया जाएगा। वैसे मामले जहाँ यह संभव नहीं हो, वहाँ पर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए उपरी छत से भूतल तक एक रणनीतिक जगह पर सीढ़ी (छत निकास) बिहार अग्निशमन सेवा के परामर्श से प्रदान किया जाएगा।

(4) यदि मौजूदा परिसर में उपरोक्त संभव न हो तो नजदीकी भवनों के बीच उचित पूल के माध्यम से क्षैतिज आपातकालीन निकासी प्रदान करें, जो आमतौर पर छत स्तर पर हो। आपातकालीन निकास के लिए आग प्रतिरोधी दरवाजे को प्राथमिकता दी जाय।

(5) जहाँ कुल निकास की चौड़ाई की कमी हो, वहाँ न्यूनतम 1.50 मीटर की चौड़ाई का अतिरिक्त आंतरिक सीढ़ी/सीढ़ियाँ प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही निकासी के साधन को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा दूरी 30/45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। (प्रत्येक 50 सें०मी० की चौड़ाई वाले निकास सीढ़ी के लिए ए,बी,सी एवं जे श्रेणी के भवनों के मामले में अधिवासियों की संख्या–50 और ई, एफ, जी और एच श्रेणी में भवनों के लिए अधिवासियों की संख्या 50 होनी चाहिए)।

(6) उपरोक्त मौजूदा परिसर में यदि यह संभव नहीं हो तो उपयुक्त ऊँचा क्षैतिज निकास आग दरबाजे के माध्यम से नजदीकी अग्नि डिब्बा तक जाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि मर्केंटाईल एवं अन्य मामले में फ्लोर एरिया 500 वर्ग मीटर/750 वर्ग मीटर से अधिक होने पर यह अपेक्षित है।

(7) औद्योगिक श्रेणी के भवन में आंतरिक भवनों और अग्नि आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

(8) **आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था**– निकास के साधन को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरिडोर/सामान्य मार्गों और सीढ़ियों में न्यूनतम 4 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ प्रदान की जाएगी।

(9) विद्युत आपूर्ति के विश्वसनीय बैकल्पिक स्रोत के लिए जनरेटर

(10) धुआँ का निकास बैटरी बैकअप के साथ **पब्लिक एड्रेस सिस्टम**

(11) धुआँ का निकास के साधन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी मंजिलों में बाहरी सीढ़ी के प्रत्येक लैंडिंग स्थल पर वेंटीलेशन प्रदान किया जाएगा।

(12) निकास के साधनों को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरिडोर और सीढ़ियां को वस्तुओं, मर्चैंडाइज आदि जैसी अवरोधों से मुक्त रखना होगा।

(13) दो घंटे का अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा के अग्नि दरवाजे निकासी मार्ग एवं उपयुक्त स्थानों पर (विशेष रूप से आग और धुएँ के प्रसार को लॉबी और सीढ़ी में प्रवेश रोकने के लिए) प्रदान किया जाएगा ।

(14) 500 वर्ग मीटर/750 मर्ग मीटर से अधिक तल क्षेत्र होने पर उपयुक्त स्थानों पर आग और धुएँ फैलाने को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिरोधी दीवारों/दरवाजों को उपलब्ध कराना।

(15) सभी उच्च उदय भवनों एवं 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र युक्त मिश्रित अधिवास वाले भवनों के लिए आंतरिक सीढ़ियों (संरक्षित निकास मार्ग) के संबंध में धुआँ प्रबंधन उपाय।

(16) मल्टीप्लेक्स, बड़े शॉपिंग मॉल में यदि अंतर–मंजिल डिब्बेनेशन(Compartmentation)संभव नहीं है तो विशेष धुआँ प्रबंधन उपाय प्रदान की जानी चाहिए।

(17) ट्रांसफर्मर, ईंधन टैंक, पार्क की गई कार, खाना पकाने के क्षेत्र आदि में आग के ज्वाला या धुएँ के भवन या बाहर निकलने के रास्ते में प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा ।

(18) अस्पतालों में रोगियों को बाहर निकलने के लिए अस्पताल के प्रत्येक 280 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र एवं रैम्प से धुआँ के लिए बाधाएँ उपलब्ध कराएँ ।

(19) सिनेमा हॉल, डी–3 सभा भवन, मर्केंटाईल, संस्थागत और औद्योगिक भवन में विशेष रूप से धुआँ/ निकासी हेतु उपाय किए जाएगें।

(20) अगर भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो तो प्रत्येक 1200 वर्ग मीटर फर्स क्षेत्र के लिए फायरमैन लिफ्ट प्रदान करें। आवश्यकतानुसार मौजूद लिफ्ट/लिफ्टों में उपयुक्त संशोधन के जरिए यह व्यवस्था हो।

(21) लिफ्ट में आने वाले धुएँ से बचने के लिए सभी ग्रिल प्रकार और बंधन योग्य दरवाजा प्रकार लिफ्टों में एक स्विंग दरवाजा प्रदान किया जाएगा।

(IV) <u>अग्निशमन उपकरण</u>–

खुली जगह में कमी के मामले में प्रत्येक मंजिल या 500 वर्ग मीटर के प्रत्येक निर्मित क्षेत्र के लिए न्यूनतम(क) 2 किलोग्राम का एक सूखी रसायनिक पाउडर या 2 किलोग्राम का एक कार्बन–डाय ऑक्साईड और (ख) 9 लीटर जल प्रकार का आग बुझाने की एक मशीन प्रदान की जानी चाहिए।

लेकिन वाणिज्यिक/व्यवसाय/सभा/होटल और शैक्षणिक के मामले में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ घूमने पर 6 मीटर खुली जगह की कमी हो तो अग्निशामक यंत्र का उपरोक्त सेट प्रत्येक दुकान/कमरे में उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

(V) <u>फिक्स फायर फाईटिंग अधिष्ठापन</u>–

निर्धारित ऊँचाई और अधिभोग के आधार पर बिहार अग्निशमन सेवा के अनुमोदन के बाद निर्धारित अग्निशमन प्रतिष्ठान प्रदान किए जाएंगे। यह अधिष्ठापन पड़ोसियों से साझा किया जा सकता है।

(1) <u>वेट राईजर–कम–डाउन कमर सिस्टम</u>– वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवन में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर की खुली जगह की कमी की स्थिति में लैंडिंग वाल्व, 2 डिलिवरी हॉज और एक हॉज रील के साथ सभी मंजिलों पर अतिरिक्त सीढ़ीयों पर wet riser cum down comer system प्रदान की जाएगी।

(2) <u>स्वचालित छिड़काव प्रणाली(ऑटोमैटिक स्प्रींकलर सिस्टम)</u>– वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर से कम खुली जगह होने पर पूरी भवन में Automatic Sprinkler System प्रदान की जानी चाहिए।

(3) <u>मैन्युअली संचालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम</u>– वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों के मामले में एक तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर खुली जगह में कमी की स्थिति में सभी मंजिलो पर MOEFAS प्रदान की जाएगी।

(4) स्वचालित डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम– वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों के मामले में तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर खुली जगह में कमी की स्थिति में पूरे भवन में स्वचालित डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम प्रदान की जएगी।

(5) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम– आवासीय अपार्टमेंट भवन के मामले में भवनों के सभी तरफ यह प्रदान किया जाना चाहिए।

वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों के मामले में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर का खुली जगह में कमी की स्थिति में खुली जगह की कमी वाले भाग में दो निर्धारित मॉनिटर के साथ भवन के सभी तरफ यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम प्रदान किया जाना चाहिए ।

(6) भूमिगत स्टैटिक जल संगहण टैंक/छत टैंक–

उच्च उदय वाले आवासीय अपार्टमेंट भवनों में कम से कम 10,000 लीटर क्षमता का एक अतिरिक्त स्टैटिक जल आपूर्ति भंडारण अंडरग्राउण्ड/ओवरहाइड टैंक में होना चाहिए और किसी भी कमी को पूरा किया जाएगा।

वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवनों में एक तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर कमी की स्थिति में कम से कम 15,000 लीटर की क्षमता का एक अतिरिक्त स्टैटिक जल आपूर्ति भंडारण होगा, लेकिन यदि उपरोक्त प्रकार के भवन (वाणिज्यिक/आदि) में खुली जगह की कमी तीन तरफ हो, तो कम से कम 25,000 लीटर की क्षमता का अतिरिक्त स्थिर जल आपूर्ति भंडारण होगा।

(7)**फायर पम्प**– उच्च वृद्धि वाले आवासीय अपार्टमेंट भवनों में न्यूनतम 5 एच०पी० क्षमता का एक पम्प प्रदान किया जाना चाहिए और अग्निशमन प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए।

वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवन में एक तरफ और सड़क की तरफ 6 मीटर खुला स्थान में कमी होने के स्थिति में 2850 एल०पी०एम० क्षमता का एक डीजल पम्प और 180 एल०पी०एम० क्षमता का एक पम्प प्रदान किया जाना चाहिए। अगर वाणिज्यिक/व्यवसायिक/सभा/होटल और शैक्षिक भवन में तीन तरफ खुली जगहें और सड़क की तरफ 6 मीटर से कम खुली जगह होने की स्थिति में 2850 एल०पी०एम० क्षमता वाला एक जॉकी पम्प दिया जाना चाहिए ।

(8)**पानी का पर्दा**– भवन के चारो ओर एवं सभी मंजिल को कवर करते हुए पड़ोसी संपत्ति के आग के जोखिम को पार करने के लिए यह प्रदान किया जाना चाहिए। यह उस तरफ प्रदान किया जाएगा जहाँ खुले स्थान में कमी हो ।

(9) कॉमर्शियल/व्यवसायिक/सभा/होटल एवं शैक्षिक के मामले में एक या तीन तरफ और सड़क की तरफ खुली जगह में कमी की स्थिति में प्रति स्थापन में प्रति बालकनी एक अग्नि दरवाजा प्रदान किया जाना चाहिए।

(VI) विद्युत सुरक्षा–

(1) अपार्टमेंट के लिए 5 साल में एक बार तथा अन्य अधिभोग वाले भवनों के लिए 2 साल में एक बार विद्युत तारों और विद्युत स्थापना को इलेक्ट्रिकल अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । यू०पी०एस० में बैटरी सिस्टम की अग्नि सुरक्षा की जाँच विशेष रूप से की जानी चाहिए।

(2) सभी उच्च वृद्धि वाले आवासीय परिसरों और गैर–आवासीय अधिभोग वाले भवन (जैसे मर्केंटाईल, व्यापार, सभा, भंडारण) में प्रदान करें:–

(a) आग के विकसित होने से पहले, शॉर्ट सर्किट को साफ करने के लिए फास्ट एक्शन लघु सर्किट तोड़ने वाले (एमसीबी)

(b) वैसे भवना जहाँ निकास न हो वहाँ बिजली को अलग करने और शॉर्ट–सर्किट को स्थापित करने और परिणामी आग बचाने के लिए वाह्य मुख्य शक्ति स्वीच प्रदान करना।

(c) सुरक्षा/फायर अलार्म और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था अलग–अलग कम बिजली वाले सुरक्षित सहायक सर्किट के माध्यम से संचालित रहना चाहिए।

(VII) एयरकंडीशनिंग–धुआँ और धुएं के प्रसार को रोकने के लिए एयर कंडीशनिंग में अग्नि सुरक्षा उपायों जैसे स्वचालित डंपर्स, आदि होंगे, जो अन्यथा जीवन सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

(VIII) ट्रांसफर्मर्स–

(1) ट्रांस्फर्मरों को 4 घंटे रेटिंग के आग प्रतिरोधी निर्माण के साथ सुरक्षित किया जाएगा, जब तक कि मुख्य भवन से 6 मीटर की दूरी तक अलग नहीं हो।

(2) ट्रांस्फर्मर अगर इनडोर या तहखाने में प्रदान किए गए हैं, तो स्वचालित उच्च दबाव जल स्प्रे (मोल्सीफेरे) प्रणाली प्रदान की जाएगी।

(3) ट्रांस्फर्मर या डीजल इंजनों में इस्तेमाल होने वाले दहनशील तेल से अन्य क्षेत्रों में आग फैलाने को रोकने के लिए गड्ढ़ा और प्रतिबंध दिया जाना।

(4) किसी भी भवन के 6 मीटर के भीतर ट्रान्सफर्मर होने की स्थिति में ट्रांस्फर्मर के कम से कम तीन तरफ से आग से लड़ने हेतु पहुँच होगी। ट्रांस्फर्मर और परिवेश की अग्नि सुरक्षा में गंभीर कमी को दूर करने में यह सक्षम होगा जो अन्यथा मुश्किल और सुधारने के लिए महँगा है।

(5) विद्युत ट्रांस्फर्मर के पास 22.5 लीटर क्षमता का एक फोम ट्रॉली आई०एस० 219 के अनुसार अनिवार्य रूप से आश्यक है।

(IX) एल०पी०जी०–

(1) एल०पी०जी० पाईप लाईन बाहरी दीवारों पर सीढ़ियों से दूर अलग शाफ्ट में चलानी होगी ।

(2) एल०पी०जी० सिलेंडर के भंडारण के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा।

(3) गैस वितरक के अधिकृत मैकेनिक द्वारा एल०पी०जी० स्टोव/पाईप/सिलेंडर की आवधिक जाँच।

(X) अग्नि सुरक्षा योजना और अग्नि ड्रील–

(1) अग्नि सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए।

(2) निकास स्थल पर बड़े अक्षरों में अग्नि सूचनाएँ प्रदर्शीत करके आपात स्थिति में निवासियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से पूरी तरह से परिचित किया जाएगा।

(3) आग और अन्य आपात स्थितियों की स्थिति में अग्निशमन और निकासी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्नि नोटिस/आदेश तैयार किए जाएँगे।

(4) पहले दो वर्षों में प्रत्येक तीन महीनों पर और बाद में 6 महीनों में एक बार अग्नि ड्रील आयोजित किया जाएगा।

(5) सुरक्षा/शिक्षण/चिकित्सा और चयनित कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन और निकासी के संबंध में प्रशिक्षण।

(XI) सामान्य–

(1) अच्छी भवन व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) छत का दरवाजा हमेशा चाबी के बिना अंदर से खुलने योग्य होना चाहिए।

(3) यदि बेसमेन्ट 200 वर्ग मीटर से अधिक हो तो उस तहखाने में स्वचालित सिंचन प्रणाली प्रदान की जाएगी ।

(4) आवासीय/मर्केंटाईल क्षेत्रों में फायर क्रेकर गोदाम, आदि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(5) विशेषकर उच्च मंजिलों में जहाँ भी संभव हो, उच्च खतरा वाले अधिभोग को कम खतरा वाले अधिभोग में परिवर्तन किया जाय।

(6) भवन के जिस तरफ खुला स्थान में कमी हो, वहाँ एवं पड़ोसी का भवन जहाँ अग्नि एम्पोजर का खतरा हो, फायर फ्रूट का प्रावधान हो।

(7) परिधि या आसन्न भवनों के आग से लड़ने के लिए उपयुक्त पोर्टेबल मोनीटर्स रखना है।

(8) होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और इंस्टीट्यूशनल (हॉस्पीटल) अधिभोगों के लिए जहाँ बड़ी संख्या में अधिवासी/जनता की उपस्थिति के कारण काफी जीवन जोखिम है, उन्हें वहाँ निम्नलिखित प्रदान किया जाएगाः–

(क) न्यूनतम 3 साल के अनुभव वाले एक योग्न अग्नि अधिकारी को पूरे परिसर के लिए एक कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें ऊपर सुझाए गए सिस्टम को बनाए रखने की जिम्मदारी सौंपी जानी चाहिए।

(ख) भवन के प्रवेश फर्स पर भवन की लॉबी में एक फायर कमांड स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए और ऐसे कमांड स्टेशन को पर्याप्त रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

(ग) पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम का मुख्य नियंत्रण फायर कमांड स्टेशन पर होना चाहिए।

(घ) भवन के लिए एक अग्नि सुरक्षा निदेशक/भवन निर्वासन पर्यवेक्षक को नामित किया जाना चाहिए। उसे बिल्डिंग के प्रत्येक मंजिल के लिए अग्नि वार्डन नामित करना चाहिए, जो कि अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित में उचित समझे जाने वाले कार्य करेगा ।

(ड.) प्रशिक्षित अग्निशामक दल को 9 लीटर का न्युनतम दो धुंध उपकरण (Mist Equipment) के साथ लगातार रखना होगा । उनके अनुरोध पर बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(च) वाटर टेंडर टाईप–'बी' या 600 लीटर का धुंध उपकरण ट्रॉली पर रखना है।

अनुसूची–''झ''

राज्य की सीमा के बाहर बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों की आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्ति किये जाने पर निर्धारित देय शुल्क।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–22(01) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 28(क) के अंतर्गत)

1. राज्य की सीमा से परे अग्निशमन सेवा की तैनाती पर अवलंब कर्तव्य शुल्कः–

अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती बिहार राज्य की सीमा से परे करने हेतु वहाँ के निदेशक या समकक्ष पदाधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी, जिला प्राधिकार या किसी अन्य प्राधिकार का अनुरोध प्राप्त होने पर, उपलब्धता के अध्यधीन, जनहित में, बिहार राज्य की सीमा से परे निदेशक या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के द्वारा, निम्न तालिका में यथाउल्लेखित शुल्क के भुगतान पर अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती की अनुमति दिया जा सकेगा ।

क्र.सं.	अग्निशमन उपकरणों के प्रकार	प्रत्येक बुलावे पर तैनाती शुल्क (रु० में)	मील शुल्क (रु० प्रत्येक कि.मी.)	पम्पिंग ऑपरेशन रु० प्रत्येक घंटे	अन्य शुल्क (रु० में)
1	वाटर टेंडर/ वाटर बॉउजर/फोम टेंडर/ड्राई केमिकल पाउडर टेंडर	10000.00	25.00	1000.00	I खपत किया गया फोम साँध्र/प्रति लीटर @50.00 IIन्यूनतम 25000 रु० के अध्यधीन खपत किए गए शुष्क रसायनिक पाउडर प्रति किलोग्राम @25000.00 III कार्यरत उपकरण सेट इस्तेमाल का दर @200.00
2.	झूलने वाली रस्सी की सीढ़ी/प्लेटफॉर्म हैजमेट (Hazmet) वैन/बचावटेंडर/ बचाव रेस्पॉडर	15000.00	150.00	–	–
3.	मोटर पंप	2000.00	25.00	500.00	
4.	कार्यरत उपकरण वैन	5000.00	25.00	–	कार्यरत उपकरण सेट के इस्तेमाल का दर/200.00

2. तैनाती शुल्क में वार्षिक बढ़ोत्तरी– तैनाती शुल्क उप खंड (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के प्रभाव से 10% की दर से बढ़ाया जाएगा।

3. अग्निशमन दस्ता के वापसी के बाद तैनाती शुल्क में बढ़ोत्तरी –

अग्निशमन दस्ता सहित प्रभारी पदाधिकारी के तैनाती–स्थल से अग्निशामालय लौटने के पश्चात्, वहाँ पर की गई कार्रवाई एवं माइलेज का ब्यौरा, सहायता का अनुरोध करनेवाले जिला प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या सम्बंधित पदाधिकारी को शुल्क में बढ़ोत्तरी हेतु उपलब्ध करायेंगे।

4. अग्निशामालय पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन अतिरिक्त राज्यक्षेत्रीय में तैनातीः–

उप खंड (1) के अधीन अतिरिक्त राज्यक्षेत्रीय में तैनाती वैसे किसी पदाधिकारी के प्रभार में होगी जो अग्निशामालय पदाधिकारी से न्यून स्तर का नहीं हो।

अनुसूची–''ञ''

व्यक्तिगत अनुरोध पर किसी जन समारोह के दौरान बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों को उपकरणों एवं साधित्रों के साथ प्रतिनियुक्त किये जाने की दशा में देय प्रभार।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 32 के अंतर्गत)

1. **अग्निशमन सेवा की तैनाती पर अवलंब कर्तव्य प्रभारः**—जन समारोह के दरम्यान अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर, उपलब्धता के अध्यधीन, जनहित में, निदेशक या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के द्वारा, निम्न तालिका में यथाउल्लेखित प्रभारों के भुगतान पर अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दस्ता की तैनाती की अनुमति दिया जा सकेगा ।

क्र.सं.	उपकरणों के प्रकार	प्रति छः घंटे का प्रभार अथवा उसका भाग (रुपयों में)	पम्पिंग कार्रवाई (रु० प्रति घंटे)	अन्य प्रभार रुपयों में
1.	वाटर टेंडर/फोम टेंडर/ वाटर वांउजर	5000.00	1000.00	खपत किया गया फोम सांद्रण प्रति लीटर@50
2.	झूलनेवाली रस्सी की सीढ़ी/प्लेटफार्म	10000.00	2500.00	

2. **अवलंब प्रभारों का अग्रिम भुगतानः**— उप खंड (1) के अधीन अग्रिम भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार अग्निशमन सेवा के पक्ष में पटना में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चलान से किया जाएगा।

3. **अग्निशमन सेवा के सदस्यों के लिए आवासनः**— यदि अवलंब कर्त्तव्य के रूप में अग्निशमन सेवा के सदस्यों की तैनाती लगातार 24 घंटे से अधिक होती है, तो प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करनेवाला पक्ष बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यों के आवासन के लिए निःशुल्क आवश्यक व्यवस्था करेगा।

4. **उप अग्निशमन पदाधिकारी के प्रभाराधीन अवलंब कर्तव्य का प्रभारः**—अवलंब कर्त्तव्य एक अग्निशमन पदाधिकारी, जो उप अग्निशमन पदाधिकारी से न्यून स्तर का नहीं हो, के प्रभाराधीन होगा।

5. **अवलम्ब प्रभार में बढ़ोतरीः**—निर्धारित अवधि हेतु भुगतान किये गये अवलंब प्रभार संबंधी अग्रिम से अधिक अवलंब प्रभार होने की स्थिति में आवेदक से अतिरिक्त राशि की वसूली हेतु विहित प्रपत्र में निदेशक अथवा नामित पदाधिकारी नोटिस देगा, जिसका भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा ।

अनुसूची–''ट''

बिहार अग्निशमन सेवा का संगठनात्मक संरचना

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–3,4,5,(क), 6 एवं 9 के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 4 के अंतर्गत)

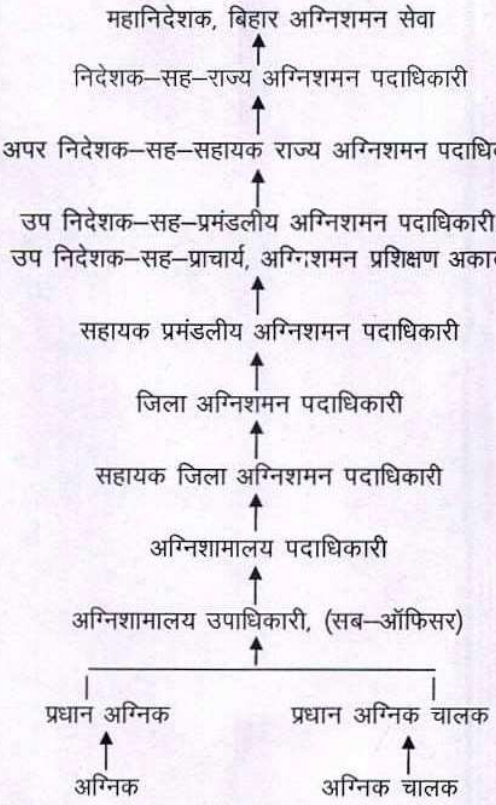

बी० के० शर्मा